Monday, 23 April, 1962

लोक-सभा वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड १, १९६२/१८८४ (शक)

[१६ से २७ अप्रैल, १९६२/२६ चैत्र से ७ वैशाख, १८८४ (शक)]

Chamber ... 18/X/23...

3rd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation 14-5-92
Fumigated On 3.12.83
Parliament Library

पहला सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड १ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

लोक सभा

सोमवार, २३ अप्रैल, १९६२

३ वैशाख, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

श्री प० मरुथया (मेलूर)

श्री ब० क० धवन (लखनऊ)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आसाम में उपलब्ध प्राकृतिक गैस

†*८०. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसीटिलीन और मिथेनाल के उत्पादन के लिये आसाम में उपलब्ध प्राकृतिक गैस को काम में लाने के लिये एक रसायन संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). ऐक्रीलोनीट्राइल (जिसमें कच्चे माल के तौर पर अपेक्षित ऐसीटीलीन, हाइड्रोजन सियानाइड शामिल है) और पोलिऐक्रीलोनीट्राइल के निर्माण के लिये एक गैर-सरकारी फर्म द्वारा पेश की गई एक योजना विचाराधीन है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस समय इस योजना पर विचार किस स्तर पर किया जा रहा है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : वास्तव में, आसाम के तेल क्षेत्रों से इस समय जो गैस उपलब्ध होती है, वह उद्योगों को दी जाती है जिनके अन्दर ऐक्रीलोनीट्राइल नहीं आता । अतः संभावना इस बात की है कि शायद इस समय इस योजना पर कार्यान्विति के लिये विचार नहीं किया जायेगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यदि यह योजना सरकारी क्षेत्र में आरम्भ नहीं की जायेगी, तो दूसरे गैर-सरकारी क्षेत्र को दिये जाने के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय** : जैसा मैं ने बताया आजकल जितनी गैस उपलब्ध होती है वह ऐक्रीलोनीट्राइल को छोड़ कर अन्य उद्योगों को दी जाती है। इसलिये यह सरकारी क्षेत्र में होगा या गैर-सरकारी क्षेत्र में यह ऐसा प्रश्न है जिस पर तभी विचार किया जा सकता है जब आसाम तेल क्षेत्रों में अधिक गैस उपलब्ध हो।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : गैस आसाम में किस तिथि से उपलब्ध है और अब तक इस का कोई उपयोग क्यों नहीं किया गया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जब पहला कूंआ गैस या तेल देना आरम्भ करता है कुछ गैस हमेशा उपलब्ध होता है और सारे संसार भर में यह आम तरीका है कि उस गैस को जलने दिया जाये जब तक कि परियोजना के सम्बन्धी स्थायी योजना और विस्तृत जांच तैयार न हो जाये। इस में दो या तीन वर्ष लगते हैं, कुछ समय अधिक लगता है जो गैस निकालना आरम्भ करने से पूर्व वित्त तथा प्रविधिक ज्ञान की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

†**श्री बसुमतारी** : कौन सी गैर-सरकारी फर्म के साथ अब तक प्रबन्ध किया गया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : आसाम में कुछ योजनाएं हैं जिन्हें आसाम सरकार तथा गैर-सरकारी फर्में स्वयं बना रही हैं, और यह सूचना भी आसाम सरकार को प्राप्त है। इस समय हम मंत्रालय में अपनी ओर से कुछ नहीं कर रहे हैं।

दण्ड विधि के अधीन अधिसूचित क्षेत्र

*८१. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, १६६१ की धारा ३ के अन्तर्गत उत्तरी सीमा के कुछ क्षेत्रों को अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे क्षेत्रों की सीमाओं व उपरोक्त घोषणा के फलस्वरूप होने वाली प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातर) : (क) तथा (ख). दण्ड नियम संशोधन अधिनियम, १६६१ की धारा ३ के अधीन उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा हिमाचल प्रदेश के कुछ सीमान्त क्षेत्रों को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने तथा उसके फलस्वरूप किये जाने वाले सरकारी प्रबन्धों के सूचना की प्रतिलिपि सभा पटल पर रख दी गई है। **[पुस्तकालय में रख दिया गया। देखिये संख्या एल०टी०-२४-६२]**

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस विवरण से यह स्पष्ट है कि उत्तरी सीमान्त के कुछ क्षेत्रों में जिन को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है उन जिलों के निवासी भी बिना अनुमति प्राप्त किये नहीं जा सकते। तो क्या इस नये आदेश को लागू करने के लिये किसी विशेष पुलिस या मैशीनरी की व्यवस्था की जा रही है ?

†**श्री दातार** : जहां तक इस क्षेत्र में आने की इच्छा रखने वाले गैर-निवासियों का सम्बन्ध है सब उपचार किये गये हैं। उदाहरणार्थ, जहां तक संभव था, यात्रा के स्थान और यात्रा मार्गों को छोड़ दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भक्त दर्शन** : श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि तीर्थ यात्रा के लिये आने जाने की छूट दी गई है। क्या उन के ध्यान में यह बात आई है कि जो बद्रीनाथ के यात्री हैं वे बद्रीनाथ पुरी तक ही नहीं जाते बल्कि वे वसुधारा और माना तक जाना भी अनिवार्य समझते हैं। अतः क्या इस सम्बन्ध में यदि कोई नये सुझाव दिये जायें तो उन पर विचार किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : यह नोटिफिकेशन तो हाल ही में हुआ है। मैं नहीं समझता कि कोई विशेष कठिनाई माननीय सदस्य के सामने लाई गई होगी। लेकिन यदि वे हमारे सामने कोई कठिनाई लावेंगे तो उस पर जरूर विचार होगा और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि साधारणतया कोई इस तरह की दिक्कतें नहीं आई हैं।

†**श्री मुहम्मद ताहिर** : किस कसौटी के आधार पर और किस अभिकरण के द्वारा क्षेत्र अधि-सूचित घोषित किया जाता है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : राज्य सरकार ने हमें लिखा है और उन के सुझाव पर यह कार्रवाई की गई है। इसे कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार ही अभिकरण है।

†**श्री विष्ट** : इस क्षेत्र में दाखिल होने वालों के बारे में, क्या विशिष्ट कार्रवाइयां की जायेंगी ताकि निवासियों को परेशान न किया जा सके ? क्या नौकरी वाले लोगों और उस क्षेत्र में आने की इच्छा करने वालों को हर बार अनुमति लेनी पड़ेगी, या एक सामान्य अनुमति जारी कर दी जायेगी ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : बड़ी स्पष्ट हिदायतें जारी की गई हैं और जैसा मैंने कहा, यदि किसी मामले विशिष्ट की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया जाये, तो हम हालात को ठीक करने का अवश्य प्रयत्न करेंगे।

†**श्री नम्बियार** : क्या इस का यह अर्थ है कि हर बार क्षेत्र में दाखिल होते समय तथा वहां से बाहर जाते समय, प्रत्येक नागरिक को प्रार्थना अर्जी देनी चाहिये और अनुमति लेनी चाहिये और तभी वह आ जा सकता है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : यह गैर-निवासियों के बारे में है, निवासियों के बारे में नहीं, और शायद श्री नम्बियार जैसे मित्रों के लिये।

†**श्री त्यागी** : विवरण में कहा गया है "कि निम्न---के अतिरिक्त कोई व्यक्ति---" और उन लोगों की सूची है जिन्हें इस अधिसूचना से मक्त रखा गया है। उस निर्वाचन क्षेत्र के संसद् सदस्य का उल्लेख है, किन्तु किसी सरकारी अफसर का उल्लेख नहीं है, उदारणार्थ, पुलिस जरनल, या मुख्य सचिव अथवा मंत्री। क्या इन लोगों को भी अर्जी देनी होगी, क्योंकि छट वाली सूची में उनका उल्लेख नहीं है।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : वे सूची में आ जाते हैं। उस में कहा है "उक्त क्षेत्र में सेवा पर कोई दूसरा सरकारी कर्मचारी"। क्योंकि त्यागी जी ने पुलिस जरनल के बारे में कहा है, वह ड्यूटी पर होता है। वह उस क्षेत्र के सम्बद्ध अफसरों में से होता है।

†**श्री मनायन** : अधिसूचना से प्रतीत होता है कि दार्जलिंग जिला अपराधिक विधि (संशोधन) विधेयक के अन्तर्गत अधिघोषित किया गया है। क्या हाल के महीनों में दार्जिलिंग की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उस क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने की जरूरत पड़ गई ? यदि हां, वहां स्थित किस प्रकार खराब हो गई है क्योंकि

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : वह जानना चाहते हैं कि क्या वहां इतनी हालत खराब हो गई है कि इस अधिघोषणा की जरूरत पड़ी ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : : दार्जलिंग और अन्य क्षेत्रों में अन्तर है । उस जिला में प्रवेश करने के लिये कोई अनुमति की जरूरत नहीं है ।

शिक्षा आयोजकों[1] का प्रशिक्षण

†*८३. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा आयोजकों, प्रशासकों और पर्यवैक्षकों के प्रशिक्षण के लिये एशिया में एक केन्द्र; जिसे भारत सरकार ने यूनेस्को के सहयोग से स्थापित करने का निश्चय किया है, की स्थापना की की दशा में यदि कोई प्रगति हुई है तो वह क्या है ;

(ख) क्या परियोजना के वित्तीय पहलुओं का अध्ययन कर लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उस पर कितना आवर्तक और अनावर्तक व्यय होगा ;

(घ) इस व्यय में से कितना भारत द्वारा वहन किया जायेगा और कितना यूनेस्को द्वारा ; और

(ङ) क्या योजना की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) केन्द्र स्थापित किया जा चुका है ।

(ख) जी हां ।

(ग) कर्मचारी वर्ग तथा आकस्मिकताओं पर तीसरी पंचवर्षीय योजना में अनुमानित व्यय ३.२७ लाख रुपये तथा अनावर्ती व्यय ३.२९ लाख रुपये होने की संभावना है ।

(घ) और (ङ). इसके सम्बन्ध में यूनेस्को और भारत सरकार के बीच हुए करार और संविदा प्रत्यक की प्रति सभा पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट १ अनुबन्ध संख्या १६]**

†**श्री श्री नारायण दास** : विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सरकार एवं यूनेस्को के बीच हुए वर्तमान संविदा के अनुसार, यूनेस्को ने केवल वर्ष १९६१-६२ के लिये धन मंजूर किया है । क्या यूनेस्को ने इस सहायता को जारी रखने का आश्वासन दिया है ? यदि हां तो इस सहायता का आश्वासन कितने वर्षों से दिया गया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : क्योंकि यूनेस्को का बजट वार्षिक सम्मेलन द्वारा पारित किया जाता है, सहायता केवल उसी अवधि के लिये दी जाती है । किन्तु यह जारी रहने वाली परियोजना है और आशा है कि युनेस्को बाद के वर्षों के लिये भी सहायता मंजूर करेगी ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : इस परियोजना में एशिया के किन किन महत्वपूर्ण देशों ने भाग लेना स्वीकार किया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस संस्था द्वारा हाल में आयोजित संगोष्ठी में जिन देशों ने वास्तव में भाग लिया है उन के नाम हैं—बर्मा, श्रीलंका, चीन, भारत, इन्डोनेशिया, ईरान, जापान, कोरिया, लाओस, मलाया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलपीन, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अन्सार हरवानी** : इस प्रशिक्षण केन्द्र में जिन पर्यवेक्षकों और प्रशासकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा, क्या उन का चुनाव युनेस्को द्वारा किया जायगा, अथवा भारत सरकार द्वारा या अन्य किसी सरकार द्वारा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : वे भिन्न भिन्न सरकारों द्वारा भेजे जायेंगे ।

†**श्री श्री नारायण दास** : क्या इस प्रशिक्षण के सम्बन्ध में विभिन्न देशों के लिये कोई अभ्यंश निश्चित किया गया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : अभी तक कोई पक्का अभ्यंश निश्चित नहीं किया गया; परन्तु ऐसी संस्था के लिये संख्या बहुत अधिक नहीं हो सकती ।

विस्थापित व्यक्तियों को दी गई आयु सम्बन्धी रियायतें

+

†*८४. **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों को सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिये ली जाने वाली परीक्षाओं में बैठने के लिये आयु संबंधी जो रियायत अब तक दी जाती रही है, उसे न देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह रियायत वापस लेने से पहले सूचना दी गई थी ?

†**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) जी हां । ऐसा फैसला किया गया था और घोषणा की गई थी । परन्तु मामले पर पुनः विचार किया जा रहा है ।

(ख) रियायत प्रारम्भ में १९४८ में केवल दो वर्षों के लिये अर्थात् ३१ दिसम्बर १९५० के लिये दी गई थी । उस के पश्चात्, समय समय पर, ३१ दिसम्बर १९६१ तक विस्तार किया जाता रहा । क्योंकि विस्थापित लोग अधिकतर बसाये जा चुके हैं और रियायत १३ वर्ष से अधिक समय तक जारी रही, अतः इसे बन्द करने का फैसला किया गया था ।

(ग) ऐसी सूचना की जरूरत नहीं थी क्योंकि रियायत केवल ३१ दिसम्बर १९६१ तक के लिये थी ।

श्री रघुनाथ सिंह: ईस्ट पाकिस्तान से अभी तक शरणार्थी आ रहे हैं । क्या उन के सम्बन्ध में भी यह रूल लागू होगा ?

†**श्री दातार** : यह पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों भागों के लिये लागू होता है ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं तो यही चाहता हूं कि ईस्ट पाकिस्तान से अभी तक शरणार्थी लोग आ रहे हैं । कम से कम उन को तो कोई सहूलियत आप के द्वारा प्राप्त होनी चाहिए ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : वैस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इस पर विचार किया है और अभी हाल में वैस्ट बंगाल गवर्नमेंट के रिहैबिलिटेशन मंत्री ने हम से कहा है कि यह थोड़ा समय बढ़ाया जाय और वह ३१ दिसम्बर तक चाहते हैं कि यह समय बढ़ा दिया जाय । इसीलिए मैं ने कहा कि इस पर हम विचार कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री **प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या मैं जान सकता हूं कि विस्थापित व्यक्तियों को आयु संबंधी रिआयतें देने से पूर्व जो उन की स्थिति थी, अब जबकि सरकार उस रिआयत को वापिस लेना चाहती है तो क्या उन की स्थिति सामान्य हो चुकी है या उस में अभी कुछ और कमी है जिस के कि लिए समय बढ़ाया जा रहा है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : अब हर एक केस अथवा मामले में कहना कि स्थिति सामान्य हो गई है, कठिन है, मगर साधारणतः वह सामान्य हो गई है । लगभग दस वर्ष हम ने इस को बढ़ाया है । पहले यह सन् १९५० तक के लिए रक्खा था । अब हम ने इस को सन् ६१ तक बढ़ा कर रक्खा है लेकिन फिर भी अगर कुछ समय और इस में बढ़ाने की बात हो तो हम विचार करने के लिये तैयार हैं लेकिन इस में कानूनी कठिनाइयां भी हैं जिन पर कि हम गौर कर रहे हैं ।

†**श्री प्रिय गुप्त** : पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान के रेलवे कर्मचारियों ने, जिन्हों ने भारतीय संघ के लिये स्वेच्छा प्रकट की और जो अब भारतीय रेलों में काम कर रहे हैं, अथवा जो भारतीय रेलों से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हों ने उन्हें पुनः बसाने के लिये सरकार को लिखा था, क्योंकि उन के नाम शरणार्थियों के तौर पर दर्ज नहीं थे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न शरणार्थियों के बारे में है, अतः इस प्रश्न से संगत नहीं ।

†**श्री प्रिय गुप्त** : वे शरणार्थी हैं । उन के मकान आदि पाकिस्तान में हैं, सरकार को शरणार्थी प्रमाणपत्रों और अन्य चीजों के लिये विशेष व्यवस्था करनी चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदयः** वह जानना चाहते हैं कि उन को बसाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**श्री प्रिय गुप्त** : जी नहीं । उन के लिये मंत्रालय की ओर से क्या किया जायगा ? उन के लिये कुछ नहीं किया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : तब यह प्रश्न पूछा नहीं जा सकता । यह केवल आयु सीमा को बढाने के लिये है और इस की जांच हो रही है । वह सर्वथा भिन्न प्रश्न है ।

†**श्री प्रभात कारः** यह निर्णय करने और दिसम्बर में अधिसूचना जारी करने से पहले, इस प्रकार का कोई पूर्व परामर्श क्यों नहीं किया गया ? जिन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, क्या उन के मामलों पर फिर विचार किया जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वे अब पुनर्विचार कर रहे हैं ।

अम्बरनाथ मशीन टूल फैक्टरी

+

†*८५. { **श्री म० ला० द्विवदी :** **श्री स० चं० सामन्त :** **श्री रघुनाथ सिंह :** }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बरनाथ मशीन टूल फैक्टरी के गत तीन वर्षों के अन्तिम लेखे में मूल आय-व्ययक की अपेक्षा व्यय में काफी कमी दर्शाये जाने के बावजूद क्या इस फैक्टरी ने छः वर्ष बाद कोई लाभ अर्जित नहीं कर दिखाया किन्तु उसे लगातार घाटा ही हुआ है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) इस फैक्टरी को लाभप्रद तरीके से चलाने के लिये कौन से कदम उठाने का इरादा है; और

(घ) इस फैक्टरी में अब तक कितनी पूंजी लगाई जा चुकी है और उस का आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय कितना है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) से (घ). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

मशीनी औजार नमूना फैक्टरी प्रारंभ में नये शस्त्रास्त्र स्टोरों का डिजाइन बनाने और उन का विकास करने तथा उन स्टोरों के नमने बनाने के लिए स्थापित की गई थी । इसे स्थापित करने का इरादा यह नहीं था कि यह मशीनी औजारों को बनाने वाली मुकम्मल फैक्टरी होगी । फैक्टरी स्थापित करने के प्रारम्भिक व्यय और पूरा उपरि व्यय केवल कुछ वर्षों में वसूल होने की अपेक्षा की जा सकती है जब फैक्टरी में विकसित नये शस्त्रों का बड़े पैमाने पर उत्पादन आरम्भ हो जाय । प्रारम्भ से ही यह अनुभव किया गया था कि एक शस्त्रास्त्र नमूना फैक्टरी अपने आप अच्छी तरह संतुलित नहीं हो सकती, और इस की पर्याप्त क्षमता बेकार रहेगी यदि इस का कार्य केवल नमनों तक सीमित रहा । मूल डिजाइन, नमूनों का उत्पादन एवं मशीनी औजारों का निर्माण बाद में इस फैक्टरी को सौंपा गया ताकि इस में अधिक मितव्ययता हो सके । देश में ऐसी सुविधायें प्राप्त नहीं थीं ।

(ग) फैक्टरी की उपलब्ध सुविधाओं का भी अब अन्य स्टोरों के उत्पादन के लिये अधिक उपयोग किया जा रहा है । फालतू क्षमता को उपयोग में लाने के लिये इस फैक्टरी में किये गये उत्पादन की वस्तुओं पर उपरि व्यय की यथार्थ प्रतिशतता लगाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । लगाई गई पूंजी का उतम फल निकट भविष्य में मिलने की अपेक्षा की जाती है ।

(घ) फैक्टरी का कुल पूंजी व्यय ४३६–८० लाख रुपये है । आवर्त्तक (राजस्व) व्यय १९६०–६१ के लिये ३०·३८ लाख रुपये था ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : विवरण में कहा है कि दूसरे स्टोरों के उत्पादन के लिये अब फैक्टरी मे उपलब्ध सुविधाओं का अधिक उपयोग किया जा रहा है । यह निर्णय पिछले छः वर्षों से क्यों निलम्बित रखा गया है । अब कौन से अन्य स्टोरों का उत्पादन किया जा रहा है ?

†**श्री रघुरामैया** : इस फैक्टरी का मूल विचार सर्वथा भिन्न था । इसमें शस्त्रास्त्र स्टोरों के केवल नमूने तैयार करने का इरादा था । तब यह अनुभव हुआ कि यह लाभदायक नहीं होगा । अतः हमने इसमें सामान्य तौर पर मशीनी औजारों का निर्माण शामिल कर दिया । तब भी यह अनुभव किया गया कि कुछ क्षमता बकाया है अतः अब हम गियर बक्सों, ट्रैक्टरों के इंजनों आदि विभिन्न वस्तुओं के निर्माण के लिये इसका उपयोग कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : संसद् के कुछ सदस्य कई वर्षों से इस फैक्टरी में जा रहे हैं और उन्होंने देखा है कि क्षमता बहुत अधिक थी और वह प्रारम्भ से ही बेकार पड़ी थी। इस बात के बावजूद कि मन्त्रालय ने अब अनुभव किया है कि यहां अधिक स्टोर बनाये जाएं, क्या कारण है कि उन्होंने अभी तक स्टोर उत्पादन नहीं किये ? उन्होंने पहले ही क्यों इस की योजना नहीं की ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : राज्य मन्त्री ने बताया है कि फैक्टरी का शुरू में उद्देश्य केवल प्रोटोटाइप्स तैयार करने का था। यदि हमारी राष्ट्रीय आर्थिक क्षमता काफी होती तो हम बहुत देर तक इसको उसी रूप में रखे रखते और एक बड़े पैमाने की प्रोटोटाइप फैक्टरी का विकास करने की दृष्टि से नुकसान सहते रहते। अधिक देशी उत्पादन बढ़ने से अन्य पुर्जों का आयात घट गया है और हम उस क्षमता का उपयोग कर रहे हैं। वास्तव में फैक्टरी न्यूनाधिक दो या तीन अनुभागों में विभक्त हैं। एक नमूनों के उत्पादन के विकास और अनुसन्धान के लिये है, दूसरा मशीनी औजारों के उत्पादन के लिये और तीसरा पुर्जों के निर्माण के लिये। आशा है कि इस पर लगी पूंजी हानि में नहीं जाएगी किन्तु वह थोड़े समय में पूरी हो जाएगी।

†**श्री सं० चं० सामन्त** : मा० मन्त्री ने कहा है कि उन्होंने विचार बदल लिया और वहां केवल मशीनी औजारों का ही निर्माण नहीं किया जाता था। क्या प्रतिरक्षा उत्पादन संगठन ने इसके बारे में अपना मत प्रकट कर दिया है ?

†**श्री रघुरामैया** : विचार बदलने का सवाल नहीं। प्रश्न यह है कि प्रारम्भिक विचार क्या था। मूल विचार केवल शस्त्रास्त्र स्टोरों के नमूने बनाने का था। इसमें मशीनी औजार बनाने का इरादा नहीं था और प्रतिरक्षा मन्त्रालय ने बतला दिया है कि हमें बाद में क्यों दूसरा काम करना पड़ा। अतः विचार बदलने का सवाल नहीं होता।

†**श्री मुरारका** : इस फैक्टरी में कुल कितनी हानि हुई है ?

†**श्री कृष्ण मेनन**: मैंने बतला दिया था कि उन्हें हानि नहीं कहा जा सकता। लेखा में कुछ बकाया है और आगामी वर्षों में उत्पादन से वह पूरा हो जायेगा।

†**श्री बालकृष्णन** : क्या यह सही है कि कुछ समय पूर्व इस फैक्टरी में एक कार बनाई गई थी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका उत्तर दिया जा चुका है।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या प्रारम्भ में इस फैक्टरी को प्रशिक्षण एवं उत्पादन के लिये नहीं स्थापित किया गया था, और यदि बाद में प्रशिक्षण भी था, तो क्या प्रशिक्षण क्षेत्र में कुछ विस्तार हुआ है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : फैक्टरी में उत्पादन के लिये बहुत से अत्यन्त कुशल लोग हैं और उन्हें शिल्पिक प्रशिक्षण स्कूल में प्रशिक्षण दिया गया है, जिसका विस्तार हुआ है, और उस काम के लिये भी अधिक देशी उत्पादन बढ़ने से, उसके लिये आयात का उपयोग किया जाता है।

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड में कम कीमत की कार का निर्माण

+

†*८६. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री २६ मार्च, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या २०१ के उत्तर के सम्बन्ध में

---

†मूल अंग्रेजी में

यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर में कम कीमत की कार के निर्माण के लिये कोई विदेशी प्रविधिक सहायता मांगी गई है ;

(ख) क्या कार का डिजाइन बना लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो डिजाइन किसने तैयार किया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां । हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट समिति ने पहली नमूने की कार बनाई है ।

(ग) यह हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट कम्पनी के इंजीनियरों के प्रयत्नों का फल है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या इस कार की उत्पादन लागत का हिसाब लगा लिया गया है और यदि हां, तो क्या उस कम लागत वाली कार की लागत से यह कम है या अधिक, जिसे फ्रांस की सहायता के साथ बनाने का विचार है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : इस जैसी संस्था को बहुत सी अध्ययन परियोजनाओं का विकास करना पड़ता है । प्रबन्ध मण्डल ने जो इस मामले में स्वायत्त है, न केवल विमान बनाये हैं, अपितु अन्य चीजें भी बनाई हैं । पहला नमूना समिति को पेश किया गया था, जिसने कार का परीक्षण किया और कहा कि उसमें कुछ परिवर्तनों की जरूरत है । जब तक विमान उत्पादन में फैक्टरी अधिक व्यस्त न हो जाएगी, उन्हें इस काम के लिये समय देना चाहिये । यह उस प्रशिक्षण का एक अंग है, जिस की फैक्टरी के अन्दर विकास के लिये जरूरत है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या इस कम्पनी के बनाये पहले डिजाइन मे कोई परिवर्तन किया गया था ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : इस समय केवल एक नमूना है और इस पर काफी काम नहीं किया गया है । इस की आवश्यकताओं की जांच की गई है । कुछ मूल भूत बातें हैं जिनका फैसला इसके उत्पादन आरम्भ करने की अवस्था में, दूसरे लोगों द्वारा किया जाना है ।

†**श्री प्रभात कार** : क्या नमूना आयुध फैक्टरी में, प्रतिरक्षा कामों के लिये बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के इरादे से बनाया गया था और यदि हां तो अनुमानित लागत क्या है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : यह कम्पनी बहुत सी चीजें बनाती है, न केवल प्रतिरक्षा कार्यों के लिये ही । यह प्रतिवर्ष ५०० यात्री डिब्बे बनाती है और इस वर्ष से १००० माल डिब्बे ।

†**श्री नंबियार** : लागत क्या है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : यह बहुउद्देश्यीय प्रतिष्ठान है ।

†**श्री प्रभात कार** : प्रतिरक्षा मन्त्रालय के मन में उद्देश्य होना चाहिये जिसके लिये इसका उपयोग किया जा रहा है । अन्यथा, इतना सब होने पर, उत्पादन समाप्त हो जाएगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह अभी प्रयोगावस्था में है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वारियर :** यह नमूना वहां कब से बनाया जा रहा है और सरकार को प्रतिवेदन कब दिया गया था ।

†**श्री कृष्ण मेनन :** यह पाण्डे समिति को गया । नमूना उस समय उपलब्ध नहीं था जब वे अन्य चीजों की जांच कर रहे थे । परन्तु फिर भी उन्होंने इसको देखा और उन्होंने कुछ परिवर्तनों की आवश्यकता का सुझाव दिया । परन्तु फिर भी हमारा उनके बारे में ख्याल था कि क्या वे इस काम के लिये उपयुक्त होंगे या नहीं । इस प्रकार का नमूना बनाने में दस वर्ष का समय लगता है ।

†**श्री हनुमंथैय्या :** क्या सरकार को पता है कि श्री एम विश्वेसरिया ने कुछ वर्ष पूर्व कारें बनाने की योजना बनाई थी ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा ह, मुझे विशिष्ट पता नहीं ।

†**डा० ल० म० सिंघवी :** क्या इस कार के सम्बन्ध में लोकमत जानने का इरादा है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** यह उस अवस्था मे अभी नहीं आई ।

†**श्री सिंहासन सिंह :** क्या इस कम लागत वाली कार को जिसे प्रतिरक्षा मन्त्रालय द्वारा बनाने का विचार है, उस कम लागत वाली कार से भिन्न है, जिसे वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र में बनाने का विचार है, जिसके बारे मे संसद् में तथा बाहर इतनी चर्चा हुई थी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय से पूछें तो बेहतर होगा कि उसका क्या हुआ ?

†**श्री सिंहासन सिंह :** दोनों में क्या अन्तर है ? क्या प्रतिरक्षा मन्त्रालय द्वारा बनाई गई कार का केवल प्रतिरक्षा कार्यों के लिये उपयोग किया जाएगा, अथवा यह जनता को भी मिल सकेगी ?

†**श्री रघुरामैया :** जैसा पहले बताया जा चुका है, जब कभी यह बनाई जाएगी, यह सब के लिये बनाई जा सकती है ।

दिल्ली के लिए क्षेत्रीय परिषद्

\+

*८७. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री नवल प्रभाकर :
श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में क्षेत्रीय परिषद् के निर्माण के सम्बन्ध मे सरकार ने कुछ निश्चय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्रीय परिषद् की कब तक स्थापना हो जायेगी ;

(ग) क्षेत्रीय परिषद् के निर्वाचन का क्या आधार रहेगा ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्षेत्रीय परिषद् में कितने सदस्य होंगे और उन पर अनुमानत: कितना व्यय सरकार को करना पड़ेगा; और

(ङ) क्या दिल्ली में बनने वाली क्षेत्रीय परिषद् हिमाचल प्रदेश की परिषद् से किसी प्रकार भिन्न होगी और यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) और (ङ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : पिछली संसद् में माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया था कि सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कोई निर्णय लेने जा रही है । मैं जानना चाहता हूं कि उस शीघ्रता की परिभाषा क्या है और कब तक इस सम्बन्ध में निर्णय ले लिया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : माननीय सदस्य को शायद पहले का मेरा पूरा उत्तर याद नहीं है । मैं ने तो यह कहा था कि दिल्ली में किसी खास असैम्बली आदि की जरूरत नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी पार्लियामैंट यहां बैठती है ।

†**श्री अन्सार हरवानी** : इस बात को देखते हुए कि सरकार दिल्ली के लिये क्षेत्रीय परिषद् की मांग स्वीकार नहीं कर रही है क्या सरकार का दिल्ली नगर निगम को अधिक शक्तियां देने का इरादा है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : यह मामला विचाराधीन है । किन्तु निगम ने ही इस मामले पर विचार करने के लिए एक उप-समिति गठित कर दी है । हम उसका प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इस सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लेंगे ।

†**श्री नवल प्रभाकर** : एक प्रेस कान्फ्रेंस में माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि दिल्ली के लिए विधान सभा तो नहीं किन्तु कुछ प्रशासनिक सुविधायें दिये जाने की जरूरत है । वे प्रशासनिक सुविधायें क्या हैं, क्या मैं जान सकता हूं ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : प्रधान मंत्री जी ने कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया था । उन्होंने यह कहा था कि कुछ होने वाला है । वह कुछ क्या है, यह मैं अभी नहीं कह सकता हूं ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री: दिल्ली में क्षेत्रीय परिषद् बनाने की योजना को क्या सर्वथा स्थगित कर दिया गया है, या अभी वह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

अध्यक्ष महोदय : आपने अभी शीघ्रता की परिभाषा पूछी थी, इसका मतलब है कि यह प्रश्न अभी विचाराधीन चल रहा है ?

श्री प्रकाश वीर शास्त्री: पिछली संसद् में बताया गया था कि सरकार शीघ्र ही कोई निर्णय लेने जा रही है। अभी माननीय मंत्री जी ने बताया है कि दिल्ली में इतनी बड़ी पार्लियामैंट बैठती है, इसलिए इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है । उस सम्बन्ध में मैं ने जानना चाहा है कि क्या वह चीज सर्वथा समाप्त हो गई है अथवा वह प्रश्न सरकार के अभी भी विचाराधीन है ।

श्री **लाल बहादुर शास्त्री** : क्षेत्रीय परिषद् की बात कहां से आई, मैं नहीं जानता । कुछ अखबारों में यह चीज छप गई है, लेकिन यह बात मेरे दिमाग से तो निकली नहीं । मगर कोई बात दुनिया में हमेशा के लिये समाप्त नहीं होती ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नागाओं के कब्जे में भारतीय विमान बल के अधिकारी

+

†*८८. { **श्री विभूति मिश्र :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागा विद्रोहियों द्वारा गिरफ्तार किये गये भारतीय विमान बल के अधिकारियों को अभी तक छोड़ा नहीं गया है;

(ख) यदि हां, तो उन को छुड़ाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) क्या उन की दशा के बारे में कोई जानकारी मिली है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). इस सम्बन्ध में सरकार सभी सम्भव प्रयत्न कर रही है और करती रहेगी। इस सम्बन्ध में ब्यौरा देना लोक-हित में न होगा ।

†**श्री विभूति मिश्र** : क्या सरकार का ध्यान समाचारपत्रों में हाल में प्रकाशित इस समाचार की ओर गया है कि इन अधिकारियों में से एक अधिकारी की पत्नी श्री फिजो और असम के राज्यपाल से भी पत्र-व्यवहार कर रही है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : ये पत्र किसने लिखे हैं यह निश्चित रूप से कहना हमारे लिये संभव नहीं है । कभी-कभी ऐसे पत्र कैदियों के हस्ताक्षर से भी भेजे जाते हैं । वे सही हो सकते हैं और ग़लत भी । जैसाकि सब जानते हैं, अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास इस मामले में कुछ प्रयत्न कर रहा है और हम उसके प्रयत्नों में बाधा न डालेंगे ।

†**श्री विभूति मिश्र**: क्या यह सच है कि भारतीय वायु सेना के ये अधिकारी बर्मा के जंगलों में हैं ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : समाचारपत्रों में ऐसा कोई समाचार छपा था कि उन्हें बर्मा के प्रदेश में रिहा कर दिया गया है । किन्तु, अभी तक हम समाचार की पुष्टि नहीं करा सके हैं ।

†**श्री विभूति मिश्र** : क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि ये अधिकारी जीवित हैं या नहीं ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : हमारी जानकारी यह है कि वे जीवित हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या माननीय मंत्री सभा को यह आश्वासन दे सकते हैं कि विद्रोही नागाओं का यह कार्य

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्नकाल के दौरान आश्वासन शायद ही कभी दिये जाते हैं । प्रश्नकाल के दौरान आम तौर पर आश्वासन नहीं मांगे जाते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मैं जब पहली लोक-सभा का सदस्य था तब, आश्वासन मांगे जाते थे और उनके उत्तर दिये जाते थे ।

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति । सम्भव है कि माननीय सदस्य की अनुपस्थिति में हम ज्यादा जान गये हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** उम्मीद तो मुझे भी यही है । क्या यह सच है कि नागा विद्रोहियों के इस तरह के कार्यों को अब तक पूर्ण रूप से रोका नहीं गया है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** यह प्रश्न तो कैदियों के बारे में है न कि नागा विद्रोहियों के बारे में ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** श्रीमन्, मैं मंत्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर सुन नहीं पाया ।

†**अध्यक्ष महोदय :** उनका कथन है कि प्रश्न कैदियों के बारे में है न कि नागा विद्रोहियों द्वारा वहां किये जा रहे कार्यों के बारे में ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** श्रीमान्, मेरा नम्र निवेदन है कि मैंने केवल एक विशिष्ट कार्य के बारे में प्रश्न पूछा है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न किसी विशिष्ट तथ्य के बारे में हो तब भी हमें अपने आप को उस तथ्य तक सीमित रखना होता है अन्यथा यह सम्भव है कि हम ऐसे क्षेत्र में चले जायें

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या आनुषंगिक बातें उत्पन्न नहीं होतीं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** आनुषंगिक बातें उत्पन्न होती हैं या नहीं इस बात का निर्णय मुझ पर छोड़ दिया जाना चाहिये ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** श्रीमान्, हम आपके आदेश का पालन करेंगे ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि नागा विद्रोही इन अधिकारियों को रिहा करने के लिये भिन्न-भिन्न जरियों से धन मांग रहे हैं और यदि हां, तो जबकि युद्ध के बन्दियों की रिहाई के लिये धन दिया जाता है तो सरकार ने उनकी रिहाई के लिये इस उपाय को काम में लाने की संभावना पर विचार क्यों नहीं किया है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** बन्दियों को इस तरह रिहा कराना नीति के विरुद्ध है ।

†**श्री दाजी :** क्या सरकार ने उस क्षेत्र के कमान्डेन्ट द्वारा एक पत्रकार वार्ता में भारतीय वायु सेना के अधिकारियों को बर्मा प्रदेश में रखे जाने की जो सूचना दी थी उसके बारे में प्रकाशित समाचार पढ़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात की सचाई का पता लगा लिया है और हमारी वायुसेना के अधिकारी बर्मा प्रदेश में न रोक रखे जायें इसके लिये बर्मा की सरकार के साथ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** मेरा ख्याल है कि मैं यह बता चुका हूं कि हमें रंगून स्थित अपने सैनिक से जानकारी प्राप्त हुई थी कि हमारे दूतावास को खबर लगी है कि नागा विद्रोहियों ने हमारी वायु सेना के अधिकारियों को बर्मा प्रदेश में रिहा कर दिया है । हम ने बर्मा की सरकार से इस समाचार की पुष्टि करने के लिये कहा किन्तु अभी तक इस समाचार की पुष्टि नहीं की गई है । नागा विद्रोहियों ने हमें परेशान करने के लिये ऐसे कई समाचार प्रसारित किये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न ।

†**श्री नम्बियार :** श्रीमान्, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं ने अभी सभा से इस बात की अनुमति प्राप्त की है कि जब कभी मैं अगले प्रश्न का उत्तर देने के लिये कहूं तो मुझे पीछे ले जाने की कोशिश न की जाये । श्री एस० एम० बनर्जी ।

सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि

+

†*८९. श्री आनन्द नम्बियार :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीजरघुनाथ सिंह :
श्री बालकृष्ण वासनिक :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री बासप्पा :
श्री बि० चं० सेठ :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **वित्त मंत्री** १५ मार्च, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री नम्बियार :** क्या यह सच है कि १५० रु० और इस से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कम से कम ७.५० रुपये की वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव था ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** सरकार ने जिस प्रस्ताव की घोषणा कर दी है उसके अनुसार १५० रु० या इससे कम वेतन पाने वालों को १५ रु० महंगाई भत्ता दिया जायेगा । माननीय सदस्य ने जिस प्रस्ताव का उल्लेख किया वह मेरी जानकारी में नहीं है ।

†**श्री नम्बियार :** मेरा प्रश्न यह था कि वर्तमान भत्ता १० रुपये है तो क्या उस में ७।। रुपये और मिलाकर १७।। रुपये महंगाई भत्ता देने का कोई प्रस्ताव था और यदि हां, तो वह कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : अब जो प्रस्ताव है उस के अनुसार निर्वाह-व्यय की ७५ प्रतिशत वृद्धि के सम्बन्ध में राहत दी गई है । वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार निर्वाह-व्यय की ५० प्रतिशत वृद्धि को सन्तुलित करने के लिये वचनबद्ध है । सरकार ने अब निर्वाह-व्यय की ७५ प्रतिशत वृद्धि को सन्तुलित किया है ।

†**श्री नाथ पाई** : जैसाकि वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री को भली भांति विदित है, यह महंगाई भत्ता निर्वाह-व्यय की पूरी वृद्धि को सन्तुलित नहीं करता यद्यपि वेतन आयोग की सिफारिश का मुख्य उद्देश्य यह था कि महंगाई भत्ते को निर्वाह-व्यय की वृद्धि को पूर्ण रूप से सन्तुलित करना चाहिये । क्या सरकार राहत देने के लिये आर्थिक लाभ देने पर नहीं तो किन्हीं अन्य कदम उठाने का सोच रही है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : चूंकि वेतन आयोग ने निर्वाह-व्यय की पूरी वृद्धि के सन्तुलन की कल्पना नहीं की थी इसलिये माननीय सदस्य का कथन सही नहीं है । निर्वाह-व्यय की पूरी वृद्धि का सन्तुलन किसी भी देश में नहीं किया जाता । हम ने निर्वाह-व्यय की ७५ प्रतिशत वृद्धि सन्तुलित कर दी है और हमारा यह उपबन्ध बहुत उदार है । और कोई लाभ देने का प्रस्ताव नहीं है :

श्री प्रकाश वीर शास्त्री: बम्बई और कलकत्ता में सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाता है उस के मुकाबले में दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया गया है उस का स्तर कितना है ? यदि उस से कुछ कम है तो क्यों ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जब से दिल्ली ए० क्लास शहर माना गया है तब से उन में कोई तफरका नहीं है । एक ही तरह से उन लोगों को रखा गया है ।

†**श्री नाथ पाई** : श्रीमन् आप की अनुमति हो तो मैं वित्त मंत्री के उत्तर से उत्पन्न होने वाला एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । चूंकि प्रत्येक योजना के कार्यान्वय के साथ ही देश के निर्वाह का देशनांक बढ़ता जायेगा इसलिये क्या हम यह मान कर चलें कि चूंकि सरकार उन्हें पूरा मुआवजा नहीं देगी इसलिये कर्मचारियों को वास्तविक आय घटती जायेगी ? अगर यह बात है तो हर साल उन की वास्तविक आय घटती रहेगी ।

†**श्री मोरारजी देसाई**: मैं काल्पनिक बातों में नहीं जाना चाहता ।

†**श्री नाथ पाई** : यह बात आप के द्वारा दिये गये उत्तर से उत्पन्न होती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने कोई निश्चित जानकारी नहीं मांगी है । वे जानना चाहते हैं कि यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा ।

†**श्री नम्बियार** : क्या मैं कर्मचारियों ने ऐसी कोई मांग या प्रार्थना की थी कि महंगाई भत्ता उस तारीख से दिया जाये जिस तारीख से महंगाई बढ़ी है या फिर जुलाई, १९६० से दिया जाये जबकि आम हड़ताल हुई थी ?

†**श्री मोरारजी देसाई**: सरकार का इरादा यह भत्ता उसी तारीख से देने का है जिस को यह घोषणा की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कर अपवंचन

†*९०. { **श्री नाथ पाई :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५० से कर अपवंचन का आपात बढ़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले बारह वर्षों में कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ग) सरकार का कर एकत्र करने की व्यवस्था का पुनरीक्षण करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) यह बताना संभव नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री नाथ पाई** : जब भारत सरकार ने प्रोफेसर काल्डोर की सेवायें प्राप्त की थीं तब प्रोफेसर काल्डोर ने अपने प्रतिवेदन में कहा था कि भारत में करों का बहुत ज्यादा अपवंचन होता है और उन का अनुमान था कि यह राशि १५० करोड़ से लेकर ३०० करोड़ रुपये तक हो सकती है । सरकार को यह प्रतिवेदन प्राप्त हुए काफी समय हो गया है और उस में करापवंचन को रोकने के लिये कौन से कदम उठाये जायें यह सिफारिश भी की गई थी । अब सरकार को इस प्रश्न पर कुछ अधिक जानकारी देने की स्थिति में होना चाहिये । क्या करापवंचन में कोई वृद्धि हुई है और क्या सरकार को प्रोफेसर काल्डोर के सुझाव के अनुसार करापवंचन के तरीकों को समाप्त करने में सफलता मिली है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : उक्त प्रतिवेदन स्थिति का एक मूल्यांकन मात्र है । यह जरूरी नहीं कि सरकार प्रतिवेदन में कही गई सभी बातों को स्वीकार करे । दूसरी बात यह है कि इस का कोई सही मूल्यांकन संभव नहीं है क्योंकि आंकड़े और अन्य ब्यौरा उपलब्ध नहीं है । किन्तु मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त कर दूं कि रोकथाम के उपायों तथा आयकर विभाग द्वारा काम में लाये गये नये तरीकों के फलस्वरूप करों की वसूली में काफी वृद्धि हुई है ।

†**श्री नाथ पाई** : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गत तीन वर्षों में वास्तव में कोई सुधार हुआ है और यदि हां, तो वह किस क्रम में है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : करापवंचन का प्रश्न सदा एक गोलमाल प्रश्न रहता है जिस का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जा सकता यदि करापवंचन का ठीक-ठीक पता चल जाये तो वह समाप्त ही हो जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब प्रश्न यह है कि क्या करों की वसूली बढ़ी है ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : इस प्रश्न का उत्तर मेरे सहयोगी ने दे ही दिया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि करों की वसूली में किस हद तक वृद्धि हुई है ।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोरारजी देसाई :** इस के लिये मैं अलग से सूचना चाहता हूं ।

†**श्री हेम बरुआ :** माननीय वित्त मंत्री ने अन्तरिम बजट पेश करते हुए अपने भाषण में कहा था कि करापवंचन रोकने के लिये कर एकत्र करने की व्यवस्था को अधिक कार्यक्षम बना दिया गया है और देश में करों की अधिक वसूली हुई है । माननीय मंत्री किस आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** गत दस वर्षों में कर वसूली में इस प्रकार वृद्धि हुई है । १९५१-५२ में कर वसूली से १८७ करोड़ रुपये प्राप्त हैं जब कि आज यह राशि बढ़ कर २७८ करोड़ रुपये हो गई है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या सरकार ने करापवंचकों के नाम प्रकाशित करने का निश्चय किया है या उन्हें किन्हीं अप्रत्यक्ष कारणों से प्रकाशित न करने का निश्चय किया है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** ये विश्लेषण आवश्यक नहीं हैं । जहां तक संभव हो, प्रश्न में उन का उपयोग न किया जाये ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** किसी भी कारण से ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** नये आयकर अधिनियम में सभी कार्यवाही और पहलू दिये गये हैं । माननीय सदस्य चाहें तो उसे पढ़ कर जानकारी प्राप्त कर लें ।

†**अध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्य इतना ही जानना चाहते हैं कि क्या करापवंचकों के नाम प्रकाशित करने के बारे में कोई प्रस्ताव था या मांग की गई थी और क्या सरकार ने उन के नाम प्रकाशित न करने का निर्णय किया है ।

†**श्री मोरारजी देसाई :** मेरा ख्याल है कि किसी विशिष्ट स्तर तक सजा पाने वाले लोगों के नाम प्रकाशित किये गये हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** सभी लोग पकड़े नहीं जाते या सभी को सजा नहीं मिलती । कुछ लोग पकड़े गये हैं और उन्हें सजा दी गई है । इन में से बहुत से लोग बच जाते हैं । छोटे लोग पकड़े जाते हैं और बड़े लोग बच निकलते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस नयी संसद् में मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे जानकारी प्राप्त करने के बाद भी इस तरह के प्रश्न न पूछते रहें । कभी कभी किसी सदस्य को प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है तो कोई और सदस्य अपनी जगह पर बैठे-बैठे ही प्रश्न पूछते हैं । ये बातें संसदीय प्रणाली के लिये ठीक नहीं हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** श्रीमान्, मुझे खेद है । लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं ने ऐसा नहीं किया ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** श्रीमान् गत वर्ष या उस से एक वर्ष पूर्व माननीय वित्त मंत्री ने उन लोगों को, जिन से करों के रूप में काफी धन वसूल किया जाना था, प्रभावी बकाया राशि का सिद्धांत लागू कर के काफी राहत दी थी । क्या इस कार्यवाही से या स्वेच्छा से बकाया राशि बताने की योजना से जो श्री त्यागी ने लागू करने की कोशिश की थी, करापवंचन के अधिक मामलों का पता लग सका है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोरारजी देसाई :** इस प्रश्न में कई निष्कर्ष हैं जो सरासर गलत हैं । किसी को कोई छूट नहीं दी गई । यदि कोई बकाया राशि वसूल नहीं की जा सकती तो उसका कारण यह है कि या तो सम्बन्धित लोग नहीं हैं या वे हैं तो उन की कोई सम्पत्ति । इसलिये इस बकाया राशि को बट्टे खाते में डाल देना पड़ता है । प्रभावी बकाया राशि का यही मतलब है । इसलिये किसी पर मेहरबानी करने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

†**श्री त्यागी :** क्या सरकार निर्यात और आयात में जहां राशि को कम और ज्यादा बताया जाता ह, करापवंचन को रोकने के लिये कोई कारगर योजना बनाने पर विचार कर रही है ? क्या जानकारी प्राप्त करने के लिये

†**अध्यक्ष महोदय :** यह करापवंचन तो नहीं वरन् कोई और अपवंचन होगा ।

†**श्री त्यागी :** विदेश व्यापार में राशि कम और ज्यादा बता कर करापवंचन किया जाता है । लोग सूचना दिये बिना विदेशों में अपना धन जमा कर देते हैं और कर देने से बच जाते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह बात करापवंचन से सम्बन्ध तो अवश्य रखती है किन्तु वह अप्रत्यक्षतः सम्बन्धित है ।

†**श्री त्यागी :** मेरा प्रश्न स्पष्ट है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि मन्त्री या उपमन्त्री महोदय उत्तर दे सकते हों तो दे दें ।

†**श्री मोरारजी देसाई :** इस बात पर सरकार विचार कर रही है किन्तु इस प्रश्न को हल करना कठिन है ।

श्री म० ला० द्विवेदी: जिस प्रकार से आयकर के बकाया को वसूल करने के लिये एक त्यागी समिति बनाई गई थी और उससे काफी फल निकला था तो मैं जानना चाहता हूं कि अब जो टैक्सों के वसूल करने में ज्यादा संख्या में टालमटोल हो रही है क्या उसके लिये कोई उपाय सोचा जा रहा है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न ।

†**श्री त्यागी :** श्रीमान्, मेरे प्रश्न का क्या हुआ ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उसका उत्तर देना ज़रूरी नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ :** इतने पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं तब भी हमें पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मानीय सदस्य उन पर विस्तार से चर्चा के अन्य तरीके खोज सकते हैं ।

श्री बड़े : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । आनरेबल मेम्बर ने प्रश्न पूछा और मिनिस्टर साहब चुप बैठे रहे । इसके बाद माननीय अध्यक्ष ने अगला प्रश्न पूछने के लिए कहा । माननीय अध्यक्ष या तो इनसिस्ट करते कि मिनिस्टर साहब को क्या कहना है, या वह हाउस को बताते कि इस प्रश्न का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है । चूंकि ऐसा नहीं किया गया, इसलिए हम सब चुपचाप बैठे रहे कि शायद कोई दूसरे माननीय सदस्य प्रश्न पूछेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** मेरी बदकिस्मती यह है कि मैंने जो यह कहा कि इसके आन्सर की जरूरत नहीं है, उसको माननीय सदस्य ने सुना नहीं और अब वह मुझ को सलाह दे रहे हैं। मैं यह कह चुका हूं, लेकिन माननीय सदस्य ने मेरी बात नहीं सुनी।

†**श्री बड़े :** मैंने वह सुना, लेकिन जब मन्त्री महोदय बैठे रहे, तो माननीय अध्यक्ष ने अगला क्वेस्टियन काल किया। उस के बाद जब माननीय सदस्य उठे, तो आपने कहा कि इसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगर मैं चाहता, तो मैं उस वक्त ज़रूर ज़ोर देता कि इसका जवाब दिया जाये, लेकिन मैंने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है। इसी लिये मैं अगले क्वैस्चियन पर चला गया।

उड़ीसा में खनन पट्टे

†*९१. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में खनन पट्टों की रायल्टी को बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना की है; और

(ख) इस प्रार्थना के बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है और क्या समूचे देश के लिये पुरानी दरों का विशेष कर लोहा अयस्क खानों के सम्बन्ध में, पुनरीक्षण करने की वांछनीयता पर विचार किया गया है ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** (क) और (ख). रायल्टी की वर्तमान दरों में शोधन करने के प्रश्न की जांच, न केवल लौह-अयस्क के सम्बन्ध में, अपितु समूचे तौर पर सभी मुख्य खनिजों के सम्बन्ध में, केन्द्रीय सरकार द्वारा आरम्भ की गई है। सभी राज्य सरकारों के सुझाव लिये गये हैं। लौह-अयस्क के बारे में, उड़ीसा सरकार ने प्रारम्भ में किसी वृद्धि की सिफारिश नहीं की थी, मगर बाद में ऐसी सिफारिश की। उनकी तथा अन्य लोगों से प्राप्त सुझावों की अन्तिम रूप में जांच की जा रही है, जो निर्णय किया जाएगा, वह समूचे देश पर लागू होगा।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या यह सच है जैसा कि माननीय मंत्री कहते हैं---कि उड़ीसा सरकार ने रायल्टी में वृद्धि की मांग की है, या रायल्टी के दर में कमी करने का सुझाव दिया गया था ?

†**श्री के० द० मालवीय :** जहां पर लोहा की रायल्टी की दर में वृद्धि का सम्बन्ध है, पहले, उड़ीसा सरकार ने रायल्टी में किसी वृद्धि का प्रस्ताव नहीं किया था। वे चाहते थे कि यह जहां थी वहीं रहे। बाद में---अभी हाल ही में---जब नई सरकार बनाई गई थी---उड़ीसा की सरकार ने लौह-अयस्क पर रायल्टी बढ़ाने का प्रस्ताव किया। अन्य सरकारों के प्रस्तावों के साथ उस प्रस्ताव की भी जांच की जा रही है।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या यह सही है कि कुछ पट्टे बकाया हैं और उसने भारत सरकार से उन बकाया को देने की प्रार्थना की है ?

†**श्री के० दे०मालवीय :** हमारे पास कहीं बकाया जमा होने की सरकारी तौर पर कोई जानकारी नहीं, किन्तु कभी कभी मैं समाचार पत्रों में पढ़ता हूं और मुझे भेजे गये पत्रों में पढ़ता हूं कि कुछ बकाया जमा हो रहे हैं, जिसके बारे में एक या दूसरा पक्ष झगड़ा करता है। इसलिये हम कोई बात निश्चित रूप से नहीं कह सकते।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार द्वारा आरम्भ की गई खनन परियोजनाओं में लाभ में भाग लेने की मांग की है और यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य सरकारों की इस प्रार्थना पर विचार किया है ?

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। क्वैश्चन के दौरान में कोई मिनिस्टर या व्हिप इस तरह से बातचीत कर सकते हैं, जिस तरह से उधर वे कर रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। यद्यपि मैं अनुभव करता हूं कि सचेतकों को कुछ नाजुक काम करना पड़ता है, और उन्हें बार बार इधर उधर जाना पड़ता है, किन्तु फिर भी उन्हें अनुशासन में रहना चाहिये और प्रक्रिया के नियमों का पालन करना चाहिये। उन्हें मार्ग में खड़े होकर एक दूसरे से परामर्श नहीं करते रहना चाहिये।

†**श्री के० दे० मालवीय** : अनुपूरक प्रश्न रायल्टी के इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं रखता; यह एक सामान्य प्रश्न है।

पिछड़े वर्गों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां

*९२. **श्री बाल्मीकी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिगणित जन-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को मैट्रिक के बाद की शिक्षा के लिए मिलने वाली छात्रवृत्तियों के राज्य सरकारों के हाथ में जाने से उन छात्रों को छात्र-वृत्तियों के भुगतान में देर होने के कारण, कठिनाइयां हो रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अपने निर्णय पर पुनः विचार करेगी ताकि यह कार्य केन्द्र सरकार के हाथ में आ जाये ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री बाल्मीकी : अब तक के अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि न केवल मेरे अपने राज्य में बल्कि अनेक अन्य राज्यों में भी जिन की मुझे जानकारी है, अनुसूचित जातियों, जन-जातियों तथा पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने का जो काम राज्य सरकारों को दे दिया गया है, उससे इनके वितरण में देरी तोहो ती ही है, उसके साथ ही साथ उनका वितरण भी सही आधार पर नहीं होता है। अनेक विद्यार्थियों को इस देरी के कारण पहले ही अपनी स्टडी छोड़ देनी पड़ती है। मैं जानना चाहता हुं कि क्या इस प्रकार की शिकायतें माननीय मंत्री जी की जानकारी में आई हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यह सच है कि पहले वर्ष में अर्थात् १९५९–६० में जबकि इस स्कीम का विकेन्द्रीकरण हुआ था, उस वक्त कुछ देरी हुई थी। लेकिन जहां तक मेरी इत्तिला है दूसरे वर्ष से कोई देरी नहीं हो रही है। अगर माननीय सदस्य के पास कोई उदाहरण हों तो वे उनको मेरे नोटिस में लायें और मैं उनकी जांच करूंगा। स्टेट गवर्नमेंट्स से हमें यह पता लगा है कि कोई आवश्यकता से अधिक देरी नहीं हुई है।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : क्या यह सच नहीं है कि बहुत से मामलों में, जिनमें से कुछ को मैं स्वयं जानता हूं, एक वर्ष में दी जाने वाली छात्रवृत्तियां उसी वर्ष में नहीं दी जातीं और वे सभी अगले वर्ष दे दी गई हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जैसा मैंने बताया, मुझे इस बात का पता नहीं है । जैसा कि सभा को पता है, इस सभा में कई माननीय सदस्यों की इच्छा पर इस योजना का विकेन्द्रीकरण किया गया था और अब छात्रवृतियां बांटने के लिये राज्य सरकारें अभिकरण हैं । अब, १९५९–६० में जब योजना का विकेन्द्रीकरण किया गया था, कुछ विलम्ब हुआ था, किन्तु बाद के वर्षों में, जहां तक मैं जानता हूं और जहां तक राज्य सरकारों ने हमें सूचित किया है छात्रवृत्तियां बांटने के मामले में कोई विलम्ब नहीं हुआ । मैंने यह भी कहा है कि यदि माननीय सदस्य मुझे किसी मामले की सूचना देंगे तो मैं निश्चय ही जांच करूंगा और राज्य सरकारों को लिखूंगा । वास्तव में, पिछले वर्ष मैंने मुख्य मंत्रियों को कहा था कि वे इस मामले में निजी दिलचस्पी लें और मुझे मुख्य मंत्रियों ने एक आश्वासन दिया था कि छात्रवृत्तियां बांटने में आगे विलम्ब नहीं होगा । मुझे मा० सदस्यों से केवल इतना निवेदन करना है कि वे ठोस मामलों की सूचना मुझे दे दें ताकि मैं उस मामले में राज्य सरकारों से पूछ सकूं । इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं कर सकता ।

†**डा० पं० शा० देशमुख :** क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने इन छात्रवृत्तियों के वितरण से अपने आप को इतना मुक्त कर लिया है कि कोई व्यक्ति शिकायतों की जांच करने या यह देखने के लिये नहीं है कि जब से यह योजना राज्यों को सौंपी गई है यह कैसे चल रही है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मा० सदस्य सर्वथा गलत कह रहे हैं । केन्द्रीय सरकार ने छात्रवृत्तियों के काम से छुटकारा नहीं लिया । वास्तव में, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को धन दे रही है । मुझ पता नहीं कि सदस्य ने यह निष्कर्ष कैसे निकाला है । मैं यह भी कहूंगा कि यदि उनको किसी मामले का पता है जहां विलम्ब हुआ हो, तो वह उसकी सूचना मुझे दे सकते हैं और मैं अवश्य उसकी जांच करूंगा ।

†**श्री नम्बियार :** क्या उन विद्यार्थियों को भी जिन्होंने स्टैण्डर्ड अंक प्राप्त नहीं किये, उनकी निर्धनता का ध्यान रखते हुए, छात्रवृत्ति देने की सूची में शामिल करने के लिये विचार किया जाएगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यह भिन्न प्रश्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न भिन्न है ।

श्री बड़े : मध्य प्रदेश में किस आधार पर आदिवासियों को स्कालर्शिप्स दिये जांय, क्या इस के बारे में कोई डाइरेक्शन्स दिये गये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मध्य प्रदेश में क्या हो, यह दूसरी बात है ।

†**श्री मं० रं० कृष्ण :** क्या माननीय मंत्री को पता है कि अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के विद्यार्थियों के सम्मेलनों में, बहुत से संकल्प पारित किये गये हैं कि जब से यह उत्तरदायित्व राज्यों को सौंपा गया है, उन्होंने अनिश्चित काल तक छात्रवृत्ति में विलम्ब करने का नियम ही बना लिया है ? क्या केन्द्रीय सरकार के हरिजन सलाहकार बोर्ड में बहुत से ऐसे संकल्प पारित किये गये हैं जिन में शिकायत की गई है कि छात्रवृत्तियां देने में विलम्ब किया जाता है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मुझे एसे किसी संकल्प का पता नहीं है । किन्तु मैं नहीं समझ सकता कि राज्य सरकार कैसे छात्रवृत्तियां बांटने में विलम्ब करने का नियम बना सकती है । (**श्री मं० रं० कृष्ण द्वारा अन्तर्बाधा**)

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इस मामले में, जहां तक छात्रवृत्तियों बांटने के प्रबन्ध का प्रश्न है, हम राज्य सरकारों को धन दे देते हैं। वे इस काम के लिये हमारे अभिकरण हैं। यदि माननीय सदस्यों को कोई ठोस मामलों का पता हो, तो मैं उन की जांच करने को तैयार हूं। मैं और कुछ नहीं कह सकता। मैं प्रयत्न करूंगा कि विलम्ब न हो। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे मुझे स्वयं मिल लें या मुझे लिखें या मैं उन से सम्मेलन कमरे में पृथक मिलने को तैयार हूं और हम इस समस्या का संतोषजनक हल ढूंढ सकते हैं। परन्तु मुझे ठोस मामलों की सूचना मिलनी चाहिये ताकि मैं राज्य सरकारों से पूछ सकूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य इस पेशकश का लाभ उठा सकते हैं।

श्री प० ला० बारूपाल : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल पर आधे घंटे की बहस होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, जब नोटिस आयगा उस वक्त देखा जायगा। श्री हेम बरुआ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** श्री प्र० चं० बरुआ अनुपस्थित हैं। मैं प्रश्न पूछूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह यह प्रश्न नहीं पूछ सकते।

†**श्री श्रीनारायण दास :** मेरा नाम इस प्रश्न संख्या ९३ के लिय दूसरा है।

पुरातत्वीय मूर्त्तियों की चोरी

+

†*९३ { **श्री श्रीनारायणदास :**
श्री प्र० चं०.बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष मार्च में पटना जिला में नालंदा में पुरातत्वीय संग्रहालय से कुछ मूर्तियां चोरी चली गई थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या चीजें चोरी चली गई थीं; और

(ग) चुराई गई वस्तुओं का पता लगाने में कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग). बुद्ध की कांसी की दो मूर्तियां। जांच जारी है।

†**श्री श्रीनारायण दास :** क्या इस बात के कुछ संकेत उपलब्ध हैं कि कुछ लोगों का एक गिरोह है जो अन्य संग्रहालयों से भी ऐसी वस्तुओं की चोरियां करते हैं?

†**डा० म० मो० दास :** इस प्रकार की चोरियां करने के कुछ प्रयत्न हुए हैं जिन से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि शायद एक गिरोह काम कर रहा है।

†**श्री श्रीनारायण दास :** इसे रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

†**डा० म० मो० दास :** पुलिस को सूचित किया गया है और वे उपयुक्त कार्रवाई कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सराफ :** क्या ऐसे मामलों का पहले भी पता चला था जिन में इतनी मूल्यवान मूर्तियां तोड़ी गई हैं और चोरी की गई हैं और विदेशों में भेजी गई हैं और इस का बचाव करने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ताकि ऐसा फिर न हो ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर):** बहुत से विभिन्न कदम उठाये गये हैं। कुछ शिकायतें हैं, खासकर मध्य प्रदेश क्षेत्र से पिछले एक वर्ष या कुछ पहले से। हाल ही में ऐसी शिकायतों की पुनरावृत्ति नहीं हुई जिससे यह पता चलता कि की गई कार्रवाई अपर्याप्त है। हम समूची कार्रवाई बताना नहीं चाहते, क्योंकि उससे कुछ मात्रा तक, की जाने वाली कार्रवाई का उदेश्य समाप्त हो जायेगा। प्रत्येक संभव कार्य किया जा रहा है। परन्तु चोरी की सम्भावना को बिल्कुल खत्म कर देना सम्भव नहीं है। सर्वोत्तम उपायों के होते हुए भी, कभी कभी चोरियां हो जाती हैं परन्तु हम प्रत्येक सम्भव उपाय करते हैं।

आसाम में उपलब्ध प्राकृतिक गैस

†**९४. श्री हेम बरुआ :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंगलिस्तान ने यह पूछा है कि क्या भारत सरकार आसाम के तेल क्षेत्रों से प्राप्त पिघलाई गई प्राकृतिक गैस के संभरण के लिये १५ वर्षों का करार करने को तैयार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पेशकश को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). सवाल पदा नहीं होता।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह बात सही है कि आसाम गैस संसार में सब से सस्ती है, और यदि हां, तो सरकार ने विश्व के बाजार मे इस की संभाव्यता लाने का प्रयत्न क्यों नहीं किया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** निर्यात के लिये कोई गैस उपलब्ध नहीं है। जितनी गैस उपलब्ध होती है वह सारी कुछ उद्योगों को दे दी जाती है, जो चालू की गई हैं। सम्भव है कि अगले दो या तीन वर्षों में, आसाम के तेल क्षेत्रों में से निकलने वाली सारी गैस का उद्योग द्वारा उपयोग किया जायगा। तब निर्यात के लिये गैस फालतू नहीं बचेगी।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या वहां मिलने वाली गैस जला देनी पड़ती है क्योंकि सरकार इस बात का निर्णय नहीं कर सकी है कि क्या इस गैस का उपयोग सरकारी क्षेत्र में हो या गैर-सरकारी क्षेत्र में ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** मैं श्री हेम बरुआ को आकर मेरे साथ बातचीत करने के लिये आमंत्रित करता हूं ताकि मैं उन को समझा सकूं कि इन सब प्रश्नों के सम्बन्ध में स्थिति क्या है, जो वह बार बार पूछ रहे हैं। कम दबाव वाली गैस जलाई जाती है और ऊंचे दबाव वाली गैस का उपयोग कुछ उद्योगों द्वारा किया जाता है, आदि। मैं समझता हूं कि व्यक्तिगत बातचीत से स्थिति का अधिक स्पष्टीकरण हो सकेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बनारस हिन्दू और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

†*८२. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नामों से साम्प्रदायिकता के चिह्न हटा देने के बारे मे इस बीच कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) इस सम्बन्ध में औपचारिकतायें कब तक पूरी कर ली जायेंगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). यह मामला अभी विचाराधीन है ।

ऐवरेस्ट अभियान

*९५. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐवरेस्ट अभियान के निमित्त क्या कोई भारतीय दल भेजा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस अभियान दल के सदस्यों की संख्या क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां, एक भारतीय दल ऐवरेस्ट शिखर पर चढ़ने को भेजा गया है ।

(ख) चौदह ।

फालतू असैनिक माल की बिक्री

†*९६. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा उत्पादन विभाग ने आयुध फैक्टरियों द्वारा तैयार किये गये फालतू असैनिक माल को बेचने के लिये कोई बिक्री संगठन स्थापित किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

प्रविधिक शिक्षार्थियों को ऋण

†*९७. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जरूरतमन्द प्रविधिक शिक्षार्थियों को अपनी शिक्षा पूरी करने में मदद देने के लिए एक ऋण और सहायता निधि स्थापित करने का फैसला किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी, हां।

(ख) ब्योरा तैयार किया जा रहा है ।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र

†*९८. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के विस्तार के लिय जिस प्रकार की इंगलिस्तानी सहायता की पेशकश की गई है; और

(ख) ऋण की शर्तें क्या हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** :(क) और (ख). दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के विस्तार के लिये ब्रिटेन की सरकार ने ऋण देने का प्रस्ताव किया है । ऋण की धनराशि लगभग २०० लाख डालर है और इसके दिये जाने की शर्तों के बारे मे बातचीत की जा रही है ।

रायपुर में विश्वविद्यालय

†*९९. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहजी :**
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में रायपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना की प्रस्थापना के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जो विचार किया जा रहा था वह किस प्रक्रम पर है;

(ख) यदि कोई फैसला किया जा चुका है, तो कब तक विश्वविद्यालय स्थापित होने की आशा है; और

(ग) प्रस्तावित विश्वविद्यालय के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राज्य सरकार को कितनी वित्तीय अथवा प्रविधिक सहायता देगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सिद्धान्त रूप से रायपुर में विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव से सहमत हो गया है । मध्य प्रदेश सरकार को एक पुनरीक्षित विधेयक भेजने को कहा गया है जिस में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशें शामिल की गयी हों ।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नये विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये अनुदान नहीं देता । यह विश्वविद्यालय स्थापित हो जाने के बाद केवल 'विकास' कार्यों के लिये अनुदान देता है ।

मद्रास में भूतत्वीय सर्वेक्षण

†*१००. **श्री उमा नाथ**: क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य के तिरुची जिले में कोई भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). जी हां। विवरण निम्न प्रकार है :

समूचे जिले का प्रावेक्षण मानचित्रण पूरा कर लिया गया है। तिरुची जिले में १४,००० वर्ग किलोमीटर में से १०,००० वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र का १ इंच = १ मील के पैमाने पर मानचित्रण किया गया है। बाकी क्षेत्र का मानचित्रण किया जा रहा है।

अब तक भारत के भूतत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किये गये कार्यों के परिणामस्वरूप जिप्सम, सेलेस्टाइट, चूना पत्थर, मिट्टी के निक्षेपों और चकमक पत्थर, स्फतीयाश्म (फेल्सपार), चाक, बेराइट, इमारती पत्थर, कालम्बाइट, टैन्टेलाइट, कोरन्डम, काला सीसा, लौह-अयस्क, क्वार्ट्ज़ और पोट्सटोन के होने का भी पता चला है।

भूमिगत जल और जल-विज्ञान सम्बन्धी जांच पड़ताल भी की गई है।

मैसूर में सोने के निक्षेप

†*१०१. **श्री फ० हु० मोहसिन** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के धारवाड़ जिला की कप्पट पहाड़ियों में सोने के निक्षेपों का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस मूल्यवान खनिज पदार्थ को निकालने के लिये क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). धारवाड़ जिले में कप्पटगुडा में भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग को कोई नये सोने का निक्षेप नहीं मिले हैं। तथापि, वहां पर सोने के होने के बारे में काफ़ी समय से पता है। भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के हाल ही में कप्पटगुडा में सोने के बारे में परीक्षण नहीं किया है।

यह समझा जाता है कि मैसूर सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि क्या धारवाड़ जिले में कप्पटगुडा की पहाड़ियों में मैसूर की खानों में पुराने कार्यकरण की विस्तृत जांच की आवश्यकता है।

दान कर अधिनियम

†*१०२. **श्रीमती रेणुका राय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि मैसूर उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय दान कर अधिनियम को 'संविधान की शक्ति के परे' ठहराया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अधिनियम में संशोधन करने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है ताकि वह संविधान के क्षेत्राधिकार में आ जाये ?

†**वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी, हां। उपहार-कर अधिनियम, १९५८ को शक्ति-परस्तात नहीं माना गया है। यह 'अधिनियम' जहां तक इसका 'भूमि और इमारतों' के उपहार पर कर लगाने का सम्बन्ध है, संसद् के अधिकारों से परे रखा गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) मैसूर उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में एक अपील दायर करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। इस प्राक्रम में 'अधिनियम' में संशोधन करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मोहिन्दरगढ़ (पंजाब) में इस्पात कारखाना

†*१०३. **श्री अंजनप्पा : क्या इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मोहिन्दरगढ़ (पंजाब) में एक इस्पात कारखाना गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने की मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने की उत्पादन-क्षमता क्या होगी ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पाकिस्तान को कोयले का निर्यात

†*१०४. **श्री मुरारका : क्या खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में पाकिस्तान को कुल कितना कोयला निर्यात किया गया;

(ख) कोयला किस किस्म का था और इसका निर्यात मूल्य कितना था; और

(ग) चालू वर्ष में कितना कोयला निर्यात किये जाने की संभावना है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). भारत पाकिस्तान व्यापार करार में पाकिस्तान को प्रति वर्ष १,५६०,००० टन कोयले के निर्यात की व्यवस्था है जिसमें से ५२ प्रतिशत चुनी हुई श्रेणी 'ख' में है और ४८ प्रतिशत 'प्रथम' श्रेणी में है। पिछले तीन वर्षों में निर्यात निम्न प्रकार रहा :

वर्ष	मात्रा
१९५९	८२१,३१३ टन
१९६०	१,२३३,६५४ टन
१९६१	१,२२०,३०७ टन

औसतन नौ-तल पर्यन्त निःशुल्क/भाड़ा और लागत मूल्य ३२.८१ रुपये से ५० रुपये प्रति टन तक है।

कोलार की सोने की खानें

†*१०५. **श्री हनुमन्तैया : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलार की सोने की खानों को खान और ईंधन मंत्रालय द्वारा चलाये जाने की बजाय वित्त मंत्रालय ने चलाना किन कारणों से पसन्द किया ; और

(ख) खानों के संचालन की प्रभारी व्यवस्था का क्या रूप होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) मंत्रालयों में काम का विभाजन प्रधान मंत्री द्वारा प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर किया जाता है और उन्होंने यह निर्णय किया कि कोलार की सोने की खानें वित्त मंत्रालय द्वारा चलायी जायें।

(ख) खानों को विभागीय उपक्रम के रूप में चलाने का प्रस्ताव है।

कोलार की सोने की खानें

†*१०६. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री हनुमन्तैया :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री बासप्पा :
सरदार अ० सिंह सहगल :
श्री वेंकटासुब्बया :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार मैसूर सरकार से कोलार की खानें कब लेगी; और

(ख) इनकी प्राप्ति के लिये भारत सरकार मैसूर सरकार को प्रतिकर के रूप में या अन्यथा कितनी राशि देगी ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). भारत सरकार और मैसूर सरकार सिद्धान्त रूप से इस बारे में सहमत हो गयी हैं कि ये खानें केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में रख दी जायें। हस्तान्तरण की शर्तों और अन्य व्यवस्थाओं के बारे में अभी बातचीत तै की जानी बाकी है ।

अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण

†*१०७. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समस्त आकस्मिकताओं का सामना करने के लिये पर्याप्त रक्षित सेना बनाये रखने की दृष्टि से अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण देने की किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो योजना का क्या ब्यौरा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). सैनिक प्रशिक्षण के मामले में सरकार अनिवार्यता लागू करने के पक्ष में नहीं है । छात्र संख्या को ऐसा प्रशिक्षण देने के लिए ही, राष्ट्रीय छात्रदल, राष्ट्रीय छात्रदल राइफल्ज़ और सहायक छात्रदल स्थापित हैं, और उनका विस्तार बढ़ाने के लिए हर प्रयत्न किया जाता है । जनसाधारण के लिए, हमारे अधीन क्षेत्रीय और सहायक सेनाएं हैं, जो हमारे सशस्त्रबल के लिए, प्रत्यावृत्ति का काम देती हैं, और लोक सहायक सेना भी, जिसके अधीन, अब तक ६ लाख यक्ति प्रशिक्षण पा चुके हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बीकानेर का भूतत्वीय सर्वेक्षण

†*१०८. **श्री कर्णीसिंहजी :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पैट्रोलियम की संभावनाओं का पता लगाने के लिये राजस्थान में बीकानेर नगर के उत्तर-पश्चिम में कोई भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** जी, नहीं ।

कोयला उत्पादन

†*१०९. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार अ० सि० सहगल :
श्री बासप्पा :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधिमें कोयला-उत्पादन बढ़ जायेगा ;

(ख) क्या यह भी सच है कि आजकल उत्पादित होने वाले कोयले को ढोने के लिये वैगनों की कमी है ; और

(ग) कोयला वहन की कठिनाई दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे मालवीय) :** (क) जी, हां ।

(ख) इस्पात संयंत्रों और कोयला धोने के कारखानों से उपभोक्ताओं को संभरण के अतिरिक्त बंगाल/बिहार क्षेत्रों से उपभोक्ताओं को कोयले के परिवहन में रेलवे परिवहन की कमी है ।

(ग) कोयले के परिवहन में सुधार के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(१) रेलवे द्वारा अधिकतम परिवहन के अतिरिक्त देश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में कोयले का परिवहन कलकत्ता पत्तन के रास्ते रेल-एवं-समुद्र द्वारा आयोजित किया गया है ।

(२) उपभोग के प्रमुख केन्द्रों को ब्लाक रेक्स में परिवहन की व्यवस्था की जा रही है ।

(३) तृतीय योजना में केन्द्रीय भारत में कोयला-क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है ताकि निकट के राज्य अपना संभरण इन क्षेत्रों से प्राप्त कर सकें और बंगाल/बिहार के क्षेत्रों से दूर से परिवहन को दूर किया जा सके ।

(४) विभिन्न राज्यों द्वारा उपयुक्त उपभोक्ता केन्द्रों में कोयले के भंडार बनाये जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(५) कोयले और पत्थर के कोयले को सड़क द्वारा परिवहन में ढील दी जा रही है ।

(६) कोयले के परिवहन के लिये रेलवे की परिवहन क्षमता का शनैः शनैः विस्तार किया जा रहा है और यह विस्तार तृतीय योजना में कोयले के लक्ष्य के रूप में किया जाना है ।

ये सब उपाय उन उपायों के आधार पर हैं जिन पर सरकार द्वारा अब आगे विचार किया जा रहा है ।

नई दिल्ली के लिए पृथक विश्वविद्यालय

*११०. **श्री इ० मधुसूदन राव :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की अधिक बढ़ती हुई, संख्या को ध्यान में रख कर नई दिल्ली में एक पृथक विश्वविद्यालय खोलने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली में एक नये विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ।

बोध गया मन्दिर

†*१११. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त और मरम्मत के अभाव के कारण बोध गया मन्दिर और उस के इर्दगिर्द की इमारतें, जो पुरातत्वीय तथा ऐतिहासिक महत्व की हैं, बिगड़ रही हैं और गया मन्दिर सलाहकार बोर्ड ने इस स्थिति पर भारी चिन्ता व्यक्त की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) और (ख). बोध गया मन्दिर रक्षित स्मारक नहीं है और इस की दशा के बारे में भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

आसाम के तेल पर रायल्टी

†*११२. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री बासप्पा :
श्री हेम बरुआ :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयल इंडिया कम्पनी द्वारा उत्पादित तेल पर आसाम को रायल्टी देने के प्रश्न पर

---

†मूल अंग्रेजी में

कोई समझौता हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो समझौते की शर्तें अन्तिम रूप से क्या रखी गई हैं ; और

(ग) क्या तेल की खोज का कार्य निरन्तर आगे बढ़ रहा है ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** :(क) और (ख). इस मामले पर भारत सरकार और आसाम सरकार द्वारा विचार किया जा रहा ह ।

(ग) आयल इण्डिया लिमिटेड को आसाम सरकार से खोज लाइसेंस प्राप्त हो जाने पर नये क्षेत्रों में तेल की और खोज की जायेगी ।

ई० एन० आई० के साथ समझौता

†*११३ { **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री रघुनाथ सिंह : }

क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार और इटली की Ente Nazaionale Idrocaseuri के बीच हुए करार का पूरा ब्यौरा तैयार हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो मोटे तौर पर सहमति प्राप्त परियोजनाओं की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) योजनाओं की अनुमित लागतें क्या होंगी और उन को आपस में किस प्रकार बांटा जायेगा ?

†**खांन और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी, हां । भारत सरकार और ई० एन० आई० के बीच समझौते पर २९-८-६१ को हस्ताक्षर किये गये थे ।

(ख) इस समझौते में ई० एन०आई० द्वारा दो श्रेणियों में सरकारी क्षेत्रीय पेट्रोल परियोजनाओं के लिये १० करोड़ डालर के ऋण की व्यवस्था है: प्रथम श्रेणी में वे परियोजनायें शामिल हैं जिन के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में सामान्य उपबन्ध किया गया है, जैसे बरौनी से दिल्ली तक और बरौनी से कलकत्ता तक पेट्रोल के लिये परिवहन के लिये पाइप लाइनें बिछाना, गैस प्रभाजन संयंत्र तरल पेट्रोल को बोतलों में भरने का संयंत्र और विवरण सुविधायें, स्नेहन तेल संयंत्र, कच्चा तेल उत्पादन उपकरणों का संभरण और वितरण उपकरण/परियोजनाओं की सूची में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी क्षेत्र में ठेके पर छिद्रण भी शामिल है । दूसरी श्रेणी में अतिरिक्त परियोजनायें आती हैं जैसे, पेट्रो-केमिकल्स और कुछ अन्य जिन के लिये योजना आयोग और अन्य मंत्रालयों से सहमति के लिये परामर्श किया जाना है और जिन के लिये यथा-समय ई० एन० आई० से भी परामर्श किया जाना है । प्रथम श्रेणी के अधीन परियोजनाओं के लिये समय-निर्धारण इस प्रकार है ताकि वे तृतीय योजना काल में पूरी हो सकें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) परियोजनाओं का अध्ययन पूरा होने पर परियोजनाओं की अनुमानित लागत का पता चलेगा।

सिखाये हुए कुत्ते

†*११४. **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहजी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस ने गैर कानूनी शराब की भट्टियों और चोरियों का पता चलाने के लिये सिखाये हुए कुत्ते रखे हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने कुत्ते इस काम के लिये रखे गये हैं और वे किन किन नस्लों के हैं ;

(ग) अब तक कितने मामलों का पता चलाया गया है ; और

(घ) इस दस्ते को रखने पर कितना दैनिक अथवा मासिक आवर्तक व्यय होता है (प्रति कुत्ता व्यय सहित) ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) से (ग) . दो कुत्ते--एक अल्सेशियन तथा एक डोबरमान पिंशर--दिल्ली पुलिस द्वारा खरीदे गये हैं, तथा पुलिस के कार्य में सहायता के लिये प्रशिक्षित किये जा रहे हैं।

(घ) इस दस्ते का प्रयेक कुत्ते पर दैनिक व्यय निम्न प्रकार है :—

भोजन का व्यय	२ रुपये
टौनिक मिला हुआ भोजन	१३ नये पैसे
चिकित्सा	६६ नये पैसे

और कोई खर्चा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि प्रशिक्षण का प्रबन्ध दिल्ली पुलिस के वर्तमान आदमियों द्वारा ही किया जा रहा है।

रूरकेला इस्पात कारखाने में तालाबन्दी

†*११५. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री बालकृष्ण वासनिक :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री कुन्हन :
श्री प्र० चं० बरुआ
श्री अंजनप्पा :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री दाजी :

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री इन्द्रजीत गुप्त :
डा० उ० मिश्र :
श्री अ० सि० सहगल :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री मुरारका :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों को धमन भट्टी विभाग के कुछ कर्मचारियों की अवैध हड़ताल के फलस्वरूप उस विभाग में ४-४-६२ से तालाबन्दी कर देनी पड़ी है ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ; और

(ग) तालाबन्दी के कारण कितनी हानि हुई ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) जी, हां । परन्तु ३ अप्रैल, १९६२ को दिन के ११ बजे से ।

(ख) इस का कारण यह था कि धमन भट्टी विभाग के लगभग ५०० श्रमिकों ने बिना कोई नोटिस दिये अवैध रूप से बैठे रहो हड़ताल कर दी थी । यह शंका थी कि कहीं यह अवैध हड़ताल अन्य विभागों में भी न हो जाये । स्थिति के हिंसात्मक रूप धारण किये जाने की भी संभावना थी जिस में जन और धन की हानि होती ।

(ग) इस कारण हुई हानि का अनुमान हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने लगभग ७८ लाख रुपये लगाया है ।

पूर्व निर्मित मकान

†*११६. श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २६ मार्च, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या २१२ के उत्तर के सम्बंध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर में वाणिज्यिक आधार पर पूर्व-निर्मित मकान तैयार करने के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से अब कोई निर्णय किया जा चुका है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) इस परियोजना पर हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर द्वारा अभी विचार किया जा रहा है ।

भिलाई इस्पात कारखाना

†***११७. श्रीमती मंमना सुल्तान** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी १९६२ में हिन्दुस्तान स्टील और सोवियत संघ के ताजप्रोम एक्सपोर्ट (Tajzprom Export) के बीच भिलाई इस्पात कारखाने के विस्तार के लिये किसी करार पर हस्ताक्षर हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य शर्तें क्या-क्या हैं ; और

(ग) विस्तार योजना की कार्यान्विति में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

भिलाई इस्पात संयंत्र के विस्तार के सम्बन्ध में काम का नक्शा बनाने, उपकरण और सामान का संभरण करने, डिजाइन बनाने, निर्माण, स्थापना, पर्यवेक्षण, संधारण करने और संयंत्र को चलाने के लिये प्रविधिक सहायता देने और रूस में भारतीय विशेषज्ञों और अर्हता-प्राप्त श्रमिकों को प्रशिक्षण देने के बारे में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और रूसी संगठन ताजप्रोम एसवपोटं के बीच ९ फरवरी, १९६२ को एक संविदा हुआ है ।

(ख) संविदा की कुल रकम लगभग ५४ करोड़ रुपये है । संविदा के अधीन रूस से संभरण १९६२ से १९६५ तक किया जायेगा । इन संभरण के लिये १२ समान वार्षिक किस्तों में किया जायेगा और इस पर २½ प्रतिशत ब्याज लगेगा । संविदा में वे भी शर्तें हैं जिन पर भारत में रूसी विशेषज्ञ रखे जायेंगे और रूस मे भारतीय प्रशिक्षार्थी भेजे जायेंगे ।

विस्तार कार्यक्रम के सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्य आरम्भ हो चुका है । विस्तार के लिये निर्माण-कार्य रूस से उपकरण आने पर आरम्भ होगा ।

---

†मुल अंग्रेजी में

नूनमती तेलशोधक कारखाना

†*११८ श्री श्रीनारायण दास :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत् झा आजाद :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री कुन्हन :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री वेंकटा सुब्बया :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम के नूनमती तेल शोधक कारखाने को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिन के परिणामस्वरूप वहां काम बन्द कर दिया गया है ; और

(ख) क्या उन कठिनाइयों को दूर कर दिया गया है जिस से कार्य सुचारु रूप से हो सके ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) कच्चे तेल की पाइप लाइनों के पूरा होने में विलम्ब, पर्याप्त मात्रा में अच्छे किस्म के कच्चे तेल प्राप्त करने में कठिनाई और मिट्टी के तेल का यूनिट और कोकिंग यूनिट की स्थापना में विलम्ब के परिणामस्वरूप कच्चा तेल साफ करने का एकक और अन्य कारखाने अस्थायी रूप से बन्द हो गये ।

(ख) कच्चे तेल के सम्भरण के मामले पर इण्डियन रिफाइनरीज़ लिमिटेड और आयल इण्डिया लिमिटेड के बीच वार्ता चल रही है और अब यह तै हो गया है कि इस परिष्करणी की लगभग ५० प्रतिशत आवश्यकता का संभरण २६-४-६२ से कर दिया जायेगा और मई, १९६२ तक इस की पूरी आवश्यकता पूरी कर दी जावेगी । मिट्टी के तेल का यनिट चालू हो गया है और कोकिंग यूनिट भी चालू होने वाला है ।

सैनिक स्कूल

†*११९ श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक राज्यवार कितने सैनिक स्कूल खोले गये हैं ;

(ख) अगले पांच वर्षों में इस प्रकार के कितने स्कूल खोलने का प्रस्ताव है ; और उन के किन स्थानों पर स्थापित किये जाने की सम्भावना है ;

(ग) संघ सरकार द्वारा इन स्कूलों को क्या सहायता दी जाती है ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(घ) इन स्कूलों के विद्यार्थियों से क्या फीस ली जाती है। (इस में यदि लड़के लड़कियों की फीस में भेद है तो वह क्या है) ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) अभी तक खोले गये सैनिक स्कूलों का ब्योरा निम्न प्रकार है :

महाराष्ट्र	१
पंजाब	२
गुजरात	१
राजस्थान	१
आन्ध्र प्रदेश	१
केरल	१
उड़ीसा	१
पश्चिम बंगाल	१

(ख) मध्य प्रदेश और मद्रास मे एक एक सैनिक स्कूल जुलाई, १९६२ से खोला जायेगा। और इस समय कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं हैं।

(ग) (१) केन्द्रीय सरकार प्रत्येक सैनिक स्कूल के लिये प्रिन्सिपल, हेड-मास्टर और रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्ति के लिये तीन सेवा अधिकारी देने को सहमत हो गयी है। उन के वेतन और भत्ते का व्यय प्रति स्कूल प्रतिवर्ष लगभग ५०,००० रुपये होगा।

(२) आगे भारत सरकार ने कुल बच्चों की संख्या के २० प्रतिशत तक इस समय प्रतिरक्षा सेवाओं के कर्मचारियों के बच्चों के लिये छात्रवृत्ति रखी है।

(३) स्कूल में सभी बालकों को राष्ट्रीय सेना-छात्र दल का प्रशिक्षण दिया जाता है और केन्द्रीय सरकार रेज़िडेन्ट प्रशिक्षक समेत राष्ट्रीय सेना-छात्र दल यूनिटों पर व्यय का सामान्य भाग वहन करती है।

(घ) ट्यूशन, निवास, भोजन, पाठ्य-पुस्तकें, स्टेशनरी, खेलों आदि के समेत स्कूल की फीस लगभग १९०० रुपये प्रतिवर्ष है। सैनिक स्कूलों में लड़कियों के दाखिले की कोई व्यवस्था नहीं है।

कावरी बेसिन में तेल

†*१२०. **श्री उमा नाथ :**
श्री आनन्द नम्बियार :
श्री सेझियान :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कावेरी बेसिन मे तेल की खोज का कार्य इस समय किस अवस्था में है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : कावेरी बेसिन का भूतत्वीय रूप से मान-चित्र-कार्य पूरा हो गया है। इस समय भूम्याकर्षण, चुम्बकीय और भौकम्पिक सर्वेक्षण किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्वाचन याचिकाएं

*१२१ श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री वेंकटा सुब्बया :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के सामान्य निर्वाचनों के सम्बन्ध में कुछ चुनाव याचिकायें दायर की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो लोक-सभा और विधान सभाओं के चुनावों के सम्बन्ध में कुल मिला कर पृथक-पृथक कितनी याचिकायें दायर हुई हैं ?

(ग) क्या सरकार ने इस तरह की कोई पद्धति अपनाने का निश्चय किया है कि ये याचिकायें कम से कम समय मे निबटाई जा सकें ; और

(घ) यदि हां, तो क्या आयोग ने इस तरह के कोई निदेश भी जारी किये हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १७]**

(ग) और (घ). निर्वाचन याचिकाओं को कम से कम समय में निबटाने का उपबन्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा ९०(६) में पहले से ही मौजूद है । निर्वाचन आयोग इस धारा के उपबन्धों की ओर निर्वाचन न्यायाधिकरण का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करता है और इस के अनुसार यह आवश्यक है कि निर्वाचन याचिकाओं को छः मास के अन्दर ही निबटाने का प्रयास किया जाये ।

भिलाई इस्पात कारखाने में रेडियो आइसोटोप का प्रयोग

†*१२२ श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न प्रकार की उत्पादन विधि के नियंत्रण के लिये भिलाई इस्पात कारखाने में रेडियो सक्रिय आइसोटोपों का प्रयोग हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इन का प्रयोग कब से शुरू किया जा रहा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या सरकार का विचार रूरकेला और दुर्गापुर के अन्य दो इस्पात संयंत्रों में भी इनका प्रयोग करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो किस तिथि से ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) और (ख) : जी, हां। जनवरी, १९६२ से ।

(ग) और (घ). यह उत्पादन प्रौद्योगिकी का मामला है रेडियो सक्रिय आइसोटोप अन्य इस्पात संयंत्रों में, जहां तक वे लाभदायक सिद्ध होते हैं, इस्तेमाल किये जायेंगे ।

कोलार की सोने की खानें

†*१२४. **श्री हनुमन्तंया** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलार स्वर्ण क्षेत्र की खानों को मैसूर सरकार से भारत सरकार द्वारा ले लिये जाने पर भारत सरकार को प्रति वर्ष कितना घाटा होगा; और

(ख) खानों के राष्ट्रीयकरण के उपरान्त मैसूर की सरकार को प्रतिवर्ष कितना घाटा हो रहा था ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) यदि खानों से निकाला गया सोना बाजार में बेचा जाये तो सरकार को हानि नहीं होगी बल्कि लाभ ही होगा। तथापि, सरकार ने उस सोने को सरकार रिजर्व में रखने फैसेला किया है ।

(ख) खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद राज्य सरकार १९५८ तक सोने को बाजार में बेचा करती थी। इसके बाद यह केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर लिया जा रहा है परन्तु इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को एक अनुदान दिया जाता है ताकि उनके वित्त में कमी दूर की जा सके। इस व्यवस्था के फलस्वरूप राज्य सरकार को कोई हानि नहीं हो रही है ।

संगीत नाटक अकादमी

†*१२५. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगीत नाटक अकादमी के मन्त्री के विरुद्ध कथित गबन के मामले में आगे क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या इस ज़ामले में ग्रस्त मन्त्री तथा अन्य अधिकारियों से उक्त राशि वसूल करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) यह मामला अभी दिल्ली के न्यायालय में चल रहा है ।

(ख) इस बारे में जो भी कार्यवाही की जायेगी वह न्यायालय के निर्णय के अनुसार होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आसाम में उपलब्ध प्राकृतिक गैस

†*१२६. { **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री लीलाधर कटकी : }

क्या **खान और इंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में अभी तक उपयोग में न लाये जाने वाले प्राकृतिक गैस संसाधनों को विदेशी मुद्रा कमाने का साधन बनाने की कोई सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस दिशा में कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें क्या कठिनाई है ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) से (ग). आसाम की प्राकृतिक गैसे पर आधारित उत्पादों के निर्यात की सम्भावनाओं के बारे में इन्कार नहीं किया जा सकता। क्योंकि कोई भी निर्यात आन्तरिक मांग पर निर्भर करेगा, इस समय यह नहीं बताया जा सकता कि गैस पर आधारित उत्पादों का निर्यात बांछनीय अथवा सम्भव होगा। उपयुक्त समय पर अवाश्यक कदम उठाय जायेंगे।

आसाम के तल पर रायल्टी

†*१२७. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **खान और इंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आइल इण्डिया लिमिटेड और आसाम सरकार के बीच आसाम सरकार को दी जाने वाली रायल्टी के प्रश्न पर विवाद के फलस्वरूप आसाम आइल कम्पनी ने भी तेल की खोज करने के लिये रायल्टी का अब तक प्रचलित दर पर भुगतान करने से इंकार कर किया है;

(ख) क्या इस कारण कुछ बकाया रकम जमा हो गई है, यदि हां, तो कितनी; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में मतभद दूर हो गये हैं, और यदि हां, तो समझौते की क्या शर्तें तय हुई हैं ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, नहीं। आसाम आयल कम्पनी चालू दरों पर रायल्टी देने से इंकार नहीं किया है। तथापि आसाम आयल कम्पनी का रायल्टी निर्धारित करने के लिये कूप मूल्य के निर्धारण के आधार के बारे में आसाम सरकार से मतभेद हैं। ये मतभेद आसाम सरकार और आयल इण्डिया लिमिटेड के बीच विवाद के फलस्वरूप नहीं है।

(ख) आसाम आयल कम्पनी ने वर्ष १९६१ की दूसरी छमाही के लिये ३२४,०४६१ रुपये रायल्टी के रूप में दिये जबकि आसाम सरकार ने ५२३, ६८३ रुपये मांगे थे।

(ग) इन दोनों मतभेदों के बारे में आसाम आयल कम्पनी ने आसाम सरकार द्वारा उनको दिये गये पट्टे के उपबन्धों के आधार पर मध्यस्थ-निर्णय के लिये आसाम के राज्यपाल से कहा है।

†मूल अंग्रेजी में

स्त्रियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय संस्था

†*१२८. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में स्त्रियों की शिक्षा सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य के लिये एक राष्ट्रीय संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कितने खर्चे से ;

(ग) इसे परियोजना की क्रियान्विति में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(घ) यह कब तक स्थापित हो जायेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी, हां ।

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग २० लाख रुपये ।

(ग) और (घ). यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

मद्रास में इस्पात कारखाना

†*१२९. **श्री उमा नाथ :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मद्रास राज्य में सेलम के लौह अयस्क तथा नेवेली के लिग्नाइट पर आधारित एक इस्पात कारखाने की स्थापना की योजना किस प्रक्रम पर है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) :** राज्य सरकार के कहने पर परियोजना की प्राविधिक और आर्थिक सम्भाव्यता निर्धारित करने के लिये नार्वे और जर्मन गणतन्त्र गणराज्य दोनों में आवश्यक परीक्षण किये जाते हैं । राष्ट्रीय धातुकार्मिक प्रयोगशाला, जमशेदपुर में भी कुछ परीक्षण किये जा रहे हैं । इन परीक्षणों का परिणाम प्रतीक्षित हैं ।

तेल की पाइप लाइन

*१३०. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री कुन्हन :
श्री हेम बरुआ :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री अ० सिंह सहगल :

क्या **खान और इंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नतकटिया से नूनमाती तक बनाई जाने वाली प्रस्तावित पाइप लाइन अपने नियत समय पर नहीं बन सकी और उसमें कुछ बाधा आ गई है--

(ख) क्या यह भी सच है कि इससे कारखाने की क्षमता पर भी कुछ प्रभाव पड़ा है ;

(ग) यदि हां, तो इस विलम्ब के फलस्वरूप कितनी हानि हुई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यह पाइप लाइन बनाने वाली कम्पनी कौन थी तथा किन कारणों से वह अपना काम यथा समय न कर सकी; और

(ङ) भविष्य के लिये क्या व्यवस्था सोची गई है जिससे कारखाने में पूरा काम होता रहे ?

खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) आयल इण्डिया लि० और भारतीय शोधनशालाओं लि० के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा इन तथ्यों का परीक्षण किया जा रहा है।

(घ) मैसर्ज़ बर्मा आयल कम्पनी (पाइप लाइन) को नाहरकटिया से बरौनी तक सम्पूर्ण पाइप लाइन का अभिकल्पन (डिजाइनिंग) और निर्माण कार्य सौंपा गया था। पाइप लाइन के निर्माण के लिये मुख्य ठेकेदार मैसेर्ज़ मन्नेसमन्न-सैपेम हैं।

ठेकेदारों द्वारा पाइप लाइन के निर्माण में होने वाली सूचित की गई देरी के निम्नलिखित मुख्य कारण हैं :—

(१) १९६१ में विशष रूप से अधिक तथा असामयिक वर्षा का होना;

(२) ब्रह्मपुत्र नदी में असामान्य बाढ़ों के कारण उत्पन्न होने वाली यातायात सम्बन्धी कठिनाइयां; और

(३) रेल द्वारा कम सुविधाओं की प्राप्ति।

(ङ) पाइप लाइन और तत्सम्बन्धी सुविधाएं पूरी हो चुकी हैं और शोधनशाला की आवश्यकताओं को पूरा किया जायेगा।

कोलार की सोने की खानें

†**१३१. श्री हनुमन्तैया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि कोलार की सोने की खानों से निकाला गया सोना (१) राष्ट्रीयकरण से पहले और (२) राष्ट्रीयकरण के बाद किस को बेचा गया और किन दामों पर ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : राष्ट्रीयकरण से पूर्व और राष्ट्रीयकरण के बाद इन खानों से निकाला गया सोना चालू मूल्य पर खुले बाजार में बेचा जाता था। जुलाई, १९५८ से सारा उत्पादन केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर जो ६२.५ रुपये प्रति तोला है, लिया जा रहा है परन्तु मैसूर सरकार को उनके वित्त में कमी को पूरा करने के लिये एक अनुदान दिया जाता है।

चिट फण्ड का नियंत्रण

†**६७. श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **वित्त** मन्त्री ५ दिसम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच दिल्ली में चिट फण्डों के विनियमन तथा नियन्त्रण के बारे में कोई निश्चय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). मद्रास चिट फण्ड अधिनियम, १९६१ को दिल्ली को संघ प्रशासित राज्य क्षेत्र में लागू करने का प्रस्ताव इस क्षेत्र की सलाहकार समिति की अगली बैठक में रखा जायेगा। अधिनियम के लागू होने पर चिट फण्टों के पंजीयन, ऐसे फण्डों के प्रभारी मूल व्यक्तियों के कृत्यों तथा दायित्वों की परिभाषा, उचित खाते रखने और अंशदाताओं को समय कर और उचित ढंग से राशियों को दिये जाने की वैध व्यवस्था होगी।

दिल्ली नगर निगम की इमारतें

†६८. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम की नई इमारतों का कार्य कब आरम्भ होगा; और

(ख) इमारत की कुल लागत क्या है और उसकी क्या मुख्य विशेषतायें हैं।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) दिल्ली नगर निगम को आशा है कि निर्माण कार्य १८ से २४ मास के भीतर आरम्भ होगा।

(ख) निगम ने ऐसी सात मंजिली इमारतों के निर्माण की अनुमति दे दी है जिनका फर्श दो लाख वर्ग फिट हो। इस योजना में मुख्य कार्यालय की इमारतें, एक परिषद् भवन, एक सभा भवन, शामिल है जिस में एक हजार व्यक्तियों, गराजों, साइकिल स्टेण्डों, आदि के लिए जगह हो। इन इमारतों में निगम के सामान्य विंग के सारे विभाग आ जायेंगे जैसे दिल्ली परिवहन उपक्रम, दिल्ली विद्युत् संभरण-उपक्रम, जल संभरण तथा मैला उत्सर्जन उपक्रम और दिल्ली विकास प्राधिकार। अनुमान है कि इन की लागत, भूमि के मूल्य के अतिरिक्त, लगभग १२२ लाख रु० होगी।

अनुसुचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूची

†६९. **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री सिद्दय्या :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की सूची को दोहराने में अद्यतन क्या प्रगति हुई है; और

(ख) उसका क्या ब्यौरा है ?

†**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों को दोहराने के लिए मध्य प्रदेश को छोड़ कर अन्य सभी राज्य सरकारों से प्रस्ताव मिले हैं। इन पर महापंजीयक और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के परामर्श से विचार किया जा रहा है। भारत सरकार के पास अन्य पिछड़े वर्गों की कोई सूची नहीं है, इसलिए उसे दोहराने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली में बुनियादी स्कूल

†७०. **श्री दी० च० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा दिल्ली में बुनियादी स्कूलों के मूल्यांकन के लिए नियुक्त की गई निर्धारण समिति ने अपने काम को पूरा करने में और क्या प्रगति की है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने कोई रिपोर्ट दी है;

(ग) यदि हां, तो सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) निर्धारण समिति ने उन प्रश्न पत्रों के प्राप्त हुए उत्तरों पर विचार कर लिया है जो बेसिक स्कूलों के संचालन के बारे में थे और स्कूलों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों को भेजे गये थे । निर्धारण समिति ने दिल्ली में बेसिक स्कूलों का दौरा भी किया था ।

(ख) रिपोर्ट तैयार हो रही है ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

अखिल भारतीय वैज्ञानिक सेवा

†**७१. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अखिल भारतीय वैज्ञानिक सेवा के बारे में वैज्ञानिक कर्मचारी समिति ने अपने निष्कर्षों को अन्तिम रूप देने में क्या प्रगति की है;

(ख) समिति की सिफारिशों की मुख्य विशेषतायें क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) समिति अभी अपना कार्य पूरा नहीं कर सकी है । परन्तु आशा करती है कि सिफारिशों को अगस्त, १९६२ तक अन्तिम रूप दे देगी ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

कर की मदें

†**७२. श्री हनुमन्तैया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर की मदें कितनी हैं जिन के अन्तर्गत संघ सरकार अपनी आय प्राप्त करती है; और

(ख) क्या निम्न बातें दर्शाने वाली ऐसी मदों की एक सूची पटल पर रखी जायेगी :

(१) प्रत्येक मद से कितनी आय होती है;

(२) प्रत्येक मद के अन्तर्गत कितने कर्मचारी काम करते हैं; और

(३) प्रत्येक मद के अन्तर्गत कितना वसूली व्यय होता है (अर्थात् वसूली करने में वेतनों, संस्थापन-व्यय, आकस्मिकता, यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता आदि के रूप में कितना व्यय होता है) ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). (१) माननीय सदस्य का ध्यान १९६२–६३ के केन्द्रीय सरकार के आय-व्यय पर व्याख्यात्मक ज्ञापन के अनुबन्ध ३ की ओर आकर्षित किया जाता है । जो पिछली मार्च में संसद् में पेश किया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) (२) प्रत्येक विभाग के सामने दी गई तारीखों को क्लर्कों आदि सहित प्रत्येक विभाग की कर्मचारी संख्या निम्न थी :—

(क) आय कर—३१-१२-६१ को १९,२०९

(ख) केन्द्रीय उत्पादन कर—१-४-६२ को ३२,१३७

(ग) सीमा-शुल्क—१-४-६२ को ५,२२५

(ख) (३) प्रत्येक कर की वसूली पर हुए व्यय के आंकड़े वर्ष १९६२–६३ के लिए केन्द्रीय सरकार के आय-व्यय पर व्याख्यात्मक ज्ञापन के अनुबन्ध ३ में दिये हैं। आय कर विभाग के कर्मचारी प्रत्यक्ष करों की वसूली के लिए हैं और किसी एक प्रत्यक्ष कर की वसूली के लिए ही कोई कर्मचारी नहीं रखे जाते। अतः प्रत्येक प्रत्यक्ष कर की वसूली पर वेतन, संस्थापन व्यय, आकस्मिकताओं, यात्रा भत्ता और दनिक भत्ता, आदि के रूप मे हुए व्यय के आंकड़े नहीं बताये जा सकते।

जीवन बीमा निगम के प्रदत्त बीमे[1]

†७३. **श्री बालकृष्णन वासनिक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में जीवन बीमा निगम के विभिन्न किस्म के कितने और कितनी राशि के बीमे 'प्रदत्त' हुए; और

(ख) पिछले पांच वर्षों में कितने बीमा कृत व्यक्तियों ने अपने पहिले बीमों को 'प्रदत्त' कराने के बाद कितनी राशि के नये बीमे लिए ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

दिल्ली में स्त्रियों का अनैतिक पण्य

†*७४. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में स्त्रियों का अनैतिक पण्य पूर्णतया बन्द हो गया है;

(ख) क्या यह सच है कि १९५६ के अनैतिक पण्य दमन अधिनियम के बावजूद भी कुछ नर्तकियां तथा-कथित व्यापार करती हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) राजधानी में स्त्रियों का अनैतिक पण्य अभी पूर्णतया समाप्त नहीं हुआ है परन्तु इसका जोर काफी कम हो गया है।

(ख) हो सकता है कि कुछ ऐसे मामले हों।

(ग) पुलिस वांछित निगरानी कर रही है। १९५६ के स्त्रियों तथा लड़कियों के अनैतिक पण्य दमन अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत पुलिस का एक डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों के बारे मे कार्यवाही करने के लिए एक विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Paidup Poicies.

केन्द्रीय आर्थिक तथा सांख्यिकीय सेवायें

†७५. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय आर्थिक तथा सांख्यकीय सेवाओं के कर्मचारियों की कितनी संख्या निर्धारित की गई है;

(ख) इन सेवाओं के लिए पहिला चुनाव कब तक होगा;

(ग) क्या सीधे भर्ती करने और विभागीय पदोन्नति देने के लिए कोई प्रतिशत निर्धारित होगा; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) भारतीय सांख्यिकीय सेवा और भारतीय आर्थिक सेवा में अब तक क्रमानुसार १७९ और २९८ पद शामिल किये गये हैं। संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से या विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर नियुक्त किये गये सारे व्यक्ति, जो दोनों सेवाओं की स्वीकृति की तारीख को, अर्थात् १-११-१९६१ को उपरोक्त पदों पर काम कर रहे थे या उन पदों पर उनका अधिकार था, इन सेवाओं की अनेक श्रेणियों में नियुक्त किये जायेंगे। परन्तु उनकी उपयुक्तता संघ लोक सेवा आयोग द्वारा बनाई जाने वाली संवरण समिति द्वारा निश्चित की जायेगी। उपरोक्त पदों की संख्या दोनों सेवाओं में भाग लेने वाले मंत्रालयों द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों को ध्यान में रख कर बढ़ाई या घटाई जा सकती है।

(ख) विचार है कि दो सेवाओं के लिए पहिला चुनाव लगभग छः महीने में होगा।

(ग) और (घ). दोनों सेवाओं के प्रथम श्रेणी के पद केवल पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे उन के अतिरिक्त, दो सेवाओं की अन्य श्रेणियों के लिए सीधी भर्ती निम्न रूप में होगी :—

चतुर्थ श्रेणी—सह-निदेशक :

(१) इस श्रेणी में अन्यूनतम ७५ प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जायेंगे। यह भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित योग्यता परीक्षा से होगी। परन्तु सीधी भर्ती का प्रतिशत कोटा सेवा के आरम्भ में नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे गये अधिकारियों के लिए अधिकतम पांच वर्ष तक अलग रखा जा सकता है। परन्तु ये लोग यदि पद खाली न हों तो नियुक्त नहीं किये जा सकते।

(२) इस श्रेणी में अनधिक २५ प्रतिशत पद सरकारी दफ्तरों में ऐसे सांख्यकीय आर्थिक पदों पर काम करने वालों में से भरे जायेंगे जिन्हें नियंत्रक प्राधिकार ने मान्य माना है। यह प्राधिकार आयोग के परामर्श से ऐसे पदों की सूची करेगा। नियंत्रक प्राधिकार, आयोग के परामर्श से समय समय पर सूची बढ़ा सकता है या उस में परिवर्तन कर सकता है।

तृतीय श्रेणी—उप-निदेशक :

(१) इस श्रेणी में अन्यूनतम ७५ प्रतिशत पद चतुर्थ श्रेणी के ऐसे अधिकारियों को पदोन्नत कर के भरे जायेंगे, जो उस श्रेणी में अन्यनतम चार वर्ष काम कर चुकें हों।

---

†मूल अंग्रेजी में

नियंत्रक प्राधिकार बोर्ड के परामर्श से वरिष्ठता का उचित ध्यान रख कर योग्यता के आधार पर पदोन्नति देगा ।

(२) इस श्रेणी में अनधिक २५ प्रतिशत पद आयोग द्वारा सीधी भर्ती से भरे जायेंगे ।

द्वितीय श्रेणी--संयुक्त निदेशक :

(१) इस श्रेणी में अन्यूनतम ५० प्रतिशत पद तृतीय श्रेणी के ऐसे अधिकारियों को पदोन्नति देकर भरे जायेंगे जो उस श्रेणी में न्यूनतम छः वर्ष तक सेवा कर चुके हों । नियंत्रक प्राधिकार बोर्ड की सलाह से वरिष्ठता का उचित ध्यान रख कर योग्यता के आधार पर पदोन्नति देगा ।

(२) इस श्रेणी में अनधिक ५० प्रतिशत रिक्त पद आयोग द्वारा सीधी भर्ती से भरे जायेंगे ।

आई० सी० एस० अधिकारी

†७६. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १४ अगस्त, १९४७ के बाद बनाये गये पदों पर कार्य करने वाले आई० सी० एस० अधिकारियों के वेतन के निर्धारण के बारे में अन्तिम निश्चय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है ।

कांगों में भारतीय सेना

†७७. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री बाल्मीकी :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री मोहसिन :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल कांगो में कितने भारतीय सैनिक (अधिकारी तथा अन्य सैनिक अलग अलग) और वायु सेना के कर्मचारी हैं;

(ख) उन में अब तक लगभग मरने, घायल होने और लापता होने वालों की अलग अलग कितनी संख्या है, और

(ग) प्रत्येक मामले में मरे व्यक्ति के परिवार को कितना प्रतिकर दिया गया ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) आजकल वायु सेना के २४ अधिकारी और ९३ वायु सैनिक कांगो में हैं। नौ सेना का एक चिकित्सा अधिकारी और

---

†मूल अंग्रेजी में

तीन अन्य कर्मचारी अस्पताल एकक में काम कर रहे हैं। जहां तक सेना के कर्मचारियों का संबंध है, ब्रिगेड ग्रुप की पहली बदली, जिसकी संख्या काफी है, आजकल हो रही है और आशा है कि मई, १९६२ तक पूरी हो जायेगी । सेना कर्मचारियों की संख्या पहली बदली आरम्भ होने से पहिले निम्न थी :—

अधिकारी १९२, जे० सी० ओज० १८५ और अन्य कर्मचारी ५,२८५ । बदली पूरी होने पर आशा है अधिकारियों की संख्य १८९, जे० सी० ओज० की १७८ और अन्य कर्मचारियों की ५,१७३ हो जायेगी ।

(ख) सेना का एक अधिकारी और १४ अन्य कर्मचारी लड़ाई में मारे गये । वायु सेना का १ अधिकारी, ५ सेना अधिकारी, ५ जे० सी० ओज० और सेना के ७२ अन्य कर्मचारी लड़ाई में घायल हुए। सेना का एक अधिकारी लापता है ।

(ग) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १८]**

विदेशी ऋण

†**७८. श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १५ अगस्त, १९४७ से पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्विति के लिए अथवा योजनाओं से बाद की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए किन देशों से ऋण लिया गया है ;

(ख) प्रत्येक देश से कितना ऋण लिया गया है तथा किन कार्यों के लिए लिया गया है ;

(ग) ऐसे प्रत्येक ऋण की यदि कोई शर्तें हैं तो क्या हैं ; और

(घ) इनमें से कौन से ऋणों का पूर्णत: अथवा अंशत: भुगतान कर दिया गया है तथा अंशत: भुगतान में कितनी कितनी रकम का भुगतान किया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (घ). (१) देश वार विदेशी ऋणों जिन के लिए अगस्त १९४७ से समझौते हुए हैं तथा जिन कार्यों के लिए वह लिए गए हैं का विवरण तथा (२) विदेशी ऋणों की अदायगी का विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या १९]**

ऋणों की शर्तें प्रत्येक ऋण के लिए अलग अलग होती हैं तथा माननीय सदस्य का ध्यान "विदेशी सहायता, १९६१" की पुस्तिका में दिए ऋण समझौतों की ओर क्या केन्द्रीय सरकार के १९६२–६३ के आय व्ययक के व्याख्यात्मक ज्ञापन की ओर दिलाया जाता है । इनकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

आम चुनावों के नामंजूर मतदान पत्र

†**७९. श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ तथा १९६२ के आम चुनावों में क्रमश: रिटर्निंग आफिसरों ने गणना के समय निम्न चुनावों के कितने मतदान पत्रों को अमान्य मान कर नामंजूर किया था :

---

†मूल अंग्रेजी में

(१) प्रत्येक राज्य के अलग अलग विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों में ;

(२) प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के संसद् निर्वाचन क्षेत्रों में ;

(ख) क्या चिह्न लगाने की प्रणाली को समाप्त करने अथवा उसमें संशोधन करने का विचार है ; और

(ग) क्या चुनाव आयोग ऐसे किसी भी मामले में अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व राजनैतिक दलों का परामर्श लेगा ?

†**विधि उप मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) यद्यपि आम चुनाव अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों के समाप्त हो चुके हैं परन्तु अभी भी पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश के बर्फीले निर्वाचन क्षेत्रों में होने शेष हैं। चुनाव पूरे हो जाने के बाद १९६२ के आम चुनावों के विभिन्न संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के अमान्य नामंजूर मतदान पत्रों की संख्या के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में कुछ समय लगेगा।

१९५७ के आम चुनावों के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के अमान्य मतों की संख्या बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २०**] विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) चुनाव अयोग चिह्न लगा है को अनावश्यक अथवा अनुचित नहीं समझता है तथा केवल पिछड़े क्षेत्रों अथवा दूरस्थ क्षेत्रों को छोड़ कर और कहीं पर बैलैटिंग पद्धति लागू करना नहीं चाहता है।

(ग) चुनाव आयोग का विचार समय पर राजनैतिक दलों का परामर्श लेने का है कि पद्धति में सुधार किस प्रकार किया जाये और नामंजूर मतदान पत्रों की संख्या किस प्रकार कम की जाये।

दिल्ली में कारों की चोरियां

†८०. **श्री द्वा० ना तिवारी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और नई दिल्ली में हाल के महीनों में कारों की बहुत चोरियां हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामलों की शिकायतें दर्ज हुई हैं तथा १९६१–६२ में कितने मामले खोज लिए गए हैं ?

†**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) १९६२ के पहले तीन महीनों में २३ कार चोरी हुईं थीं जब कि १९६१ के पिछले तीन महीनों में १८ कार चोरी गईं थीं।

(ख) मामले दर्ज हुए	५८	चालान किए गये	९
रद्द कर दिए गए	४	खोजी नहीं जा सकी	३१
		जांच अधीन मामले	१४
सच्चे मामले	५४		५४

परन्तु सभी मामलों में चोरी गई कारें अर्थात् ५४ ढूंढ निकाली गईं हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) पुलिस द्वारा गश्त लगाने के साथ साथ पुलिस सुपरिटेंडेंट के अधीक्षण में एक विशेष स्क्वेड बनाया गया है जो चोरी गई कारों का पता लगाता है तथा जांच के आवश्यक होने पर शीघ्रता करता है ।

ब्रिटिश बैंक दर

†८१. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश बैंक दर में आधा प्रतिशत की कटौती से भारतीय अर्थतन्त्र पर कोई प्रभाव पडा है; और

(ख) यदि हां, तो किस हद तक ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). ब्रिटिश बैंक दर में हाल की कटौती से भारत के अर्थतन्त्र पर कोई विशेष प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

जीवन बीमा निगम का केन्द्रीय कार्यालय

†८२. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के केन्द्रीय कार्यालय को बम्बई से हटा कर किसी ऐसे स्थान पर ले जाने का कोई प्रस्ताव है जहां पर समन्वयन और कुल पर्यवेक्षण का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो किस स्थान पर ;

(ग) क्या इस मामले की पूर्ण रूप से जांच कर ली गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (घ). प्राक्कलन समिति १९६०–६१ ने अपने १३४वें प्रतिवेदन (दूसरी लोक-सभा) में सिफारिश की कि जीवन बीमा निगम के केन्द्रीय कार्यालय को कहीं अधिक केन्द्रीय स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया जाये । उस समिति को इस सिफारिश के बारे में सरकार का उत्तर दे दिया गया है । संभवतः यह मामला अभी उस समिति के विचाराधीन है ।

तेलुगु नाटक को प्रोत्साहन

†८३. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगीत नाटक अकादमी ने वर्ष १९५९–६०, १९६०–६१ और १९६१–६२ में आन्ध्र प्रदेश में तेलुगु नाटक के प्रोत्साहन के लिये कोई अनुदान दिया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष कितना धन आवंटित किया गया ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी, हां ।

(ख) १९५९–६० — २,००० रुपये

१९६०–६१ — ९,००० रुपये (इसमें से ७,००० रुपये आन्ध्र प्रदेश संगीत नाटक अकादमी को इसके सामान्य कार्यों के लिये दिये गये जिसमें नाटक के अलावा संगीत और नृत्य भी शामिल है ।)

१९६१–६२ — ४,००० रुपये ।

आन्ध्र में मध्यम आकार का इस्पात संयंत्र

†८४. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में महबूबाबाद में एक मध्यम आकार का इस्पात संयंत्र स्थापित करने के बारे में सरकार द्वारा नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है; और इस्पात संयंत्र कब तक स्थापित हो जायेगा ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रूरकेला इस्पात संयंत्र में आत्म-हत्या

†८५. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री ५ दिसम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में रूरकेला इस्पात संयंत्र के श्री एस० एन० मिश्र द्वारा की गई कथित आत्म-हत्या के बारे मे पुलिस जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो जांच की क्या उपपत्तियां हैं; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) से (ग). ऐसा समझा जाता है कि पुलिस जांच पूरी हो गई है । प्रतिवेदन की प्रति अपेक्षित है ।

नालन्दा में हुएन शांग का स्मारक

†८६. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ५ दिसम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नालन्दा में हुएन शांग, एक चीनी यात्री, की स्मृति में स्मारक हाल बन कर पूरा हो गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : जी, अभी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कुतुब मीनार के चारों ओर बाड़ लगाना

†८७. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में कुतुब मीनार के चारों ओर हाल ही में लगायी गई लोहे के तारों की बाड़ को हटाना चाहती है क्योंकि समाचार पत्रों में जनता ने यह आलोचना की है कि इससे कुतुब का सौन्दर्य नष्ट हो गया है ; और

(ख) इस मामले में यदि कोई और कार्यवाही की जावेगी, तो उसका क्या ब्योरा है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) और (ख). अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

जनगणना के आंकड़े

†८८. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१ मे मालूम किये गये भारत की कुल जन संख्या के आंकड़े अन्तिम रूप से उपलब्ध हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य वार आंकड़ों का एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) यह आशा की जाती है कि भारत के अन्तिम आंकड़े इस वर्ष के मध्य तक उपलब्ध होंगे ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

वैज्ञानिक अनुसन्धान

†८९. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में मंत्रालय के वैज्ञानिक अनुसन्धान विभाग ने क्या कार्य किये ; और

(ख) किसी उद्योग के विकास में उनका क्या योगदान रहा ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) और (ख). माननीय सदस्य का ध्यान वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् की वार्षिक प्रविधिक रिपोर्ट की ओर आकृष्ट किया जाता है । इस की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

पाकिस्तान से अवैध प्रवेश

†९०. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०–६१ और १९६१–६२ में पाकिस्तान से भारत के पश्चिमी सीमा में अवैध प्रवेश के कितने मामले पकड़े गये ; और

---

†मूल अंगेजी में

(ख) जम्मू तथा काश्मीर, पंजाब और राजस्थान के पृथक पृथक आंकड़े क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

महापण्डित राहुल सांकृत्यायन को सहायता

†९१ { **श्री विभूति मिश्र :**
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री जं० ब० सिंह :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महापण्डित राहुल सांकृत्यायन (जो इस समय कलकत्ता में बीमार हैं) की चिकित्सा के लिए अनुदान की मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या निश्चय किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार महापण्डित राहुल सांकृत्यायन की चिकित्सा के लिए उचित प्रबन्ध एवं आर्थिक सहायता देने पर विचार करेगी ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). उनके इलाज के लिये मंत्रालय ने १,००० रुपयो का अनुदान दिया है और जरूरी हुआ तो आगे की कार्रवाई पर विचार किया जायेगा ।

किसानों को ऋण देने के लिए बैंक

†९२. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार विशेषतः किसानों को दीर्घ-कालीन ऋण देने के लिये एक नया बैंक स्थापित करने की योजना बना रही है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). रक्षित बैंक के परामर्श से एक कृषि विकास वित्त निगम स्थापित करने के प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है। किसानों को दीर्घ-कालीन ऋण देने के लिये कोई और संस्था स्थापित करने का कोई अन्य प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उर्दू भाषा का विकास

†९३. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्दू भाषा के विकास के लिये क्या ठोस कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने तरक्की-ए-उर्दू-जबान के सुझावों पर विचार किया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) "आधुनिक भारतीय भाषाओ का विकास" की योजना के अधीन उर्दूमें पुस्तकें बनाने के लिये अनुदान दिये गये हैं । "सांस्कृतिक संगठनों को अनुदान" के लिये योजना के अधीन उर्दू भाषा के प्रचार और विकास में लगी उपयुक्त संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी गयी है । "निर्धन परिस्थितियो में साहित्यिकों / कलाकारों आदि की सहायता" की योजना के अधीन प्रसिद्ध लेखकों को भी सहायता दी गयी है ।

(ख) इस नाम की किसी सस्था से कोई सुझाव नहीं मिले हैं ।

कानपुर नगर को उच्च श्रेणी का बनाना

†९४. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कानपुर नगर को प्रथम श्रेणी का नगर बनाने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) और (ख). द्वितीय वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण किया जाना एक अच्छी कसौटी है और वह बनी रहनी चाहिये । उस सिफारिश के अनुसार सरकार ने यह फैसला किया है कि केन्द्रीय सराकार के कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति (नगर) भत्ता और मकान किराया भत्ता देने के लिये उन शहरों को प्रथम श्रेणी का नगर बना दिया जाये जिनकी संख्या २० लाख से अधिक है । क्योंकि कानपुर की जनसंख्या १० लाख से भी कम है, इसको इस समय प्रथम श्रेणी का नगर बनाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली प्रशासन

†९५. **श्री मोहन स्वरूप :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के कार्यालयों से ऐसे १२,००० फार्म चोरी हो गये हैं जिनके साथ विक्रय-कर से छूट के लिये आवेदन-पत्र देने होते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने चोरी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिया है ; और

(ग) चोरी का ब्योरा क्या है और अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां ।

(ख) मामले की अभी जांच हो रही है ।

(ग) ३१ मार्च, १९६२ को फार्म 'ग' की ४८० कापियां, जिनमें १२,००० फार्म थे, चोरी हुए पाये गये । अपराधियों को पकड़ने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की गयी है :

(१) एक प्राथमिक जांच की गयी है ।

(२) यह मामला पुलिस, खुफिया विभाग (अपराध) को बता दिया गया है जो मामले की जांच कर रहे हैं ।

(३) जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिये पुलिस ने उचित इनाम देने की घोषणा की है ।

(४) जब भी चुराये गये फार्मों का इस्तेमाल हो और वह यहां भेजे जायें, विभागीय अधिकारी तत्काल कार्यवाही करने के लिये ध्यान रख रहे हैं । संदिग्ध व्यापारियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है ।

(५) 'ग' श्रेणी के फार्म व्यापारियों द्वारा रेलवे रसीद प्राप्त करने में इस्तेमाल किये जाते हैं । चुराये गये फार्मों का दुरुपयोग रोकने के लिये, बैंकों से अनुरोध किया गया है कि जब भी कोई चुराया गया फार्म उन्हें पेश किया जाय, वे फौरन पुलिस को या दिल्ली प्रशासन को सूचित कर दें ।

(६) केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम, १९५६ की धारा ८ की उपधारा (४) के उपबन्धों के लिये चुराये गये सभी फार्मों को पुराने और अवैध घोषित कर दिया गया है । अतः सभी राज्यों के विक्रय-कर आयुक्तों को सूचना भेज दी गयी है और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे इस चोरी के बारे में व्यापक रूप से प्रचार करें और यदि उन्हें कभी इन फार्मों में से कोई फार्म भेजा जाये तो वे दिल्ली प्रशासन को सूचित कर दें ।

(७) नये फार्म दूसरे रंग और दूसरे जल-चिन्ह के साथ छापे जायेंगे ।

(८) विभाग के पास पड़े फार्मों को उप-आयुक्त के कार्यालय में रख दिया गया है जहां इनको दुहरे तालो के भीतर रखा जायेगा ।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों के वेतन-क्रम

९६. **श्री बाल्मीकी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की सभी छावनियों में काम करने वाले भंगी आदि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन-क्रम में विषमता को दूर करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ;

(ख) विभिन्न छावनियों के वेतन-क्रम क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि उन्हें सेवानिवृत्ति सम्बन्धी लाभ भी नहीं मिलते हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) छावनी बोर्डों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो के वाजबी वेतन दरों और इसके साथ अन्य बातों में निर्णय देने के लिए नवम्बर १९५८ में एक राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण नियुक्त किया गया था । अधिकरण के निर्णय को मान लिया गया था और उसे कार्यान्वित कर दिया गया है । भंगियो और अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतनदरों में कोई भिन्नता नहीं है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २१]**

(ग) जी नहीं । उन्हें सहकार्य भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति ग्रेचुटी के रूप में सेवानिवृत्ति संबंधी सुविधाएं प्राप्त हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

चाय उद्योग को कर से विमुक्ति

†**९७. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री २० मार्च, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की चाय संस्था, कलकत्ता की चाय उद्योग को कर से विमुक्ति की मांग के बारे में इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का निर्णय क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** :(क) और (ख). यह प्रश्न विचाराधीन है ।

असिस्टेंटों के वेतन का पुनरीक्षण

†**९८. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १५ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असिस्टेन्टों के आरम्भिक वेतन में पुनरीक्षण की मांग पर इस बीच क्या निर्णय किया गया है ;

(ख) यह मांग ठुकरा दी गयी है या अस्थगित कर दी गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो किस आधार पर ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख) . असिस्टेंटो के वेतन-क्रम में न्यूनतम को २१० रुपये से २२० रुपये करने के लिये केन्द्रीय सचिवालय सेवा चतुर्थ श्रेणी (सीधी भर्ती) संस्था के प्रस्ताव को स्वीकार करना संभव नहीं हो सका है ।

(ग) चालू निर्णय द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया है जिन्होंने सभी पहलुओं पर विचार करके असिस्टेंटों का न्यूनतम वेतन २१० रुपये करने की सिफारिश की थी । सरकार यह नहीं समझती कि न्यूनतम को बढ़ाकर २२० करने के लिये कोई पर्याप्त और ठोस कारण हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कथारा (बिहार) में कोयला धोने का कारखाना

†९९. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कथारा (बिहार) में कोयला धोने का कारखाना स्थापित करने के लिये एक भारत-रूस करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य शर्तें क्या हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). **जी,** हां। कथारा में ३० लाख टन की क्षमता वाले कोयला धोने के कारखाने के लिये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन और नक्शे तैयार करने के लिये राष्ट्रीय कोयला विकास निगम और एक रूसी संगठन के बीच २६-३-६२ को एक करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं। इस परियोजना पर भारत को दिये गये ११२५ लाख रूबल के ऋण में से धन लगाया जायेगा। करार की मुख्य शर्तें निम्न प्रकार हैं :—

(१) परियोजना प्रतिवेदन सभी प्राथमिक आंकड़े प्राप्त होने की तिथि से, यह उनको दे दिया गया है, सात महीनों के भीतर तैयार किया जायेगा ।

(२) प्रतिवेदन में समूचे कथारा कोयला धोने के कारखाने और इसके पृथक यूनिटो के लिये प्रमुख प्रविधिक और आर्थिक आंकड़े शामिल होंगे ।

(३) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भारत में स्थानीय परिस्थितियों और विनियमनों को ध्यान में रखते हुए, रूस में चालू प्रविधिक नमूनों, सिद्धान्त और स्तर पर तैयार किया जायेगा ।

(४) नक्शे मार्च, १९६३ से लेकर मार्च, १९६४ तक के एक वर्ष के भीतर दे दिये जायेंगे ।

जीवन बीमा निगम के क्षेत्र कर्मचारियों को बोनस

†१००. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने क्षेत्र-कर्मचारियों की बोनस की मांग ठुकरा दी है ;

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर; और

(ग) सरकार ने उसके लिये क्या कार्यवाही की है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). जीवन बीमा निगम अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत बनाये गये जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) विनियमन, १९६० के अनुसार निगम के अधिकारियों को बोनस पाने का अधिकार नहीं है, चाहे वे विकास कार्य पर हों, या प्रशासकीय कार्य करते हों। लेकिन क्षेत्र-अधिकारियों को ऐसी कोई सुविधायें प्राप्त हैं, जो निगम के अन्य कर्मचारियों को प्राप्य नहीं हैं। वे सुविधायें हैं : बहुवेतन वृद्धियां, अस्थायी -

†मूल अंग्रेजी में

वेतन–वृद्धि (जो काम अच्छा बना रहने पर स्थायी कर दी जाती है) और बोनस-कमीशन जो कार्य की मात्रा के आधार पर निश्चित किया जाता है ।

टोकियो में एशियाई शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन

†१०१ **श्रीमती मैमूना सुल्तान :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री मं० रं० कृष्ण :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, १९६२ के आरम्भ में टोकियों (जापान) में एशियाई शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा हुई थी और क्या निर्णय किये गये थे ;

(ग) सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया ; और

(घ) भारत संबंधी निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी, हां।

(ख), (ग) और (घ). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(ख) सम्मेलन ने कराची योजना की प्रगति का लेखा जोखा किया और उसे भविष्य में कार्यान्वित करने के तरीकों और साधनों पर चर्चा की। कराची योजना को जनवरी १९६० में सत्रह एशियाई देशो के प्रतिनिधियों ने स्वीकार किया था। उसका उद्देश्य था कि बीस वर्ष के अन्दर अन्दर सार्वभौमिक, अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का एक सातवर्षीय पाठ्यक्रम लागू किया जाये ।

(ग) भारत, अफगानिस्तान, बरमा, कम्बोडिया, लंका , चीन, इण्डोनेशिया, ईरान, जापान, कोरिया, लाओस, मलाया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपाइन, सिंगापुर, थाईलैण्ड और वियतनाम ।

(घ) सरकार यूनेस्को से सम्मेलन का प्रतिवेदन आने की राह देख रही है और उस पर उपयुक्त कार्यवाही के लिये सिफारिशों की जांच करेगी।

माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन

†१०२. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतर माध्यमिक और विश्वविद्यालय पूर्व शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन के लिये माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कितनी सिफारिशों की कार्यान्विति अभी शेष है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को संगठनात्मक प्रणाली, पाठ्यक्रम, शिक्षा के तरीके, शिक्षकों के प्रकार, इत्यादि सम्बंधित विषयों के बारे मे कई सिफारिशें की थीं। उन परस्पर सम्बंधित सिफारिशों का उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा की किस्म को सुधार करना था । उसके बाद से उस स्तर पर शिक्षा की प्रणाली में सुधार करने, उसे विविध बनाने और शिक्षकों के लिये सेवा-पूर्व और सेवा काल के प्रशिक्षणों को अधिक कारगर बनाने, परीक्षा की पद्धति में सुधार करने, अंग्रेजी, विज्ञान और अन्य विषयों की शिक्षा को उन्नत बनाने और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में, प्रयोग तथा गवेषणा को प्रोत्साहित करने के लिये कुछ उपाय किये गये हैं। १७१६५ माध्यमिक स्कूलों में से, ३,६२८ उच्चतर माध्यमिक स्कूल द्वितीय योजना काल की समाप्ति तक नयी प्रणाली के बना दिये गये थे और उन में से २,११५ स्कूल बहुप्रयोजनीय हैं जिन में विविध पाठ्यक्रम पढ़ाये जाते हैं।

दिल्ली के स्कूलों के गरीब विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां

†**१०३. श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **शिक्षा** मंत्री २६ मार्च, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या २०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्धन सहायता निधि से निर्धन परिवारों के उन विद्यार्थियों को मुफ्त पुस्तकों, वर्दी, इत्यादि के रूप में कुछ सहायता या छात्रवृत्तियां दी जाती हैं जो दिल्ली के सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूलो की कक्षाओं में लगातार बड़े अच्छे नम्बरों से पास होते रहते हैं और पांचवीं या आठवीं कक्षा पास करने के बाद विवश होने के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो छात्रवृत्तियां किस प्रकार दी जाती हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). निर्धन सहायता निधि में से निर्धन और योग्य विद्यार्थियों को फीस देने, किताबें खरीदने और कपड़ों के लिये वित्तीय सहायता दी जाती है । साथ ही, निर्धन और योग्य विद्यार्थियों की पूरी और आधी फीस भी माफ कर दी जाती है । यह रियायत हर वर्ष ३१ जुलाई को स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की दस प्रतिशत संख्या को दी जाती है ।

निर्धन सहायता निधि का प्रशासन एक समिति करती है, जिस में स्कूल का प्रधान, दो अध्यापक और तीन विद्यार्थी रहते हैं। स्कूल के प्रधान सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार फीस संबंधी रियासतों की मंजूरी देते है।

एशियाई पुरातत्व सम्मेलन

†**१०४. श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दिसम्बर, १९६१ में एशियाई पुरातत्व के सम्बन्ध में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन की मुख्य सिफारिशों क्या थीं; और

(ग) भारत सम्बन्धी सिफारिशो को कार्यान्वित करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां ।

(ख) मुख्य सिफारिशें थीं :—

(१) भारतीय पुरातत्व में प्रागैतिहासिक नामों की एकरूपता स्थापित करना ;

(२) यदि व्यावहारिक हो, तो हर पांचवें वर्ष एशियाई पुरातत्व के सम्बन्ध में एक सम्मेलन किया जाये और अगली बैठक बुलाने के लिये भारत के पुरातत्वीय सर्वेक्षण में एक सचिवालय स्थापित किया जाये ; और

(३) एशियाई देशों में वैज्ञानिक, विशेषकर, पुरातात्विकों को अनुसंधान कार्य के लिये आने जाने की अधिक सुविधायें जुटाई जायें ।

(ग) भाग (ख) (१) की सिफारिशों की ओर भारत के सभी पुरातात्विकों का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है ।

भाग (ख) (२) की सिफारिश भारत सरकार ने स्वीकार कर ली है ; और

भाग (ख) (३) की सिफारिश पर विचार हो रहा है ।

कला, विज्ञान और तकनीकी के विद्यार्थियों को रोजगार जुटाने में साम्य

†**१०५. श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सलाहकार शिक्षा–बोर्ड ने इस वर्ष की जनवरी की अपनी बैठक में कला और विज्ञान और तकनीकी विषयों के विद्यार्थियों के बीच रोजगार तथा अन्य संभावनाओं में साम्य स्थापित करने के उपाय निकालने पर विचार करने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) मामला अभी विचाराधीन है ।

माध्यमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा

†**१०६. श्रीमती मैमूना सुल्तान :**
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सलाहकार शिक्षा-बोर्ड ने इस वर्ष जनवरी की अपनी बैठक में माध्यमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिये अधिक सुविधाओं की व्यवस्था को तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने की सिफारिश की है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस सिफारिश की कार्यान्विति के लिये अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) जी, हां।

(ख) सभी राज्यों और संघ क्षेत्रों को विचार और कार्यान्विति के लिये वह सिफारिश भेज दी गई है।

प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों का प्रशिक्षण

†**१०७. श्रीमती मैमूना सुल्तान**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के प्रशिक्षण के विस्तार के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में आरम्भ किये गये कार्यक्रम की कार्यान्विति में अब तक क्या प्रगति हुई; **और**

(ख) उसकी कार्यान्विति कितनी शेष रह जाती है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) भारत सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर अध्यापक प्रशिक्षण की सुविधाओं की वृद्धि के लिये एक योजना शुरू की थी। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को इस प्रयोजन के लिये १०० प्रतिशत आधार पर सहायता दी गई है।

इस योजना की प्रगति का राज्य-वार विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २ अनुबन्ध संख्या २२]**

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल की समाप्ति के साथ-साथ योजना की कार्यान्विति भी समाप्त हो चुकी है।

असाधारण हीरा

†**१०८. श्री इ० मधुसूदन राव**: क्या **खान और ईंधन** मंत्री ३० नवम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में पन्ना में मिले ४७ रत्ती वजन के हीरे का मूल्य आंका गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह हीरा कोहनूर से भी बड़ा है ;

(ग) उसका क्या मूल्य आंका गया है;

(घ) क्या सरकार अब उस हीरे का बेचदेगी या अपने पास ही रखना चाहेगी; **और**

(ङ) क्या उसके मूल्य का कुछ प्रतिशत भाग उसको निकालने वाले खनिक को भी मिलेगा?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** (क) से (ङ) तक ४७ रत्ती भार का एक हीरा एक निजी खनिक को मिला था। वह मध्य प्रदेश सरकार के पास जमा कर दिया गया है। अभी तक उसका मूल्य नहीं आंका गया है। आम तौर पर इस प्रकार मिले हुए हीरों को राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा नीलाम कर दिया जाता है और उसके विक्रय से मिली राशि का २० प्रतिशत रायल्टी के रूप में वह राज्य सरकार ले लेती है और शेष राशि हीरा निकालने वाले उसके स्वामी को दे दी जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सिंगारेनी खानों में कोयले का उत्पादन

†१०९. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि सिंगारेनी कोयला खानों में कोयले के उत्पादन में विद्युत् की कमी के कारण बहुत बाधा पड़ती है; और

(ख) यदि हां, तो बिजली का संभरण बढ़ाने के लिए क्या पग उठाने का विचार है और इस पर कितना रुपया खर्च किया जायेगा?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) सिंगरेनी कोयला खानों में बिजली की कमी के कारण अभी तक उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

(ख) तीसरी योजना में इस क्षेत्र से अधिक उत्पादन के लिए बिजली की मांग पर एक अध्ययन दल विचार कर रहा है। उस दल का प्रतिवेदन इस मास मिल जायेगा। उसके मिलने के बाद कोयला खानों को बिजली देने के लिए अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण

†११०. **श्री प० कुन्हन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने १९५९–६० और १९६०–६१ में राज्य तथा केन्द्र के कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण के लिए दी गई राशि में से कुछ राशि बिना खर्च किये वापस कर दी; और

(ख) यदि हां, तो वह राशि प्रति वर्ष कितनी है?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय अनुदानों की राशि जो खर्च नहीं की गई :—

(लाख रुपयों में)

वर्ष	पिछड़ी हुई जातियों की श्रेनी	राज्यक्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र
१९५९–६०	अनुसूचित जातियां	१.७१	४.०६
	अनुसूचित आदिम जातियां	१.६५	५.४९
१९६०–६१	अनुसूचित जातियां	शून्य	८.५७
	अनुसूचित आदिम जातियां	१.८१	१.४

मद्रास राज्य के उद्योगों के लिए कोयला

†१११. **श्री उमानाथ** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य को उद्योगों के लिए कितने कोक (पक्के कोयले) की आवश्यकता है; और

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) क्या राज्य को यह पर्याप्त मात्रा में आवंटित किया और भेजा जा रहा है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) मद्रास राज्य का कोक (पक्के कोयले) का कोटा ११९ डिब्बे प्रति मास निश्चित किया गया है। तथापि मांग इससे अधिक है, जैसा कि लगभग सभी राज्यों में है। यह कोटा विभिन्न उद्योगों के लिए पक्के कोयले की उपलब्धता और रेलवे परिवहन की उपलब्धता को ध्यान में रख कर निश्चित किया गया है।

(ख) जनवरी, फरवरी और मार्च, १९६२ में मद्रास राज्य को पक्के कोयले के क्रमशः ८०, ५७ और ९८ डिब्बे भेजे गये थे।

मद्रास में अतिरिक्त विश्वविद्यालय

†११२. **श्री उमानाथ** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मद्रास सरकार ने अतिरिक्त विश्वविद्यालय शुरू करने के प्रस्ताव भेजे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन का ब्योरा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख). मद्रास सरकार ने मदुरै पर विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजा था और आयोग ने अक्तूबर, १९६० में यह सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया था। मामला अन्तिम निर्णय के लिए मद्रास सरकार के पास है। उसने राज्य में अतिरिक्त विश्वविद्यालय शुरू करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा।

तिरुची में प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज

†११३. **श्री उमानाथ** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में तिरुची पट एक प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज खोलने का प्रस्ताव किस अवस्था में हैं; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने मद्रास राज्य को इस योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) कालेज की मंजूरी दे दी गई है और संस्था शुरू करने के लिए मद्रास सरकार से विस्तृत प्रस्तावों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) कोई विशिष्ट आवंटन नहीं किया गया, किन्तु केन्द्रीय योजना में सब नये प्रादेशिक कालेजों के लिए ५ करोड़ रुपये की कुल व्यवस्था की गई है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

प्रतिरक्षा संगठन पारस्परिक सहायता निधि

†११४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५० में प्रतिरक्षा मुख्यालय में 'प्रतिरक्षा संगठन पारस्परिक सहायता निधि' (डोमा फंड) नामक एक निधि शुरू की गई थी;

(ख) क्या यह निधि कुछ वर्षों के बाद बन्द कर दी गई थी;

(ग) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों ने जो रकम इस निधि में थी, वह उन्हें वापस कर दी गई है;

(घ) क्या यह भी सच है कि सशस्त्र बल मुख्यालय के भूतपूर्व कर्मचारियों को जो इस समय मंत्रालयों/विभागों में काम कर रहे हैं उनकी रकम वापस नहीं की गई; और

(ङ) यदि हां, तो इन्हें उनकी रकम वापस करने के लिए क्या पग उठाये जाने का विचार है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी, हां।

(ख) जी हां, १९५६ में।

(ग) उन सब व्यक्तियों को जिन्होंने अप्रैल, १९५६ के अन्त तक निधि में रुपया दिया था, निधि के प्रशासक निकाय के निर्णय के अनुसार रकम वापस कर दी गई है जिन्होंने अंशदान पहले बन्द कर दिये थे उनमें कुछ को वापस कर दी गई है, शेष को अभी की जानी है।

(घ) अन्य मंत्रालयों / कार्यालयों में स्थानांतरित कर्मचारियों के बारे में भी स्थिति वही है जो भाग (ग) में बताई गई है।

(ङ) प्रतिरक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल मुख्यालय, अन्य मंत्रालयों / विभागों में काम करने वाले व्यक्तियों और सेवा-निवृत्त व्यक्तियों को देय रकमों की अदायगी के प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सहायक आयुक्त

†११५. **श्री अच्युतन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के आयुक्त के अधीन इस समय कितने सहायक आयुक्त काम कर रहे हैं और उनके मुख्यालय क्या हैं, और

(ख) उनमें से कितने अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लिये दस प्रादेशक सहायक आयुक्त हैं जिनके मुख्यालय नई दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, भोपाल, रांची, शिलांग, पूना, बड़ोदा, हैदराबाद, और मद्रास में हैं। इनके अतिरिक्त दिल्ली के आयुक्त के कार्यालय में एक सहायक आयुक्त है।

(ख) तीन अनुसूचित जातियों के और एक अनुसूचित आदिम जाति का है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मंत्रियों द्वारा लिया गया यात्रा भत्ता

†११६. **श्री बालकृष्ण वासनिक :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: १९५७ से १९६२ के बीच अब तक प्रत्येक मंत्री, उपमंत्री और सभा सचिव ने कुल कितना यात्रा और दैनिक भत्ता लिया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** जानकारी इकट्ठी की जा रही है और पटल पर रख दी जायेगी ।

मैसूर में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा

†११७. **श्री बासप्पा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने मैसूर में निःशल्क और अनिवार्य शिक्षा के विकास के लिये केन्द्र से सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सहायता दी गई है या दिये जाने का विचार है ?

†**शिक्षा मंत्री (श्री का० ला० श्रीमाली) :** राज्य सरकारों की पंचवर्षीय योजनाओं में सम्मिलित योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता मंजूर करने की वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार किसी राज्य सरकार के लिये ऐसी सहायता मांगना जरूरी नहीं है; ग्राह्य सहायता का ३/४ अपने आप अर्थोपाय पेशगियों के रूप में दे दी जाती है और अन्तिम अदायगी मंजूरी राज्य सरकारों के व्यय के आंकड़े प्राप्त होने पर जारी की जाती है ।

(ख) १९६२–६३ से आगे प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है :

(१)	लड़कियों की शिक्षा—अनुदान सम्बन्धी विशेष योजना	१०० प्रतिशत
(२)	अध्यापक प्रशिक्षण — अनुदान	१०० प्रतिशत
(३)	प्रारंभिक स्कूलों के लिये अध्यापकों की नियुक्ति अनुदान	५० प्रतिशत
(४)	प्रारंभिक स्कूलों में विद्यार्थियों के लिये छात्र-वृत्तियां अनुदान	७५ प्रतिशत

दिल्ली में विधि तथा व्यवस्था की समस्या

†११८. **श्री बासप्पा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विधि तथा व्यवस्था की समस्या को हल करने के लिये कोई प्रभावोत्पादक कदम उठाये गये हैं ;

(ख) क्या दिल्ली पुलिस का पुनर्गठन किया जाना है ; और

(ग) यदि हां, तो इस का ब्यौरा ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) पुलिस कड़ी निगरानी रख रही है और उसने अपराध रोकने के विभिन्न तरीके अपनाये हैं । पुलिस पैदल, साइकलों और गाड़ियों में दिन रात सारे शहर का गश्त लगाती है । १५०० पुलिस के सिपाही हर रात को गश्त पर लगाये

---

†मूल अंग्रेजी में

जाते हैं। पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में एक केन्द्रीय कंट्रोल रूम है, जो कि सब अविलम्बनीय मामलों की सूचना वायरलेस द्वारा गश्ती गाड़ियों को देता है।

(ख) इस मामले पर यथाशीघ्र विचार किया जायेगा।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विश्व बैंक विशेषज्ञों द्वारा सर्वेक्षण

†११९. **श्री मुहम्मद इलियास :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक विशेषज्ञों ने कलकत्ता नगर के विकास के लिये अपना सर्वेक्षण पूरा कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) विश्व बैंक को कलकत्ता नगर के विकास के लिये सर्वेक्षण करने का काम नहीं सौंपा गया है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्थापित कलकत्ता नगर योजना संगठन ने सवक्षण किया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स, भद्रावती

†१२०. **श्री बासप्पा :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भद्रावती आयरन एण्ड स्टील वर्क्स को निगम में बदल दिया गया है ; और

(ख) इस कारखाने में मख्यत: विशेष इस्पात उत्पादित करने के लिये क्या कदम उठाये गए हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) :** (क) जी हां। ३० जून, १९६१ को एक निगम बनाया गया था क्या इसने १ अप्रैल, १९६२ से मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स, भद्रावती का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया है।

(ख) सरकार को मैसूर सरकार से कारखाने में १५,००० टन वार्षिक उच्च श्रेणी का मिश्र धातु तथा विशेष इस्पात की छड़ें बनाने का प्रस्ताव मिला है। यह उत्पादन उस उत्पादन के अतिरिक्त होगा जिसकी स्वीकृति सरकार ने वार्षिक १०००,००० टन वार्षिक की दी है तथा जिसको ८५,००० टन के बिक्री किये जाने वाले इस्पात में परिवर्तित किया जायेगा।

गुजरात में गैस की पाइप लाइन

†१२१. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में पाइप लाइनों को बिछा कर गैस का संभरण करने की तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की कोई योजना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसकी लागत क्या है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

दिल्ली के चीनियों की गिरफ्तारी

†१२२. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस ने १० अप्रैल, १९६२ को राजधानी में एक चीनी व्यक्ति को गिरफ्तार किया था ;

(ख) यदि हां, तो उसकी गिरफ्तारी के क्या कारण हैं ; और

(ग) अब तक राजधानी में कितने चीनी गिरफ्तार किए गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). विदेशी अधिनियम १९४६ के अधीन दिए गए आदेशों का पालन न करने के कारण २५ मार्च, १९६१ को एक चीनी राष्ट्रजन को गिरफ्तार किया गया था । उसको १० अप्रैल को गिरफ्तार नहीं किया गया था ।

(ख) केवल एक ।

'नाइट' की उपाधि

†१२३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९४६ से अब तक कितने भारतीय नागरिकों ने 'नाइट' की उपाधि त्याग दी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : १३ जुलाई, १९४९ को यह आदेश दिए गए थे कि वंशगत उपाधियों तथा सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों को बहादुरी के लिए दिए गए इनामातों के अतिरिक्त किसी भी भारतीय के नाम पर सरकारी पत्रों में कोई उपाधि नहीं दिखाई जानी चाहिए । परन्तु यह उपाधियां वापस नहीं दी जानी है । केवल इसका सरकारी दस्तावेजों में इस्तेमाल रोक दिया गया है । यह आदेश राजा महाराजाओं पर लागू नहीं किया गया था ।

यू० डी० सी० तथा असिस्टेंटों के पदों का एकीकरण

१२४. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय के अपर डिवीजन क्लर्कों और असिस्टेंटों के पदों के एकीकरण पर सरकार ने विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). सभा में २५ अगस्त, १९६१ को श्री प्र० चं० बरुआ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४९९ के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

इण्डियन नेशनल चर्च

†१२५. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन नेशनल चर्च ने संघ सरकार से कहा है कि भारतीय चर्च अधिनियम, १९२७ (इण्डियन चर्च एक्ट, १९२७) का निरसन किया जाये जिससे भारतीय ईसाइयों पर विदेशी प्रभाव खत्म हो सकें ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : इण्डियन नेशनल चर्च से भारत सरकार को भारतीय चर्च अधिनियम १९२७ का निरसन करने का कोई अभ्यावेदन मिला है । परन्तु अधिनियम ब्रिटिश विधियां (भारत पर लागू होना) निरसन अधिनियम, १९६० के द्वारा पहले ही निरसित हो चुका है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद की शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां

†१२६. **श्री रामहरख यादव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्या सम्बन्धी वर्ष १९६२–६३ में अनुसूचित आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देने के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई ;

(ख) उपरोक्त छात्रवृत्तियां देने के लिए यदि कोई आधार बताया गया है तो वह क्या है ; और

(ग) छात्रवृत्तियों के भुगतान के लिए यदि कोई किस्तें अथवा समय अनुसूची बनाई गई है तो वह क्या है ; और

(घ) विभिन्न राज्यों में उपरोक्त छात्रवृत्तियां कितनी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) संसद द्वारा १९६२–६३ का आय-व्ययक पारित किए जाने के तुरंत बाद चालू वर्ष के लिए धन स्वीकार कर दिया जायेगा ।

(ख) (१) सभी उपयुक्त अनुसूचित आदिम जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं । (२) सभी उपयुक्त अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को तभी छात्रवृत्ति दी जाती है जब वह निर्धारित परीक्षण में पूरे उतरते हैं (अभिभावक की आय सीमा ५००

†मूल अंग्रेजी में

रुपये मासिक से अधिक न हो) । अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को, उनके द्वारा आवेदन पत्र दिए जाने पर, परीक्षण होने पर छात्रवृत्तियां दी जाती है ।

(ग) छात्रवृत्ति योजना की क्रियान्विति १९५९–६० से विकेन्द्रीकृत हो गई है । छात्रवृत्ति को भुगतान की प्रक्रिया तथा उसके लिए समय अनुसूची राज्य सरकारें इस प्रकार निर्धारित करती है जिससे भुगतान शीघ्र हो सके ।

(घ) चालू वर्ष समाप्त हो जाने के बाद १९६२–६३ में दी जाने वाली छात्रवृत्तियां बताई जायेंगी । यह जानकारी राज्य सरकारों से मिल सकेगी ।

स्थगन प्रस्तावों के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय** : विरोधी पक्ष के मुख्य दलों के कुछ सदस्यों से मैं ने बातचीत की है और वह मैं सभा को बताना चाहता हूं । मैं ने उनके सामने एक सुझाव रखा है कि कई बार बहुत सी मामूली बातों के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव भेजे जाते हैं जो वास्तव में सार्वजनिक महत्व के नहीं होते । जब माननीय सदस्य समाचार पत्रों में कोई समाचार पढ़ते हैं तो उन्हें कुछ मामलों के बारे में चिंता सी हो जाती है और वे उनके बारे में उसी दिन कुछ सूचना प्राप्त करना चाहते हैं । लेकिन सूचना प्राप्त करने के और दूसरे तरीके भी हैं । जैसे कि वे यह सूचना अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की सूचना देकर या आंधे घंटे की चर्चा का प्रश्न उठाकर प्राप्त कर सकते हैं । हालांकि अभी यह निर्णय नहीं हो सका है और इस बारे में और भी चर्चा होगी । मेरा विचार है कि स्थगन प्रस्ताव में कुछ निंदा का तत्व रहता है जबकि वास्तव में सदस्यों का वैसा प्रयोजन नहीं होता । लेकिन मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि स्थगन प्रस्ताव वैसे ही रद्द कर दिया जायेगा ।

अतः मेरा विचार है कि किसी सार्वजनिक महत्व के मामले की ओर ध्यान दिलाने के लिये उसकी अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले के रूप में सूचना दी जाये और मंत्री जी वह सूचना दे दें जो उस दिन प्राप्त हो सके । मेरा विचार है कि मंत्री महोदय वह सूचना देने का प्रयत्न करेंगे । यदि उन्हें अधिक समय की आवयकता पड़ेगी तो वह उसका उत्तर अगले दिन भी दे सकते हैं इस प्रकार उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है ।

अतः भविष्य में स्थगन प्रस्तावों की सूचना तभी दी जायेगी जबकि उनकी आवश्यकता वास्तव में होगी । इसलिये मुझे आशा है कि इस बारे में सभा का सहयोग मुझे मिलेगा।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : यदि स्थगन प्रस्ताव साधारण सी बातों के बारे में है तो आप उन्हें रद्द कर सकते हैं । लेकिन सिद्धान्त के रूप में हमें यह नहीं सोचना चाहिये कि वे सभी साधारण सी बातों के बारे में हैं । दूसरी बात यह है कि अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न का उत्तर मिलने में कभी कभी दो दिन भी लग जाते हैं जबकि हम चाहते हैं कि स्थगन प्रस्ताव का उत्तर उसी दिन दिया जाये । तीसरे स्थगन प्रस्ताव का जो महत्व होता है वह अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न का नहीं होता । अतः इस पर फिर से विचार करना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नी० श्री० नायर** (क्विलोन) : क्या आप नई परम्परा स्थापित कर रहे हैं कि स्थगन प्रस्ताव नहीं होना चाहिये । यदि यह ठीक है तो यह एक स्वस्थ लोकतंत्रीय परम्परा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने तो यह नहीं कहा ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाने की सूचनाओं के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय** : दो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय के पास उनकी प्रतियां होंगी । क्या वह जानकारी देना चाहते हैं ।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मेरा विचार था कि आप इसे कल से लागू करेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कोई बात नहीं है । यदि आप कल जानकारी देंगे तो कल ही सही । मैं इन्हें कल के लिये रख देता हूं ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केण्द्रपाड़ा) : मेरी सूचना का उत्तर तो शायद प्रधान मंत्री दे सकते हैं और वह उपस्थित भी हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने इस पर विचार नहीं किया है । मैं इस पर विचार करूंगा ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) चीन और भारत के बीच १९५४ के व्यापार करार के नवीकरण के बारे में दिनांक १ मार्च, १९६२ का चीन का नोट ।

(दो) भारत सरकार का दिनांक ११ अप्रैल, १९६२ का उत्तर ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १६/६२]

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : स्पष्टीकरण की दृष्टि से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री चीन सरकार का २२ अथवा २३ मार्च वाला नोट भी सभा पटल पर रखना चाहते हैं जिसमें चीन सरकार द्वारा भारत सरकार को दी गई सभी प्रकार की धमकियों का उल्लेख है । ऐसा समाचार पत्रों का कहना है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : भारत और चीन के बीच जो भी पत्र-व्यवहार हुआ है वह सभी हम सभा पटल पर रखना चाहते हैं । मैं एकदम तो यह नहीं बता सकता कि क्या वह पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है अथवा रखा जाने वाला है । किन्तु यदि वह सभा पटल पर नहीं रखा गया है तो रखा अवश्य जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं और कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम के अधीन अधिसूचना

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: मैं सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २ सितम्बर, १९६१ की एस० ओ० संख्या २०६० ।

(ख) दिनांक १ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचनाओं संख्या जी० एस० आर० ४५५ में प्रकाशित खनन पट्टे (शर्तों के रूप-भेद) संशोधन नियम, १९६१ ।

(ग) दिनांक ६ मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६५१ में प्रकाशित खनिज (संरक्षण तथा विकास) (पहला संशोधन) नियम, १९६१ ।

(घ) दिनांक २२ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९५१ में प्रकाशित खनिज संरक्षण तथा विकास (दूसरा संशोधन) नियम, १९६१ ।

(ङ) दिनांक ८ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८८० ।

(च) दिनांक १६ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११३३ में प्रकाशित खनिज रियायत (संशोधन) नियम, १९६१ ।

(छ) दिनांक ३० सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११९९ ।

(ज) दिनांक २८ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३०३ में प्रकाशित खनिज रियायत (दूसरा संशोधन) नियम, १९६१ ।

(झ) दिनांक ९ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४४६ में प्रकाशित खनिज रियायत (तीसरा संशोधन) नियम, १९६१ ।

(ञ) दिनांक ३० सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५३१ में प्रकाशित खनिज संरक्षण तथा विकास (तीसरा संशोधन) नियम, १९६१ ।

(ट) दिनांक १० फरवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६६ में प्रकाशित खनिज रियायत (संशोधन) नियम, १९६२ ।

(ठ) दिनांक २७ जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११४ में प्रकाशित खनिज संरक्षण तथा विकास (चौथा संशोधन) नियम, १९६१ ।

(२) कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम, १९५२ की धारा १७ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक १३ जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६० में प्रकाशित कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) संशोधन नियम, १९६२ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये (क) संख्या एल० टी० १७/६२, (ख) एल० टी० १८/६२ (ग) एल० टी० १९/६२ और (घ) से (ढ) क्रमशः एल० टी० २०/६२, तथा (२) के लिये संख्या एल० टी० २१/६२]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा १८ के अन्तर्गत अप्रैल, १९६० से मार्च, १९६१ तक की अवधि के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी० २२/६२]

चावल कूटना उद्योग (विनियमन तथा अनुज्ञप्तियां देना) संशोधन नियम

†**खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : मैं चावल कूटना उद्योग (विनियमन) अधिनियम, १९५८ की धारा २२ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक २० जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९३ में प्रकाशित चावल कूटना उद्योग (विनियमन तथा लाइसेंस देना) संशोधन नियम, १९६१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० २३–६२]

उपाध्यक्ष का निर्वाचन

†**अध्यक्ष महोदय** : डा० राम सुभग सिंह अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : (बरहामपुर) : एक औचित्य प्रश्न है । चार मौलिक प्रस्ताव आये हैं और वे सभी उपाध्यक्ष के निर्वाचन के बारे में हैं। क्या वे सभी एक दूसरे के बाद प्रस्तुत किये जायेंगे और हम किस प्रकार मतदान करेंगे। क्या पहला प्रस्ताव पहले प्रस्तुत किया जायगा और क्या दूसरे प्रस्ताव पहले प्रस्ताव के संशोधन माने जायेंगे ?

†**श्री फ्रेंक एन्थनी** (नाम-निर्देशित—आंग्ल भारतीय) : मैं इस औचित्य प्रश्न का समर्थन करता हूं। नियम ८ के उपनियम (४) के अनुसार तो ये सभी मौलिक प्रस्ताव हैं लेकिन आपको व्यापक अधिकार प्राप्त हैं । सामान्यतः तो सभी प्रस्तावों में एक प्रस्ताव मौलिक माना जाता है और शेष उसके संशोधन । और यही हमारा ध्येय था ।

अब इससे दो प्रश्न उठते हैं । यदि ये संशोधन माने जाते हैं तो पहले आप इन पर मतदान करायेंगे और उस समय आप हमें इस बात का अवसर देंगे कि हम उनका समर्थन करें अथवा उन कारणों का उल्लेख करें जिनके अन्तर्गत हमने ये संशोधन रखे हैं । किन्तु

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री फ्रेंक एन्थनी]

यदि आपने इन्हें मौलिक प्रस्ताव माना तो सभा को वह जानकारी न मिल सकेगी जो कि हम देना चाहते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने एक नियम का उल्लेख किया है और कहा है कि वह विशिष्ट नियम है अतः मुझे उनका पालन करना चाहिये । अतः मैं प्रक्रिया का पूरा पूरा पालन करूंगा । अतः मैं डा० राम सुभग सिंह से कहूंगा कि वह अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

डा० रामसुभग सिंह (विक्रमगंज): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सभा के सदस्य श्री कृष्णमूर्ति राव को इस सभा का उपाध्यक्ष चुना जाये ।

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथरामैया)** : मैं इसका अनुमोदन करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : (बैरकपुर) : स्पष्टीकरण के लिये एक बात पूछना चाहती हूं । क्या अब इस पर मतदान लिया जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं दूसरे प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की भी अनुमति दूंगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : फिर मतदान किस प्रकार होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कार्यसूची में दिये गये क्रम से यदि एक पारित हो गया तो शेष रद्द हो जायेंगे ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : आपको नियम के अवगत करने का अधिकार है । अतः मेरा सुझाव है कि आप एक प्रस्ताव को मौलिक प्रस्ताव माने और शेष को संशोधन तथा संशोधनों को आप पहले रखें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका अभिप्राय तो यह हुआ कि पहली प्रक्रिया बिल्कुल ही बदल दी जाये । अब पहले दूसरा संशोधन रखा जायेगा ।

†**श्री फ्रेंक एन्थोनी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि इस सभा के सदस्य श्री जयपाल सिंह को इस सभा का उपाध्यक्ष चुना जाये ।"

†**डा० ल० म० सिंघवी** : (जोधपुर) : मैं इसका समर्थन करता हूं ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि इस सभा के सदस्य श्री जयपाल सिंह को इस सभा का उपाध्यक्ष चुना जाये ।"

† **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : मैं इसका अनुमोदन करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

"कि इस सभा के सदस्य श्री जयपाल सिंह को इस सभा का उपाध्यक्ष चुना जाये।"

†**श्रीमती वासुदेवन नायर** (अम्बलपुजा) : मैं इसका अनुमोदन करता हूं।

†**श्री प्रिय गुप्त** : (कटिहार) : माननीय सदस्य को देखना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अभी मने दूसरा-तीसरा तथा चौथा प्रस्ताव सभा के सामने नहीं रखा है।

†**श्रीफ्रेंक एन्थनी** : नियम के अनुसार जो सदस्य प्रस्ताव प्रस्तुत करता है वह केवल वक्तव्य दे सकता है जब कि अन्य सदस्यों के साथ यह बात लागू नहीं होती। नियम ८ के उप-नियम (३) में इस बात का उल्लेख मिलता है। इसलियें हम चाहते हैं कि दूसरे पक्ष के लोग हमारी बात सुने और यह जान सकें कि हमने श्री जयपाल सिंह को क्यों खड़ा किया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरी कठिनाई यह है कि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के चुनाव के बारे में विशिष्ट नियम है। मैं इन प्रस्तावों को सामान्य प्रस्तावों का स्तर नहीं दे सकता। अतः इन चुनावों के लिये जो प्रक्रिया अपनाली गई है उसी का पालन किया जायेगा। मैं कोई नई प्रक्रिया नहीं अपना सकता। अतः जब एक प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता हो तो शेष प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं रहती। और उसके बाद यदि माननीय सदस्य चाहें तो कुछ कह सकते हैं।

†**श्री फ्रेंक एन्थनी** : फिर क्या फायदा।

†**अध्यक्ष महोदय** : और कोई जानकारी नहीं है।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अन्य दो प्रस्ताव भी ऐसे ही हैं।

अब मैं प्रस्ताव सभा के समक्ष रखूंगा .....

†**श्री नाथपाई** : (राजपुर) : आपकी बात तो मैंने समझ ली है। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि हाउस ऑफ कामन्स में यह परम्परा है कि अध्यक्ष के चुनाव के समय वाद-विवाद की अनुमति दी जाती है। अभी हाल में जब इंगलिस्तान में हॉउस ऑफ कामन्स में अध्यक्ष का चुनाव हुआ था तो वहां यह आपत्ति उठाई गई थी कि वहां सरकारी तथा विरोधी पक्षों में आपस में परामर्श नहीं हुआ था। इस पर सरकारी पक्ष से इसका जवाब दिया गया था। अतः हमारा यह निवेदन है कि हमें इस बात का अवसर दिया जाये कि हम यह बता सकें कि हमने श्री जयपाल सिंह को क्यों खड़ा किया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : परम्परा तो वहां स्थापित की जाती है जहां कि नियम नहीं होते। यदि यह नियम इंगलैंड की परम्परा से भिन्न है तो मैं उस परम्परा को किस प्रकार अपना सकता हूं। इसलिये जब हमारे यहां नियम है तो मैं उस नियम का ही पालन करूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

इसलिये अब हम पहला प्रस्ताव लेते हैं :—

"कि इस सभा के सदस्य श्री कृष्णमूर्ति राव को इस सभा का उपाध्यक्ष चुना जाये।"

जो इसके पक्ष में हैं वे 'हां' कहें।

†**कुछ माननीय सदस्य :** हां।

†**अध्यक्ष महोदय :** जो इसके विपक्ष में हैं वे "नां" कहें।

†**कुछ माननीय सदस्य :** "ना"।

†**अध्यक्ष महोदय :** "हां" कहने वालों की संख्या अधिक है।

†**कुछ माननीय सदस्य :** जी नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :—

"कि इस सभा के सदस्य श्री कृष्णमूर्ति राव को इस सभा का उपाध्यक्ष चुना जाये।"

लोक सभा में विभाजन हुआ

पक्ष में २५८ और विपक्ष में ९७ मत आये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं घोषित करता हू कि श्री कृष्णमूर्ति राव इस सभा के उपाध्यक्ष चुने गये हैं।

†**डा० रानेन सेन** (कलकत्ता पूर्व) : वह कृपा करके हमारे सामने आयें ताकि हम उन्हें देख सकें।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री कृष्णमूर्ति राव आकर उपाध्यक्ष का स्थान ग्रहण कर सकें ताकि माननीय सदस्य उन्हें देख सकें।

इसके पश्चात् (श्री कृष्णमूर्ति राव ने उपाध्यक्ष का स्थान ग्रहण किया)

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी यह प्रार्थना कर चुका हूं कि आप अपने आदेश और घोषणायें हिन्दी में भी देने की कृपा करें। आप ने अभी इतने बड़े चुनाव का परिणाम सुनाया है। यदि वह हिन्दी में भी सुना दिया जाता, तो बड़ा भारी लाभ हो सकता था। हम लोगों की सुविधा का भी ध्यान रखा जाना चाहिये। क्या हम लोग यहां पर नहीं बैठे हुए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं हिन्दी में भी सुना देता हूं।

श्री कृष्णमूर्ति राव इस सदन के डिप्टी स्पीकर चुने गए हैं।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : यह भी सुना दीजिये कि वह विरोधी दल में शामिल हो गए हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपाध्यक्ष का अभिनन्दन

†**अध्यक्ष महोदय :** इस गौरवान्वित सदन में उपाध्यक्ष पद के उच्च आसन पाने पर मैं श्री कृष्णमूर्ति राव का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उनको काफ़ी समय से जानता हूं। वे अस्थायी संसद के भी सदस्य थे। लगभग १० वर्ष से वे राज्य सभा के डिप्टी चयरमैन भी थे। इस प्रकार उनको सभापति के रूप में कार्य करने का काफ़ी व्यापक अनुभव है। उनके काम से सभी दलों और वर्गों को सन्तोष रहा है। अब वे लोक सभा में आये हैं अतः हमें भी उनके अनुभव से लाभ मिलेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मुझे ऐसे सहयोगी मिल गये हैं। जिन में मुझे पूर्ण विश्वास हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य भी उन्हें पूर्ण सहयोग देंगे। अंत में मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं।

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड़) : श्री कृष्णमूर्ति राव को उपाध्यक्ष चुने जाने पर मैं उन्हें बधाई देता हूं। साथ ही मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह निर्वाचन प्रतिवाद सिद्धान्त के आधार पर था न कि व्यक्तिगत आधार पर। आपके चुनाव के समय भी जैसा कि मैंने कहा था कि यदि विरोधी दलों से परामर्श ले लिया जाता तो अच्छा होता, वही बात मैं अब भी कह रहा हूं कि यदि विरोधी सदस्यों से परामर्श ले लिया होता तो यह प्रतियोगिता होती ही नहीं। परामर्श हम से किया भी गया तो वह ऐसी दशा में कि हमसे कहा गया कि हम अपने प्रार्थी का नाम वापस ले लें। नामांकन पत्र भेजने के बाद ही वे हमारे पास आये। और हम से कहा कि हम नाम वापस ले लें। यह तो एक प्रकार से हमारी भावनाओं का अपमान करना ही है। ऐसे अवसरों पर विरोधी दलों से परामर्श कर लेना उनको महत्व देने के समान है। अतः मैं श्री कृष्णमूर्ति राव को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि यह प्रतियोंगिता व्यतिगत आधार पर न हो कर केवल सिद्धान्त के आधार पर ही थी अतः उन्हें हमारे बारे में कोई गलत धारणा न बना लेनी चाहिये। हम चाहते हैं कि वह विरोधी दलों के प्राधिकारों एवं विशेषाधिकारों की रक्षा करेंगे। मैं अपने दल की ओर से पूरे पूरे सहयोग का उन्हें बचन देता हूं।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : श्री कृष्णमूर्ति राव को बधाई देते हुए मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह प्रतियोगिता न तो उनके खिलाफ ही थी और न इस पद के विरुद्ध ही। मैं उन्हें तब से ही जानता हूं जब कि मैं राज्य सभा का सदस्य था। मैं आशा करता हूं कि यहां भी वे उन्ही परम्पराओं का निर्माण करेंगे जो कि उन्होंने राज्य सभा में की थी। यह प्रतियोगिता केवल इसी आधार पर थी कि सत्तारूढ़ दल हमारे साथ सहयोग करने के लिये बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वैसे तो मान्यता प्राप्त दल कोई भी नहीं है लेकिन हमारी संयुक्त शक्ति ने मिल कर यह सिद्ध कर दिया है कि मान्यता प्राप्त विरोधी दल बनने के लिये जितनी शक्ति की आवश्यकता है उससे कहीं अधिक हमारी शक्ति है। सफल लोकतंत्रीय प्रणाली में अच्छा तो यह होगा कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्राक्कलन समिति तथा लोक लेखा समिति के सभापति पद पाने के लिये सभी सदस्यों को छूट हो चाहे वह किसी भी दल का क्यों न हो। अतः अब वह समय आ गया है जब कि सत्तारूढ़ दल को यह सोचना चाहिये कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष पद किसी विरोधी दल के सदस्य को मिले। इन शब्दों के साथ मैं श्री कृष्णमूर्ति राव को बधाई देता हूं।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय) : अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद ही ऐसे दो पद हैं जो विवाद से परे होने चाहिये। यहां तक कि अध्यक्ष के चुनाव में जरा भी सौहाद्रता

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री फ्रेंक एन्थनी]

से काम नहीं लिया गया है। उपाध्यक्ष के चुनाव के लिये भी एक पक्षीय निर्णय रहा है। यदि मुख्य सचेतक हम से कहते तो हम कभी भी इन्कार न करते। और श्री कृष्णमूर्ति राव का नाम स्वीकार कर लेते। मेरा यही निवेदन है कि श्री राव यह न समझें कि हमने उनका व्यक्तिगत आधार पर विरोध किया है। मैं तो उनका इस उच्च पद पर--आसीन होने पर स्वागत करता हूं।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का विश्वास . . .

†**श्री नम्बियार** (तिरुचिरापल्लि) : अंग्रेजी में बोलिये।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं नहीं बोल सकता अंग्रेजी में। आप इग्लैंड चले जाइये। आप को बहुत तकलीफ मिलेगी। मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि जो उपाध्यक्ष चुने गये हैं उन से हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे। परन्तु मुझे खेद है कि सत्ताप्राप्त पार्टी दूसरों के साथ सहयोग नहीं करना चाहती, उन से पूछना नहीं चाहती। मैं तो कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार सदन के अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुने गये थे उसी प्रकार से उपाध्यक्ष को भी चुना जाना चाहिये था। इस में हमारे सदन की प्रतिष्ठा थी। चूंकि उपाध्यक्ष का सब सदस्यों के साथ सम्पर्क होता है इसलिये इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं आनी चाहिये थी। इस प्रकार के पदों के लिये सबका सहयोग प्राप्त करना चाहिये। मैं आशा करूंगा कि कम से कम आगे चल कर ऐसा नहीं किया जायेगा। श्री कृष्णमूर्ति राव जो इस पद के लिये चुने गये हैं, हम उन से पूर्ण सहयोग करेंगे। परन्तु यदि कोई हिन्दी भाषी व्यक्ति इस पद के लिये चुना जाता तो और भी अधिक अच्छा होता। दूसरी पार्टियों के होते हुए भी देश की आम समुन्नति के लिये जिस पार्टी के हाथ में आज सत्ता है, हम उस से सब प्रकार से सहयोग करना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम सहयोग नहीं करना चाहते। सिद्धान्तों में मतभेद हो सकता है किन्तु फिर भी हम उन से सहयोग करेंगे। इसलिये जब कभी ऐसा अवसर आगे आये तो दूसरी पार्टियों के सदस्यों से, चाहे वे थोड़े ही क्यों न हों, अवश्य पूछ लिया जाये। इसी तरह से आप देश में एकता को बढ़ा सकते हैं।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष महोदय के पद के चुनाव किसी दलीय नीति पर अवलम्बित नहीं है। इसलिये किसी दल से परामर्श लेने का प्रश्न तो उठता ही नहीं। यहां तक कि हमारे दल ने भी कोई ऐसा संकल्प पारित नहीं किया था कि अध्यक्ष हमारे दल का होना चाहिये। नाम सुझाये गये थे जिन से बाद मे चल कर सम्पूर्ण सभा सहमत हो गई थी। जैसा कि विरोधी दल के सदस्य ने सुझाव दिया है कि अध्यक्ष के नाम का अनुमोदन कोई विरोधी दल का सदस्य करता तो बात काफी प्रतिष्ठा की होती। किन्तु फिर भी मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह मामला किसी दलीय नीति पर आधारित नहीं था।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची–पश्चिम) : भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में यह पहिला अवसर है जब कि सभी विरोधी सदस्य एक साथ मिले हैं। यह एक बहुत अच्छी बात है ।

मुझे पूर्ण आशा है कि श्री कृष्णामूर्ति राव यहां भी अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप काम करेंगे । अतः मैं उन्हें बधाई देता हूं । साथ ही यह आशा करता हूं कि भविष्य में सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक ऐसे अवसरों पर विरोधी दल के सदस्यों से अवश्य ही परामर्श किया करेंगे ।

हम चाहते हैं कि हमारे यहां भी स्वस्थ्य लोकतंत्रीय परम्पराओं की स्थापना हो । अतः सभा के नेता यह ध्यान रखेंगे कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का चुनाव विरोधी सदस्यों में से किया जायेगा । यदि लोकतंत्रीय संसदीय प्रणाली को पनपना है तो आवश्यकता इस बात की है कि संसद् में भी भावनात्मक एकता हो। मैं एक बार फिर श्री कृष्णमूर्ति राव को बधाई देता हूं ।

†**श्री कृष्णमूर्त्ति राव** (शिमोंगा) : मुझे उपाध्यक्ष बनाने के लिये मैं सभा का आभारी हूं । इस सभा में जो उच्च परम्पराएं एवं प्रथाएं स्थापित हो चुकी हैं उन की मुझे जानकारी है । आपने तथा विरोधी दल के नेताओं ने जो मुझे बधाई दी है मैं उसका आभारी हूं । मैं आश्वासन देता हूं कि मैं इस सभा की उच्च प्रथाओं एवं परम्पराओं का पालन करूंगा तथा सभा की प्रतिष्ठा को बनाये रखूंगा । विरोधी दल की सभी संगत मांगों को पूरी करने का प्रयत्न करूंगा । आपको भी मैं पूरा पूरा सहयोग दूंगा । मुझे इस सभा का उपाध्यक्ष चुना गया है इस के लिये मैं सभा का आभारी हूं ।

रेलवे आय-व्ययक-सामान्य चर्चा--जारी

अध्यक्ष महोदय : चूंकि सामान्य आय-व्ययक आज ५ बजे पेश किया जायगा अतः सदा की भांति सभा की कार्यवाही ४ बजे स्थगित कर दी जायगी और ५ बजे सभा पुनः समवेत होगी तब वित्त मंत्री अपना वक्तव्य देंगे ।

†**श्री हनुमन्तैया** (बंगलौर नगर) : पिछले पन्द्रह वर्षों में भारतीय रेलवे ने जो कुछ भी किया है वह निसंदेह प्रसंशनीय है । वस्तुतः विदेशी विशेषज्ञों ने भी इसकी प्रसंशा की है ।

रेलवे के लिये योजना बनाने का कार्य योजना आयोग के सुपुर्द किया गया है, तत्पश्चात् रेलवे मंत्रालय उन योजनाओं को क्रियान्वित करता है। यद्यपि दोनों विभाग इस प्रकार साथ साथ काम करते हैं तथापि फिर भी काम जितना योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिये वह नहीं किया जाता है ।

भारत में इस समय रेलवे का जो नक्शा है वह ईस्ट इंडिया कम्पनी के समय का है, जिस ने व्यापार और उपनिवेशवाद का प्रसार करने की दृष्टि से यह रेलवे लाइनें बिछाई थीं। उस समय से देश की स्थिति में बहुत परिवर्तन हो गया है । और हमें चाहिये कि हम देश की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे का पुनर्गठन करें ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री हनुमन्तैया]

आवश्यकता इस बात की है कि समस्त राज्यों की राजधानियां और देश की राजधानी दिल्ली एक अच्छे रेलवे लाइन से मिलाई जाये। एक बड़ी लाइन दिल्ली से कन्या कुमारी तक बनायी जाय जो मार्ग में आने वाले राज्यों की राजधानियों या बड़े नगरों को मिलाती हुई जाये । इस समय यद्यपि हैदराबाद तक बड़ी लाइन है तथापि आवश्यकता इस बात की है कि हैदराबाद से बंगलोर त्रिवेन्द्रम और वहां से कन्या कुमारी तक मिलाने वाली बड़ी लाइन बनायी जाये ।

यद्यपि हमने पहली योजना में तीन हजार मील तक नयी रेलवे लाइने बिछायीं और इतनी ही मील तक लाइने दोहरी कीं तथापि मैसूर, आंध्रप्रदेश, केरल और महाराष्ट्र को उपेक्षित किया गया । यद्यपि देश के कुछ भागों में उदारतापूर्वक रेलवे लाइनें बनायी गयीं तथापि देश के अन्य भागों की शोचनीय उपेक्षा की गयी, यह बात संविधान के सामाजिक न्याय के अनुरूप नहीं ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

आठ वर्ष पहिले मैंने रेलवे मंत्रालय को एक पत्र मे यह सुझाव दिया था कि मद्रास से बंगलौर तक एक सीधी लाइन बनायी जाये । मेरा विचार था कि इस से देश की प्रतिरक्षा को बल मिलेगा । मुझे दुख है कि मेरी इस बात का रेलवे मंत्रालय ने कोई उत्तर नहीं दिया ।

अब मंगलौर और हसन को मीटर गेज लाइन से मिलाना का प्रस्ताव है । यदि हम भविष्य पर दृष्टि रख कर काम करें तो हमें चाहिये कि हम देश में छोटी लाइनों को हटा देवें और देश में केवल एक ही लाइन होनी चाहिये । अतः योजना आयोग को इस पर पुनर्विचार करना चाहिये, और उन्हें चाहिये कि बंगलोर से मंगलोर तक एक बड़ी लाइन बना दी जाये ।

आजकल नयी लाइनों को इस उद्देश्य से बनाया जाता है कि हम अधिकाधिक कच्चा लोहा या मेंगनीज का निर्यात कर सकें। मेरे विचार से यदि हम एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में प्रगति करना चाहते हैं तो हमें चाहिये कि हम इन कच्ची धातुओं को इस्पात या विशेष प्रयोग में आने लायक इस्पात में बदल देवें । और कुछ धन के लालच में कच्ची धातुओं का निर्यात न किया जाना चाहिये ।

इस में संदेह नहीं कि नयी लाइनें नये इस्पात संयंत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान मे रख कर बनायी जायें तथापि इस संबंध में प्रादेशिक न्याय भी किया जाना चाहिये । मैंने पिछली बार कोटूर से हरिहर या बेल्लारी तक की एक रेलवे लाइन का सुझाव दिया था जो कि केवल १५ मील थी तथापि यह सुझाव नहीं माना गया ।

अंत में मैं रेलवे मंत्रालय का ध्यान एक अन्याय की ओर दिलाता हूं प्रथम योजना में सत्यमंगलम्—चामराजनगर लाइन शामिल की गयी थी, तथापि बिना किसी कारण उस पर कार्य नहीं किया गया। इस पर मैसूर की तमाम जनता ने विरोध प्रस्ताव पारित किये और इसी आशय का एक संकल्प मैसूर की विधान सभा द्वारा भी भेजा गया, तथापि उसका कोई नतीजा नहीं निकला ।

श्री लहरी सिंह (रोहतक): उपाध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर साहब की स्पीच और व्हाइट पेपर को पढ़ने से और डिमांडज़ को देखने से मालूम होता है कि उन में उन रेलवे लाइन्ज का कोई ज़िक्र नहीं है, जो कि वार-डेज में हटा दी गई थीं, क्योंकि और जगहों पर उनकी ज़रूरत थी, और जिनके बारे में यह राय ज़ाहिर की गई थी कि लड़ाई के खत्म होने पर उनको जल्दी से जल्दी रेस्टोर कर दिया जायगा। अलबत्ता व्हाइट पेपर में यह जिक्र है कि फ़र्स्ट फ़ाइव यीयर प्लान में ३४० मील औल्ड लाइन्ज़ रेस्टोर कर दी गई थीं। उस के बाद इस साल के बजट में तीन लाइन्ज़ को रेस्टोर करने के लिये करीब पांच लाख का मीगर सम रखा गया है। मैं समझता हूं कि इस बारे में रोशनी डालनी चाहिये थी।

जहां तक पंजाब स्टेट का ताल्लक है--और स्टेट्स में भी ऐसा ही होगा--मैं देखता हूं कि जो रेलवे लाइन्ज पहले फ़रटाइल एरिया, सरसब्ज़ ज़मीन, में से गुज़रती थीं, उन को उठाने से मंडियां और कारखाने बन्द हो गए और इस के अलावा ज़मींदारों और काश्त करने वालों को भी बहुत नुक्सान हुआ, क्योंकि उन को मुनासिब भाव नहीं मिल सकता था। मैं समझता हूं कि आज भी बहुत सी रेलवे लाइन्ज ऐसी हैं, जो कि हटा दी गई थीं और जिन को रेस्टोर नहीं किया गया है। यह ठीक है कि स्टील प्लान्ट्रस, कौल-फ़ील्डस और आपेरेनल रेक्वायरमेंट्रस के लिये प्रेफ़रेंस देना चाहिये। नई रेलवे लाइनों के साथ साथ जिन लाइनों को उठा दिया गया था उनको भी आपको प्रेफ़ेंस देना चाहिये पंजाब स्टेट में एक बड़ी ही इम्पाटेंट लाइन है, रोहतक से गोहाना तक की लाइन जोकि गोहाना होती हुई पानीपत जाती थी। उसके कुछ हिस्से को तो बना दिया गया लेकिन दूसरा हिस्सा अभी भी नहीं बनाया गया है। इसके दोनों तरफ शूगर मिल्ज़ हैं, बड़ी बड़ी फेक्ट्रियां शूगर की हैं। इनको गन्ना ले जाने के लिए और दूसरी जीज़ें पहुंचाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि दूसरे आधे हिस्से को भी बढ़ा दिया जाए। पंजाब गवर्नमेंट ने इसके बारे में कई बार रिक्वेस्ट की है। जो आजकल होम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने इस के बारे में वायदा भी किया था और कहा था कि जल्दी ही दूसरे हिस्से को भी बना दिया जायगा। इस बात को चार साल हो चुके हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ है। इस बजट में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। मैं चांहता हूं कि रेलवे मिनिस्टरी पालिसी लें डाउन करे इस बारे में कि वह इलाका जहां पर लैंड फरटाइल है, काफी पैदावार होती है और जहां जहां पर लाइन को डिस-मेंटल कर दिया गया था, उसको जल्दी से जल्दी रेस्टोर कर दिया जायगा।

मुल्क की तक्सीम के बाद और आजादी मिल जाने के बाद से बहुत से डैम्ज़ बने हैं, बहुत सी नहरें खोदी गई हैं, जिसके नतीजे के तौर पर बहुत से इलाके जो पहले खुशक हुआ करते थे, अब सरसब्ज़ हो गए हैं। उन इलाकों में कपास गन्दम वगैरह काफी पैदा हो रही है। इस तरह के जो इलाके हैं, उन में भी मैं चाहता हूं रेलवे लाइन डालने में प्रेफ़ेंस मिले। अगर वहां पर रेलवे लाइन नहीं होगी तो जो गरीब किसान हैं, उनको अपनी उपज का पूरा भाव नहीं मिल सकेगा और न ही इंडस्ट्रीज़ का डिवेलेप-मेंट उन इलाकों में हो सकता है। इस लिए जो ट्रेक्ट डिवेलेप हो चुके हैं, जहां पर पानी दिया जा चुका है उन डेंज़ से जो उन स्टेट्रस में बनाये गये हैं और काफी तरक्की की गई है, वहां पर अगर रेलवे लाइन नहीं दी गई और इस काम में उनको प्रेफ़ेंस नहीं दिया गया तो वहां पर खेती करने वालों को, वहां पर इंडस्ट्री चलाने वालों को बहुत धक्का लगेगा, बहुत रंज पहुंचेगा। इससे न केवल उनका ही नुक्सान होगा बल्कि मुल्क का भी नुक्सान होगा। इस वास्ते इस तरफ आपकी खास तौर से तवज्जह जानी चाहिये।

मेरा दूसरा सजेशन यह है कि हमारे देश की जितनी भी स्टेट गवर्नमेंन्टस हैं उनसे डिसकस करके एक प्रोग्राम तय किया जाना चाहिये और उस प्रोग्राम को आप न केवल अपनी स्पीचों में लाये बल्कि उसको व्हाइट पेपर के तौर पर शाया करें और लोगों को बतायें कि ये डिसमेंटल्डलाइंज़ इस शक्ल में बनेगी, ये ये नई लाइज़ बनेंगी और जहां जहां डिवेलेपमेंट हुआ है वहां वहां पर इन लाइनों की यह

[श्री लहरी सिंह]

शक्ल होगी। आपका जो बजट है या जो दूसरे कागजात हैं, उनको देखने से ठीक तरह से मालूम नहीं होता है कि किस तरह से नई लाइनें डाली जा रही हैं। जो नई लाइनें डाली गई हैं, अगर उनके सामने दो चार लाइनें लिख दी जाती कि इस शक्ल में वे हैं, तो हमारी तसल्ली हो सकती थी। मैं आशा करता हूं कि इस ओर ध्यान दिया जाएगा। यहां पर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन हिस्सों को पानी दिया जा चुका है और जिस की वजह से वे सरसब्ज़ हो गये हैं और उनका डिवेलेपमेंट हो गया है, उनकी तरफ लाइनें डालते वक्त खास तौर से तवज्जह दी जाए और अगर उनकी तरफ खास तवज्जह नहीं दी गई तो जो गरीब किसान हैं, जो वहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके लिए कोई भी स्कोप नहीं रह जाएगा।

अब मैं आपके सामने तीसरे सजैसन को रखना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि रेलों ने बहुत काम किया है और बहुत से प्राबलैम इसके सामनें हैं। जहां तक बड़े बड़े शहरों का ताल्लुक है, उनके सम्बन्ध में रेलों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। वहां पर रोड ट्रेफिक भी बहुत बढ़ गया हैं। लेकिन कहीं कहीं पर इतना रोड ट्रेफिक है कि आध आध घंटे खड़े रहना पड़ता है। मोटरें दिल्ली से जितनी भी फीरोज़पुर बार्डर की तरफ जाती है, जी० टी० रोड से हो कर जाती हैं। दिल्ली के पास ही दया कालोनी के पास दो क्रासिंग्ज़ हैं, जहां पर गाड़ियों को आध आध घंटा रुकना पड़ता है। वहां पर एक पैट्रोल पम्प है। वहां पर गाड़ियों को बहुत देर तक रुकना पड़ता है। जहां आप और दूसरे जो जरूरी काम हैं, उनको करें वहां आप यह भी समझें कि जो इम्पार्टेंट टाउंज़ हैं, जो बड़े बड़ें शहर हैं, उनकी जो समस्यायें हैं, वे भी हल हों। मैं मानता हूं कि सब काम एक दिन में नहीं हो सकते, जितने ब्रिजिज़ बनने हैं, वे एक दिन में नहीं बन सकते लेकिन जहां जहां क्रासिंग्ज़ हैं और खास तौर से बड़े बड़े शहरों के नज़दीक जैसे दिल्ली है, उनका आपको खास तौर पर ख्याल रखना होगा। खुदा न ख्वास्ता अगर फ्रंटियर की तरफ फौजें भेजनी पड़ जायें, तो इन क्रासिंग्ज़ के न होने से आपको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। दया कालोनी के पास दो जगह लेवेल क्रासिंग की आवश्यकता है और इस ओर आप ध्यान दें। जब आप साल का बजट बनायें, तो इम्पार्टेंट जगहों पर जहां लेवेल क्रासिंग्ज़ की आवश्यकता हो, उनकी तरफ भी ख्याल करें और वहां पर ब्रिजिज़ इत्यादि बनाने की व्यवस्था करें। इनके न होने से पब्लिक में बड़ी बेचैनी फैलती है।

आपने रेलवे स्टेशन तो बना दिये हैं, लेकिन एप्रोच रोड्ज़ कई जगह पर नहीं हैं, आप कह सकते हैं, कि यह स्टेट गवर्नमेंटस की रिपांसिविल्टिी हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस मामले में आपमें और उनमें कोओर्डिनेशन होना चाहिये। इनके न होने से जो लाभ जनता को मिलना चाहिये, नहीं मिलता है। इस वास्ते इनका होना बहुत जरूरी है और इस तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये कहीं कहीं पर तो ऐसा है कि गाड़ियां भी बहुत मिल जाती हैं, मोटरें भी बहुत मिल जाती हैं, लेकिन एप्रोच रोडज़ नहीं हैं। यह जो कमी है, यह भी दूर होनी चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि आप पक्की सड़कें बनवा दें, लेकिन कच्ची तो आप बनवा सकते हैं। आज वहां पर कच्ची सड़कें भी नहीं हैं। स्टेशनों से उनको मिलाने के लिये एप्रोच रोड्ज का होना बहुत जरूरी है और इस तरफ आपका खास तौर से ध्यान जाना चाहिये।

बड़े बड़े शहरों की एक और प्राबलैम की तरफ मैं आप का ध्यान खींचना चाहता हूं। दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई इत्यादि बड़े बड़े शहर हैं, यहां पर लोग दूर दूर से। काम करने के लिये आते हैं। दिल्ली को ही आप ले लें। यहां पर बहुत दूर दूर से और आसपास के शहरों से लोग रोज़ाना काम करने के लिये आते हैं और काम कर चुकने के बाद वापिस अपने घरों को जाते हैं। इनके और आसपास के शहरों के बीच अगर आप काफी गाड़ियां नहीं चलाते हैं, तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है।

एक गाड़ी भेज कर और दूसरी को उसके दस घंटे बाद भेज कर आप ट्रेफिक से कोप नहीं कर सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में डीजल की शटल्ज़ को इनके बीच चलाया जाए। यहां दिल्ली में लोग दफ्तरों में बहुत बड़ी तादाद में आते हैं और ये आस पास के शहरों से आते हैं। दूसरे काम करने वालों का भी दिन भर आना जाना लगा रहता है। आप इससे तसल्ली नहीं मान सकते हैं कि बसिस बहुत चलती हैं क्योंकि पब्लिक के काम और पब्लिक की डिमांड्ज़ बहुत बढ़ गई हैं। इस लिये आपको डीज़ल की शटल्ज़ को ज्यादा से ज्यादा तादाद में चलाने का इंतज़ाम करना चाहिये ताकि पब्लिक की जो वांट्स हैं, वे सैटिसफाई हो सकें।

अंतिम बात में कोरप्शन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। अंग्रेजों के वक्त बहुत थोड़े चैक्र्ज़ ऐसे होते थे जो डिसआनैस्ट होते थे। आज उनके बीच भी कोरप्शन इस हद तक पहुंच गई है कि आप किसी भी ट्रेन में सफर कर लें, अगर आप उसको रास्ते में टिप कर दें तो जितना लम्बा भी सफर आप को करना हो, उसकी वह आपको गारेंटी दे देगा। बगैर टिकट के आप सफर कर सकते हैं। चैकर्ज़ जिन की ड्यूटी चैक करना है वे ही बहुत ज्यादा कोरप्शन में इंडल्ज करते हैं और इसका नतीजा यह है कि खराबियां बहुत अधिक बढ़ गई हैं। आप को अगर अपना माल, सामान भेजने के लिये वैगंज़ चाहिये तो वे भी आपको मिल नहीं सकती हैं तब तक जब तक कि आप रिश्वत के तौर पर रुपया नहीं दे देते हैं। कहने को तो कह दिया जाता है कि लिस्ट बन चुकी है लेकिन जिस किसी स्टेशन से भी वगन ली जायेगी वहां पर यह एक कस्टम सा बन चुका है कि अगर उनको रुपया चटा दिया जाये तो वैगंज़ मिलने में कोई दिक्कत पेश नहीं आती है। इस तरफ भी आप का ध्यान जाना चाहिये और आप को देखना चाहिये कि यह कोरप्शन बन्द हो।

ये चार पांच सजैशंज़ थीं जो मुझे आपके सामने रखनी थीं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे। ये बातें मैंने कोई नुक्ताचीनी के तौर पर नहीं कहीं हैं बल्कि सुझावों के तौर पर ही आपके सामने रखी हैं।

श्री अ० प्र० शर्मा (बक्सर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट माननीय रेल मन्त्री जी ने सदन के सामने पेश किया है, बढ़ते हुए रेलों के खर्च को देखते हुए, मैं समझता हूं आमदनी बढ़ाना भी आवश्यक हो गया था और इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। लेकिन जिस तरह से आमदनी बढ़ाने की बात की गई है, उसमें मैं देख रहा हूं कि तीसरे दर्जे के मुसाफिरों को बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तीसरे दर्जे के मुसाफिरों के किराये बढ़ने से रेलों की आमदनी करीब करीब ९.६ करोड़ रुपया और हो जाएगी। इस बजट में पैसेंजर ट्रैफिक से जो अधिक आमदनी हो रही है उसमें अगर यह इजाफा जोड़ दिया जाता है तो साफ मालूम होता है कि पैसेंजर ट्रैफिक से जो करीब १२ करोड़ रुपये की आमदनी होने वाली है उसमें ७० फीसदी हिस्सा तीसरे दर्जे के मुसाफिरों के किराये बढ़ाने से वसूल किया जाएगा। मैं समझता हूं कि तीसरे दर्जे के मुसाफिरों का किराया इस तरह से बढ़ाया जाना बिल्कुल ही ठीक नहीं है। अगर तीसरे दर्जे के मुसाफिरों का किराया नहीं बढ़ाया जाता है तो जो बढ़ती हुई आमदनी है उसमें सिर्फ ९.६ करोड़ रुपये की कमी हो जाती है। जहां पर २१ करोड़ २२ लाख रुपये की बढ़त होने वाली है, उसके मुकाबले में इस रकम के लिये जो दुःख लोगों के दिल और दिमाग में पहुंचने वाला है और जो बुरा असर इससे होने वाला है, वह बहुत ही खराब होगा। इसलिये मैं रेलवे मिनिस्टर साहब से निवेदन करता हूं कि जो तीसरे दर्जे के मुसाफिरों के किराये बढ़ाने जाने की बात की गई है, उसके सम्बन्ध में वह फिर से विचार करें। कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे कि तीसरे दर्जे के मुसाफिरों के ऊपर किराया न बढ़ाया जाय। यह ठीक है कि अपर क्लास की ट्रेवेलिंग के लिये हमारे देश में जितना कम किराया लिया जाता है उतना कम किसी बाहर के देश में, जिस को मैं जानता हूं और जिस को मैंने देखा है, नहीं लिया जाता। इस

लिये जहां तक अपर क्लास के पैसेन्जर्स का किराया बढ़ाने का सवाल है, मैं समझता हूं कि वह बिल्कुल ठीक ही है ।

रेलवे के जो बढ़ते हुए खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिये दो ही तरीके हैं । एक तो यह कि रेलवे का किराया बढ़ाया जाय और दूसरा यह कि कर्ज लिया जाय । मैं समझता हूं कि रेलवे को चलाने के लिये कर्ज लेना ठीक नहीं है । अपने देश के अन्दर ही रेलवे की आमदनी को बढ़ा कर चलाना ठीक है ।

जहां तक रेलवे के विकास का सम्बन्ध है, मैंने कुछ जानने की कोशिश की । यह ठीक है कि इस देश के अन्दर रेलवे का विकास होना चाहिये, लेकिन ऐसी बहुत सी जगहें हैं जो कि बहुत पिछड़ी हुई हैं । जिस जगह से मैं आता हूं वहां एक जगह से दूसरी जगह ३५ मील की दूरी तै करने के लिये साल में छः महीने तक कोई रास्ता ही नहीं रहता है । न तो कोई सड़क ही है और न कोई रेल का रास्ता है । ३०, ३५ मील जाने के लिये, खास तौर से बक्सर से भनुआ जाने के लिये, जो कि हमारे भूतपूर्व रेलवे मन्त्री की कांस्टिटएन्सी भी थी, कम से कम १०० मील का रास्ता तय करना पड़ता है । मोगलसराय से घूम कर जाना पड़ता है या फिर पटना होकर गया की तरफ से आना पड़ता है । इसलिये जो रेलवे के डेवेलपमेंटल प्रोग्राम्स में तथा एक्सपेंशन में इस तरह की सभी जगहों का ख्याल रक्खा जाना चाहिये ।

मैं खास तौर से दो चार बातें जो रेलवे ऐडमिनिस्ट्रेटिव मैशीनरी तथा लेबर रिलेशन्स या ट्रेड यूनियन्स के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । ऐडमिनिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं, जैसा कि हमारे मि० माथुर ने अपने वक्तव्य में सदन के सामने भी कहा, कि रेलवे में काम करने वालों के साथ बहुत इंटरफिअरेन्स होता है बहुत सी जगहों पर । कोई भी अफसर हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवेल पर हो चाहे जनरल मैनेजर्स लेवेल पर हो या चाहे बोर्ड के लेवेल पर हो । लोगों में अपने ऊपर कांफिडेन्स उठ गया है । हर एक आदमी काम को दूसरे पर टालने की कोशिश करता है । कोई भी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहता । इस का नतीजा यह होता है कि लोग अपने काम में दिलचस्पी नहीं लेते हैं और जिम्मेदारी के साथ काम नहीं करते जिसके कारण रेलवे के काम को बहुत नुकसान पहुंचता है । आज मैं इस सदन के सामने बोल रहा हूं । अगर कुछ दिन पहले यहां पर मुझे बोलने का मौका मिलता तो हो सकता है कि मैं रेलवे ऐडमिनिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में और भी बहुत सी बातें कहता ।

रेलवे के अन्दर जो स्टाफ रिलेशन्स हैं, खास तौर से जो रेलवे कर्मचारियों के कंडक्ट और डिसिप्लिन के सम्बन्ध में इस्टैब्लिशमेंट कोड है वह १०० वर्ष के लगभग पुराना है । जब से हिन्दुस्तान में रेलवे शुरू हुई थी तभी से उसके अन्दर जो तरह तरह की धारायें हैं और जो कानून बने हुए हैं वे एक दूसरे से कंट्रेडिक्टरी हैं । जब रेलवे के कानूनों की व्याख्या की जाती है तब भी दो अलग अलग जगहों के आदमी आपस में डिफर करते हैं । एक आदमी एक इंट्रप्रटेशन करता है और दूसरा आदमी दूसरा करता है और तीसरा आदमी तीसरा करता है । नतीजा यह होता है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन में कोई कंटिनुइटी नहीं रह जाती । एक अफसर जो फैसला कर जाता है दूसरा अफसर जो आता है वह उससे बिल्कुल उल्टा फैसला करता है । इस तरह की डिस्क्रीशनरी पावर यूज करने का नतीजा यह होता है कि जो हम को सोचना चाहिये वह हम नहीं सोच पाते और जो हक़ लोगों को मिलने चाहियें वे उन को नहीं मिलते गलत लोगों को वे हक मिल जाते हैं । जब कभी कोई फैसला करने का सवाल आता है तो उसमें इतनी देर लगती है कि जब तक सही फैसला हो उस वक्त तक गलत

आदमी जो कि टैम्पोरेरी पोस्ट पर होता है वह परमनेन्ट हो जाता है और सही आदमी नुकसान उठाता है। इससे लोगों में काफी असन्तोष फैलता है, और कर्मचारियों के बीच में काम करने की जो इच्छा होती है उसमें काफी कमी हो जाती है।

मैं इस सदन के सामने दो एक बातें ट्रेड यूनियन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं क्योंकि ट्रेड यनियन से मेरा खास तौर से सम्बन्ध है। एक माननीय सदस्य ने इस सदन में कहा कि सन् १९४८-४९ में आई० एन० टी० यू० सी० का फार्मेशन गवर्नमेंट के बैकडोर से किया था। मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि अगर कोई ट्रड यूनियन के इतिहास की जानकारी नहीं रखता तो मेरा ख्याल है कि उस को इस की जानकारी रखनी चाहिये। जहां तक आई० एन० टी० यू० सी० का सवाल है, इसकी स्थापना, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की स्थापना, सन् १९१९ में हुई थी। माननीय सदस्य ने आल इण्डिया रेलवेमैन्स फैडरेशन का जिक्र किया और कहा कि यह बहुत पुराना संगठन है। जहां तक मेरा ख्याल है कि सन् १९१९ महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की स्थापना की थी जिस को टैक्स टाइल लेबर एसोसिएशन कहते हैं। उस वक्त रेलवेमेन्स फैडरेशन पैदा भी नहीं हुयी थी।

श्री नम्बियार : उन्होंने नेशनल फैडरेशन ऑफ रेलवेमैन के बारे में कहा था।

श्री अ०प्र० शर्मा : इस को कहने का मेरा कोई खास मतलब नहीं था। मेरा मतलब तो यह है कि जिस नेशनल फैडरेशन आफ रेलवेमैन के सम्बन्ध में कहा गया कि वह एक गवर्नमेंट की फेवर्ड बाडी है उस नेशनल फैडरेशन को शायद रेलवे मिनिस्ट्री से दूसरों से ज्यादा शिकायत है कि यह कहा गया है कि नेशनल फैडरेशन आफ रेलवेमेन जिस जगह में ऐफिलिएशन रखती है वहां पर भिन्न भिन्न रेलवेज में बहुत सी यूनियनें रिकग्नाइज्ड की गई हैं। यह चीज सम्बन्ध रखती है मल्टिप्लिसिटी आफ ट्रे। यूनियस इन दि सेम इण्डस्ट्री से। मैं कहना चाहता हूं कि यह बिल्कुल गलत बात है। हम एक रेलवे के अदर एक रेलवे यनियन से अधिक ऐफिलिएट नहीं कर सकते और अगर इस तरह की यूनियनें रिकग्नाइज हुई हैं तो वह गलत है और आई० एन० टी० यू० सी० से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। यहां यह भी कहा गया है कि सारे देश में एक ही ट्रेड यूनियन होनी चाहिये। रेलवे के अन्दर एक ट्रेड यनियन श्री जयप्रकाश नाराण जी और श्री खण्डूभाई देसाई के परिश्रम के फल स्वरूप सन १९५३ में हुई थी। आखिर वहां क्यों दो फैडरेशन हो गये, माननीय सदस्य ने इस सदन में यह नहीं बतलाया। उनकी यूनिटी का मतलब यह है कि जब तक उन का बहुमत वहां पर नहीं हो जाता तब तक वहां पक्की और मकम्मिल यनिटी नहीं हुई। नैशनल फैडरेशन में सन् १९५३ में आई० एन० टी० यू० सी० का बहुमत हो गया इसलिये आफ इण्डिया रेलवेमेन्स फैरेशन उससे बाहर निकला। उन्होंने आल इण्डिया रेलवे मैन्स फैडरेशन को रिवाइव किया और उसके लिये रिकगिनशन मांगा।

एक माननीय सदस्य : यह बिल्कुल असत्य है।

श्री अ० प्र० शर्मा : जहां यह बात कही जाती है, वहां मैं यह कहना चाहता हूं कि पूरी यूनिटी स्ट्रक्चरल सेट अप में नहीं हो सकता। जब तक रेलवे आइडियालौजी में और यूनिटी नहीं होती, जब तक काम करने के तरीकों में यूनिटी नहीं होगी। जब तक एक आदमी रेलवे के काम सच्चाई से चलाने की बात करने वाला और दूसरा रेलवे के काम में खलल डालने वाला होगा, जब तक एक आदमी एक रास्ते पर जाने वाला और दूसरा आदमी दूसरे रास्ते पर चलने वाला होगा तब तक उन दोनों के बीच यूनिटी कैसे हो सकती है ? यह चीज मुमकिन ही नहीं है। इसलिये जब तक सोचने और काम करने के तरीके में एकता नहीं होती तब तक इस देश में ट्रेड यूनियनों में कोई यूनिटी नहीं

[श्री अ० प्र० शर्मा]

हो सकती । मैं यह बात व्यक्तिगत रूप से नहीं कह रहा हूं । यह चीज मैं राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की ओर से, जिसका मैं एक सदस्य हूं, कह रहा हूं ।

हमारे रेलवे मिनिस्टर साहब ने डिअरनेस अलाउन्स बढ़ाने की बात कही । मैं इसका स्वागत करता हूं । मैं रेलवे विभाग को धन्यवाद देता हूं कि जैसे ही इसका फैसला हुआ, रेलवे ने कोई समय जाया नहीं किया और जल्दी से जल्दी रेलवे मिनिस्टर ने इस बात का आश्वासन दिया और हुक्म जारी किया कि रेलवे कर्मचारियों को बढ़ती हुई महंगाई का फायदा मिलना चाहिये । लेकिन इस के साथ ही साथ मैं इस बात से बिल्कुल असहमत हूं कि रेलवे के मुलाजिमों के मकानों का किराया बढ़या जाय । रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा गया है कि पी० ए० सी० का फैसला है कि रेलवे कर्मचारी जिन मकानों में रहते हैं उनका किराया बढ़ाया जाय । ४ प्रतिशत से बढा कर ६ प्रतिशत के बेसिस पर उन के किराये का कैलकुलेशन करने का मतलब यह है कि सेकेण्ड पे कमीशन की रिकमेन्डेशन्स के फलस्वरूप रेलवे कर्मचारियों की तनख्वाहों में जो ७.४० प्रतिशत की वृद्धि हुई थी उस को मकानों का किराया बढ़ा कर बिल्कुल खत्म कर दिया गया । इसलिए हमारे फैडरेशन की तरफ से भी इसका विरोध किया गया है और इस सदन में भी मैं कहना चाहता हूं कि जो रेलवे कर्मचारियों के मकानों का किराया बढ़ाने का सवाल है उसको रेलवे को मुल्तवी करना चाहिये अन्यथा इससे रेलवे कर्मचारियों के अन्दर एक असन्तोष फैलेगा जिससे रेलवे का काम अच्छा बनने वाला नहीं है ।

मैं एक बात इस मौके पर परमानेंट नैगोशिएटिंग मैशिनरी के सम्बन्ध में भी अर्ज करना चाहता हूं । रेलवे के अन्दर एक परमानेंट नैगोशिएटिंग मैशिनरी है जिसके जरिए से रेलवे कर्मचारियों की शिकायतों की सुनवायी होती है । यह डिस्ट्रिक्ट और जनरल मैनेजर के लेविल पर भी काम करती है । लेकिन यह मैशिनरी बहुत पुरानी हो गयी है और इनएफीशेंट है । इसको बदलना चाहिए । रेलवे बोर्ड के लेविल पर तो कुछ फैसले ठीक होते भी हैं लेकिन डिस्ट्रिक्ट और जनरल मैनेजर के लेविल पर तो बिल्कुल असन्तोषजनक काम होता है । और रेलवे बोर्ड के फैसले की अपील की व्यवस्था नहीं है । या तो रेलवे बोर्ड जो कहता है उसे स्वीकार कीजिये या झगड़ा कीजिए । इसलिए झगड़ा करने वाले लोगों को इस व्यवस्था में काफी प्रोत्साहन मिलता है और जो लोग समझौते के साथ काम करना चाहते हैं उनके हाथ कमजोर होते हैं । जहां तक मैं जानता हूं भारत सरकार की नीति है कि समझौते के रास्ते से ही शिकायतों को निपटाया जाए । इसलिये जरूरी है कि इन झगड़ों को तै करने के लिये एक परमानेंट आरबिट्रेशन ट्राइबुनल बनाया जाए जिसके फैसले रेलवे बोर्ड पर और मजदूरों पर समान रूप से बाइंडिंग हों ।

इसी के साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर गवर्नमेंट यह समझती है आरबिट्रेशन का फैसला ऐसा है जो लागू नहीं किया जा सकता, और उसमें सरकार कोई तबदीली करना चाहती है, तो उस हालत में गवर्नमेंट को अपना हक इस्तेमाल करने से पहले उसे पार्लियामेंट के सामने रखना चाहिए । आरबिट्रेशन के फैसले को रद्द करने के पहले उसको पार्लियामेंट के सामने रखना चाहिए और उसको रद्द करने के कारण पार्लियामैट के सामने रखने चाहिए । अगर ऐसा नहीं किया गया तो आरबिट्रेशन से कोई लाभ नहीं होगा । इसके तो मानी यह होंगे कि गवर्नमेंट जो एम्प्लायर है उसका ही हक है । वह जो कहे उसी फैसले को मान लिया जाए ।

मैं और अधिक समय न लेते हुए एक बात व्हिटले काउंसिल्स के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । हमारे संगठन ने इनका विरोध किया । मैं कहना चाहता हूं कि व्हिटले काउंसिलों को हिन्दुस्तान

में लागू करने की जो बात की जाती है वह गलत है। उसका यहां गलत मतलब समझा जाता है । यह ट्रेड यूनियन के विरोध में काम करती हैं और इनकी स्थायी काउंसिल बना कर ट्रेड यूनियन को कमजोर करने की बात की जाती है । दूसरे मुल्कों में जहां व्हिटले काउंसिलें चलती हैं वे ट्रेड यूनियन के माध्यम से चलती हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। इसलिए जब जब व्हिटले काउंसिलों को लागू करने की बात की जाती है हम उसका विरोध करते हैं और आगे भी विरोध करेंगे।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। कैजुअल लेबर और कंस्ट्रक्शन लेबर के सम्बन्ध में रेलवे ने जो रेट्स कायम कर रखे हैं और उनकी जो सरविस कंडीशन्स हैं वे बहुत ही असंतोषजनक हैं। इसमें भी काफी सुधार की आवश्यकता है ।

आखिर में जो पिछले वर्ष कुछ भाइयों ने सरकारी कर्मचारियों की और खास कर रेलवे कर्मचारियों की हड़तालें करायीं उनके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे फेडरेशन ने सरकार के सामने अर्ज किया था कि जिन लोगों ने, जिन लीडरों ने इन कर्मचारियों को गुमराह किया वे तो मजे उड़ा रहे हैं लेकिन बेचारे कर्मचारी जो गुमराह किए गए वे नुक्सान उठा रहे हैं। उनमें से कुछ को नौकरी से निकाल दिया गया है, कुछ को ससपेंड कर दिया गया, कुछ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांस्फर कर दिया गया और इस प्रकार उनको परेशानी उठानी पड़ रही है । उनके प्रति सरकार को हमदर्दी से विचार करना चाहिए। उनके ऊपर ख्याल किया जाए और गवर्नमेंट को इस बात का ख्याल करना चाहिए कि जिनके खिलाफ कोई वायलेंट एक्टिविटी का या सेबटाज का चार्ज साबित नहीं है तो उनके साथ सख्ती न की जाए ।

इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार ऐसा करेगी तो इससे लेबर रिलेशन्स बहुत अच्छे हो जायेंगे । इससे साबित होगा कि जो लोग गुमराह किए गए हैं उनको माफ करने वाले बड़े लोग हैं और बदले की भावना से प्रेरित होकर उनको परेशान नहीं करना चाहते ।

श्री ना० नि० पटेल (बलसार) : उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे बजट की बहस के अन्दर भाग लेने के लिए आपने जो मुझे मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

जब जब यह बहस चलती है तो मैं अपने यहां की रेलवे सम्बन्धी कठिनाइयों को पेश करता हूं। लेकिन जो मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट और कांस्टीट्यूएंसी की बातें अभी तक बतलायी हैं उनमें कोई फेर नहीं हुआ। और जब फिर यह मौका मिला है तो मैं उन बातों को सदन के सामने पेश करना चाहता हूं । अगर इन पर कोई अमल हो तब तो ठीक बात है नहीं तो हमारा कहना बहरे के आगे ढोल बजाने जैसा ही होगा ।

रेलवे बोर्ड की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की जाती है उसमें बड़े बड़े फेर-फार का जिक्र होता है । उसमें हम देखत हैं कि जो बड़े बड़े शहर हैं उनके स्टेशनों पर पैसिंजरों को सहूलियत पहुंचाने के लिए कुछ फेर-फार हुआ है। लेकिन देहातों के स्टशनों पर आज सौ सालों से हमको कोई सुधार नजर नहीं आता। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे देश में जो आजादी आयी इसको लाने में क्या केवल शहर वालों ने हिस्सा लिया था गांव वालों ने हिस्सा नहीं लिया। मेरी कांस्टीट्यूएंसी में सूरत से लगा कर अमूरगांव तक बहुत से स्टशन हैं। लेकिन पिछले वर्षों में सूरत स्टेशन, नवासारी स्टेशन और बल्लिमारू स्टेशनों में तो कुछ सुधार किया गया है। लेकिन शेष स्टेशनों में कोई सुधार नहीं हुआ है। उनकी वही हालत है जो कि बी० बी० एंड सी० आई० रेलवे बनने के समय सौ साल पहले थी । वैसे ही प्लेटफार्म और शैड अभी तक हैं और पैसिंजरों के लिए उनमें कोई सुधार नहीं किया गया है ।

[श्री ना० नी० पटैल]

पुराने जमाने में जब ये स्टेशन बनाए गए तो पैसिंजर भी कम थे । लेकिन आज तो आप देखते हैं कि दिन पर दिन पैसिंजर बढ़ते जाते हैं । जैसा कि अपोजीशन के माननीय सदस्यों ने कहा, हमारे कुछ स्टेशनों पर तो दस दस, ग्यारह ग्यारह और बारह बारह घंटे तक गाड़ी नहीं आती है । हमारा अमूरगांव तक का जो भाग है वह पहले सब महाराष्ट्र में था । सूरत डिस्ट्रिक्ट भी बम्बई राज्य में था । अब महाराष्ट्र और गुजरात दो अलग अलग राज्य हो गए हैं । अमूरगांव तलक का जो भाग है यह गुजरात में है । आपको तो मालूम है कि स्टेट अलग हो जाने से लोगों को उस के कैपीटल को जाना होता है । अगर कोई आदमी अमूरगांव से अहमदाबाद को, जो कि गुजरात का कैपीटल है, जाना चाहे तो उसको जाने आने में दो दिन लगते हैं । कोई ऐसी ट्रेन नहीं है कि कोई आदमी सुबह चले और मध्य रात्रि तक वापस आ जाए । इस प्रकार की कोई सहूलियत होनी चाहिए । हमारी सूरत जिला कांग्रस कमेटी ने भी रेलवेज को लिखा और हम लोगों ने भी इस की ओर कितनी ही बार ध्यान दिलाया मगर आज तक उस का कोई नतीजा सामने नहीं आया है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज से सौ साल पहले जब कि हमारे वहां रेल लगी थी और जब हमें आजादी मिली और हमारी अपनी सरकार और रेलवेज बनीं तो जो सहूलियत लोगों को पहले सुलभ थी उसमें पीछे काफी कमी की गई । पहले की अपेक्षा उस प्राप्त सहूलियत में कितनी कमी की गई है वह मैं आप के सामने निवेदन करना चाहता हूं ।

मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में बिल्लीमोरा एक शहर है । उस शहर के अन्दर कई टेक्सटाइल मिल्स और अन्य इंडस्ट्रीज स्थापित हैं । बिल्लीमोरा शहर के दोनों बाजुओं में नदियां हैं । एक बाजू में एक नदी है जब कि दूसरे बाजू में दो नदियां हैं । समुद्र भी पास में है । वहां पर कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि जिस रास्ते से आदमी पैदल चल कर जा सके । अब वहां के देहातों के रहने वालों के लिए जो कि दूध, सब्जियों वगैरह बेचने के लिए बिल्लीमोरा जाते हैं उन के वास्ते पहले जो बी०बी० एंड सी० आई० रेलवेज थी उस ने उस नदी के पुल के ऊपर दोनों तरफ फुटपाथ लगा दिये थे । उस के बाद जब हमारी रेलवेज हो गई तो आज से तीन साल पहले उसके द्वारा एक बाजू का फुटपाथ निकाल दिया गया । इस सम्बन्ध में मैंने रेलवेज के जनरल मैनेजरों का ध्यान खींचा । वहां के जो इंजीनियर थे और जो कि अभी बम्बई के डिवीजनल सुपरिनटेंडेंड हैं उन से मैंने इस बारे में बात चीत की और मैंने उन को कहा कि अब तो रेलवेज हमारी हो गई हैं और पहले की अपेक्षा लोगों को अधिक सहूलियत मिलनी चाहिए लेकिन देखने में यह आ रहा है कि सहूलियत बढ़ाना तो दूर रहा जो सहूलियत लोगों को पहले से प्राप्त है उसको भी आप निकालने लगे हैं । उन्होंने मुझ बतलाया कि हम एक बाजू का फुटपाथ रक्खग और दूसरे बाजू का निकालगे । मैंने कहा ठीक है लेकिन आदमियों के जाने के लिए कुछ भी रास्ता होगा तो ठीक होगा । लेकिन उसके अलावा वहां और कोई रास्ता है ही नहीं । मैंने उनको कहा कि आपने उसे क्यों निकाल दिया तो वह कहने लगे कि वह लकड़ी के स्लीपर्स १२ फुट के थे और अब १२ फुट के स्लीपर्स नहीं मिलत हैं इसलिए उसको निकाल दिया । यह एक अजीब बात है । इस देश में जो चीजें अभी तक नहीं बनती थीं वह अब बनने लगी हैं तो यह कुछ समझ में नहीं आता है कि १२ फुट के लकड़ी के स्लीपर्स चूंकि नहीं मिल रहे हैं इसलिये उसको निकाल दिया गया । हमारे देश में कितना जंगल पड़ा है । हमारे बिल्लीमोरा के पास डांग का जंगल है और काफी लकड़ी हमें मिल सकती है । बहरहाल, लकड़ी

के स्लीपर्स न मिलने के कारण वह फुटपाथ निकाला गया है। एक बाजू का फुटपाथ निकाल दिया गया। दूसरा साल आया तो दूसरे बाजू का भी फुटपाथ निकाल डाला। अब बिल्लीमोरा शहर में एक बाजू से करीब ३००० आदमी जाने वाले हैं और २००० आदमी दूसरे बाजू से आते हैं लेकिन उन्होंने दोनों बाजुओं के फुटपाथ निकाल दिये। हमने कहा कि अरे भाई पब्लिक के लोगों के लिए अगर नहीं करते तो कम से कम रेलवे स्टाफ के लिए तो कुछ प्रबन्ध करो। इस पर उन्होंने दो रेलवे ट्रैक्स के बीच में एक फुटपाथ बना दिया लेकिन उसमें स्पेस बड़ी नैरो रहती है और अक्सर इस कारण वहां एक्सीडेंट्स हो जाया करते हैं। पुल के ऊपर आमने सामने से यदि दो गाड़ियां आती हैं और अगर किसी बोगी का दर्वाजा खुला रह गया तो फुटपाथ पर चलने वाला आदमी बच नहीं सकता है और दर्वाजा लगने के फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रति वर्ष ४ या ५ आदमी दोनों बाजू से एक्सीडेंट के अंदर मर जाया करते हैं। क्या हम ने इसीलिए आजादी प्राप्त की थी कि बजाय हमें सहूलियत मिलने के हमारी दिक्कतें और बढ़ जायें और इस तरह से हमारे लोग मरें? आज हमारी अपनी रेलवेज है लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं और बहरे कानों पर ढोल बजाने की कहावत चरितार्थ हो रही है। पहले उन्होंने एक पुल के ऊपर ऐसा किया था। अब ४ महीने से उन्होंने दूसरे पुल का भी फुटपाथ निकालना शुरू कर दिया है। इसका नतीजा यह हुआ कि चुनावों के समय जब हम लोगों के पास वोट मांगने गये तो वह इतने चिढ़े हुये थे कि उन्होंने कहा कि सीधे सीधे हमारे गाव के बाहर निकल जाओ नहीं तो हम जूता लेकर मारेंगे। उस पर्टिकुलर कांस्टीटुएंसी में यदि आप देखेंगे कि हमें कितने वोट मिले और दूसरों को कितने वोट मिले तो आपको पता लगेगा कि उसका क्या नतीजा हमारे लिए आया। लोग हम से कहते थे कि क्या हमने आपको संसद् में इसलिए भेजा है कि आप हमारीं सहूलियतों को बजाय बढ़ाने के और उलटा कम करें? इसलिए मेरा निवेदन है कि इसका जरा ध्यान रक्खा जाय और जनता की सहूलियतें यदि हम बढ़ावें नहीं तो कम से कम उनको कम तो न करें। वहां के लोगों ने यह इरादा किया है कि अगर यह फुटपाथ निकाल दिये गये तो वे सत्याग्रह करेंगे। मैं ने उन से कहा है कि अभी वे ऐसा कदम न उठायें। अगर वाकई सत्याग्रह करने का मौका आ ही गया तो मैं खुद उसका लीडर बनूंगा। मैं यह साफ कह देना चाहता हूं कि अगर उन पुलों पर से यह फुटपाथ निकाल दिये गये तो सत्याग्रह की लीडरशिप मैं सम्हालूंगा।

हम लोग यात्रियों को सहूलियतें देने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन मैं रेलवे प्रशासन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि बम्बई सेंट्रल से जो ट्रेनें चलती हैं, पालघर पहुंचने पर जो कि बम्बई से फर्स्ट हाल्ट है, डिब्बों की लैट्रिस में जो पानी की टंकी लगी होती है उस में पानी नहीं रहता है। इस के लिए मैं ने रिटन कम्प्लेंट गार्ड को दी है मगर आज तक उस का कोई नतीजा नहीं निकला है।

बिल्लीमोरा स्टेशन के पास जो करीब करीब हजार लोग रहते हैं, उनको रेलवे की लैट्रिन्ज से निकलने वाले पानी से इतनी तक्लीफ़ होती है कि जिस का कोई हिसाब नहीं है। वे लोग १९५६ से जनरल मैनेजर और दूसरे अफ़सरों के साथ कारेसपांडेंस करते रहे हैं। रेलवे आफ़िसर्ज ने यह कबूल किया है कि यहां पानी नहीं डालना चाहिये और इसको वहां से हटा देना चाहियें। आज इस बात को छः साल होने को आए, लेकिन फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला।

स्टाफ़ के बारे में अपोज़ीशन के मेम्बरों ने अच्छी बातें कहीं हैं, जिन को मैं भी मानता हूं। हम भी चाहते हैं कि रेलवे में एक्सिडेंट नहीं होने चाहियें, लेकिन प्रश्न यह है कि ये एक्सिडेंट क्यों होते हैं।

मैं इस बारे में बताना चाहता हूं कि पहले बम्बई से जो क्रू चलता था, वह वलसार में बदल जाता था, लेकिन आज स्थिति यह है कि जो क्रू बम्बई से चलता है, वह सीधा बड़ोदा तक जाता है। उस को दिन में १२, १४ और १६ घंटे तक काम करना पड़ता है। वे लोग मेरे पास आए और मैं उन को जनरल मैनेजर के आफ़िस म ले कर गया। मुझे बताया गया कि अगर एक पर्टिकुलर इंजिन किसी पर्टिकुलर स्टाफ़ के पास रहे, तो उस की मेनटेनेंस अच्छी होती है। मैं ने कहा कि यह ठीक है। लेकिन होता यह है कि जो क्रू बम्बई स इंजिन के साथ चलता है, वह बड़ौदा में उतर जाता है और वह इंजिन एक दूसरा क्रू ले कर अहमदाबाद तक जाता है। यह पालिसी ठीक नहीं है।

मैं आप को यह भी बताना चाहता हूं कि फ़ायरमैन को बम्बई से बड़ौदा तक पहुंचने में नौ टन कोयला इंजिन में डालना पड़ता है। आप ज़रा सोचिए कि जो आदमी बारह, चौदह घंटे में नौ टन कोयला डालेगा उस की क्या हालत होगी।

इस के अलावा उन लोगों के सामने एक और समस्या भी है। वे ड्राइवर और क्रू बलसार में रहते थे। गुजरात में पढ़ाई का मीडियम गुजराती है, लेकिन महाराष्ट्र में मीडियम मराठी या इंगलिश है। इस स्थिति में उन लोगों के बच्चों को बहुत तक्लीफ़ होती है। अगर गुजरात के आदमियों को बंगाल, मद्रास या यू० पी० में भेजा जाता है, तो वहां पर उन के बच्चों की पढ़ाई ठीक तरह से नहीं हो पाती है, जिस की वजह से उन को बहुत परेशानी होती है। वे समझते हैं कि उनका रात-दिन मेहनत-मज़दूरी करना बेकार है और उन का दिल सर्विस में नहीं लगता है। इस कारण ये एक्सिडेंट्स होते हैं।

मेरी प्रार्थना है कि इन बातों पर सोच-समझ कर कामनसेन्स से विचार करके इस बारे में कुछ करना चाहिये।

†**डा० रानेन सेन** (कलकत्ता पूर्व) : रेलवे मंत्री ने एक विचित्र आय-व्ययक प्रस्तुत किया है, इस से किराया और भाड़े में वृद्धि हुई है जिस के फलस्वरूप हमारे करोड़ों देशवासियों पर जोकि पहले से ही गरीबी और दरिद्रता से पीड़ित हैं और अधिक व्यय करना होगा।

दूसरी बात यह है कि यात्री सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। वस्तुतः तीसरे दर्जे और कभी कभी तो दूसरे दर्जे में भी बहुत भीड़ भाड़ होती है और यात्री को आवश्यक आराम तो क्या पानी तथा स्टेशनों में भोजन तक नहीं मिलता है। कई मध्यम प्रकार के स्टेशनों में भी भोजन उपलब्ध नहीं है और यात्री को लगभग पूरे दिन बिना भोजन और पानी के रहना पड़ता है।

इस के अलावा प्रतीक्षागृहों इत्यादि की बुरी दशा है और वर्षा में यात्रियों को कोई सुरक्षा नहीं प्राप्त होती है और उन्हें भीगते रहना पड़ता है।

भीड़भाड़ की यह दशा है कि बड़े बड़े स्टेशनों तथा बम्बई कलकत्ता इत्यादि में यात्रियों को पायदान पर चढ़े हुए यात्रा करना आम बात है। लोगों को विवश हो कर गाड़ियों की छतों पर भी यात्रा करनी होती है। जब आम यात्रियों की यह अवस्था है तो रेलवे को वातानुकूलित डिब्बों की क्या आवश्यकता है। धनी लोग पहिली श्रेणी में यात्रा कर सकते हैं। इसके स्थान पर तीसरे दर्जे के डिब्बों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। आवश्यकतानुसार प्रतीक्षालय एवं प्लेटफार्म पर भी शेड बनाये जा सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब मैं एक आवश्यक बात को लेता हूँ। रेलवे के कुशल संचालन के लिये कर्मचारियों का सहयोग आवश्यक है। दुर्भाग्यवश प्रशासन ने इस संबंध में कोई जागरुकता नहीं दिखाई है। बहुत से कर्मचारी छोटी छोटी बातों--जैसे कार्मिक संघों में भाग लेना---आदि बातों पर नौकरी से हटा दिये जाते हैं। सरकार को चाहिए कि वे कर्मचारियों के प्रति अधिक तर्कपूर्ण और न्यायसंगत रवैया अख्त्यार करें।

श्रमिक सम्पर्क के संबंध में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। केन्द्रीय वेतन आयोग ने अपने प्रतिवेदन में एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह की थी कि नमेतिक श्रमिकों को धीरे धीरे से खपाया जाये। लेकिन बहुधा यह किया जाता है कि पांच या छह महीने के काम के पश्चात कर्मचारी को एक या आधे महीने के लिये हटा देते हैं और पुन : उसे ले लेते हैं। और इस प्रकार आयोग की सिफारिशों की उपेक्षा की जाती है।

यद्यपि रेलवे मंत्रालय इस बात को कहता है कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम लागू किया जा रहा है तथापि वास्तव में यह लागू नहीं किया जा रहा है। मेरे पास इसके कई उदाहरण हैं। प्रशासन को चाहिये कि वह इन मामलों पर पर्याप्त धन देवे।

†**श्री केप्पन** (मुवातुपुजा) : मुझे दुख है कि रेलवे में दुर्घटनाओं की वृद्धि हो रही है अभी आज ही एक दुर्घटना की चर्चा हुई थी। यद्यपि दुर्घटनाओं के कई कारण बताये जाते हैं और यह कहा जाता है कि रेलवे में कर्मचारियों की कमी अथवा उनमें असंतोष होने के कारण दुर्घटनायें होती हैं तथापि मेरे विचार से इन दुर्घटनाओं की जांच के लिए एक उच्चशक्तियुक्त आयोग नियुक्त किया जाये।

केरल में बहुत कम रेलवे लाइनें हैं और हम ने बार बार इस बात की मांग की है कि वहां और अधिक रेलवे लाइनें खोली जायें तथापि यह कह दिया जाता है कि वहां उद्योगों के अभाव में रेलवे लाइनें नहीं खोली जा सकती हैं। जब हम वहां अधिक उद्योगों को खोलने को कहते हैं तो ऐसा भी नहीं करने दिया जाता है। यह कह दिया जाता है कि वहां रेलवे या अन्य संचार के साधन उपलब्ध नहीं हैं। यद्यपि इलायची के सम्बन्ध में केरल का एकाधिकार है तथापि परिवहन के यथोचित साधनों के अभाव में इस पर असर पड़ रहा है।

यह सुझाव दिया गया था कि कोचीन से मदुरै तक एक नई रेलवे लाइन खोली जाये तथापि कुछ कारणों से ऐसा करना संभव नहीं हो सका अत: मैं मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि वे केरल के सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करे। क्योंकि मुख्यत: केरल में वहां के उत्पादों का यथा चाय रबड़ और इलायची का दाम गिर रहा है।

केरल की रेलगाड़ियों में बहुत भीड़ भाड़ रहती है उसे कम करने के लिये रेलवे प्रशासन को तत्काल कदम उठाने चाहियें।

यद्यपि भाड़े की दरों में वृद्धि हुई है तथापि मेरे विचार से यह वृद्धि अधिक नहीं है और यह अच्छा होगा कि खाद्यान्नों के परिवहन की दरें कुछ कम कर दी जायें।

रेलों की वहनक्षमता बढ़ाई जानी चाहिये ताकि हमारी अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई आवश्यकतायें पूरी की जा सकें।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री तुलसीदास जाधव (नांदेड़): उपाध्यक्ष महोदय, आप से मुझे पहली रिक्वेस्ट यह करनी है कि जितनी अच्छी हिन्दी मुझे बोलनी चाहिये उतनी अच्छी मैं बोल नहीं सकता, इस के लिये आप मुझे क्षमा करें ।

रेलवे मिनिस्टर ने जो बजट सदन के सामने रक्खा है, उस के आंकड़ों को देखने से मालूम होता है कि रेलों की प्रगति बहुत जोरों से चल रही है । पंद्रह वर्ष पहले के आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि इतने समय के बाद रेलों का काम बहुत तेजी से चलता है । यह इस देश के लिये बहुत अच्छी बात है । इसलिए मैं सरकार को और मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देता हूं । अगर आंकड़े देखे जायें तो मालूम होगा कि जहां सन् १९५०-५१ में रेलवे का केपिटल ८२७ करोड़ था वहां सन् १९६०-६१ में बढ़ कर १५२१ करोड़ हो गया । उस की आय जो सन् १९५५-५६ में ३१७ करोड़ पचास लाख थी वह सन् १९६०-६१ में ४५९ करोड़ हो गई और सन् १९६२-६३ में ५४६ करोड़ होने का अनुमान है । इस से पता चलता है कि रेलवे की आय भी बढ़ी है । अगर यात्रा करने वाले मुसाफिरों के आंकड़े देखे जायें तो पता चलेगा कि सन् १९५५-५६ में १२९ करोड़ यात्री चले थे और सन् १९६०-६१ में उन की संख्या १६१ करोड़ तक पहुंच गयी है । यात्रियों से सन् १९६०-६१ में १३१ करोड़ रुपये की आय हुई थी जोकि सन् १९६२-६३ में १६६ करोड़ होने का अनुमान है । जैसे जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे उन से होने वाली आय भी बढ़ती जाती है ।

यात्रियों की संख्या बढ़ गयी है उस के कारण भीड़ होती है । उस में सहूलियत करने के लिए सरकार ने टैक्स लगाने का विचार किया है जोकि अपर क्लासेज़ पर १५ प्रतिशत होगा और थर्ड क्लास पर १० प्रतिशत होगा । तीसरे दर्जे में जो भीड़ होती है उस को देखते हुए उन पर जो टैक्स लगाया गया है उस के बारे में हो सकता है कि सोशल वर्कर्स को इन लोगों को संतोष देने में कठिनाई हो । लेकिन अगर सरकार को कारोबार चलाना है तो वह पैसे के बगैर तो नहीं चल सकता ।

अभी तक जितनी स्पीचेज़ सुनीं उन से लगता है कि लोगों को जितनी सहूलियतें मिलनी चाहियें उतनी नहीं मिलतीं । अगर माल की कीमत ज्यादा हो पर माल अच्छा मिले तो भी लोग खुश रहते हैं । इसी दृष्टि से सरकार को किराया बढ़ाने के साथ लोगों को सहूलियत अच्छी रीति से देनी चाहिये । अगर ऐसा करने में अफसरों की या दूसरे लोगों की कुछ गलती हो तो उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये मेरी इस बाबत राय यह है कि अगर हो सके तो अपर क्लास पर जितना कर बढ़ाया है उसे और बढ़ा दिया जाये और लोअर क्लास का कर कम किर दिया जाय । ऐसा करना लाजिमी है ।

दूसरी बात मैं अपने यहां की कुछ मांगों के बारे में कहना चाहता हूं । मैं छोटी छोटी बातों में नहीं जाना चाहता कि इस रेलवे में यह हुआ और उस रेलवे में यह हुआ, या रेलों के आने का टाइम बराबर है या नहीं । ये बातें तो मिनिस्टर से या डिपार्टमेंट से कहने से दुरुस्त हो सकती हैं ।

मेरा कहना यह है कि लातूर मिरज सेक्शन में छोटी गेज है । इसलिए वहां बहुत भीड़ होती है । इस एरिया में पंढरपुर एक प्रसिद्ध देवस्थान है जहां सारे देश से लोग आते हैं । बहुत छोटी रेल होने से वहां बड़ी भारी भीड़ होती है और कैरिजेज़ भी भरपूर नहीं हैं । इस कारण बैठने तक के लिए जगह नहीं मिलती और सहूलियत का तो प्रश्न ही क्या है । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस सेक्शन को ब्रोडगेज कर दिया जाये । यह सुना था कि इस का सर्वे हुआ है लेकिन उस के लिये बजट के अन्दर कोई प्राविजन नहीं देखा । तो मेरी प्रार्थना है कि कृपया इस लाइन को ब्राड करने की तजवीज़ रखें ।

दूसरी बात यह है कि मैंने शोलापुर और औरंगाबाद का नक्शा देखा। उस से पता चला कि जो नार्थ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल रेलवेज़ का माइलेज है उस में सेंट्रल रेलवे का माइलेज कम है। जहां साउथ और वेस्टर्न रेलवेज़ का माइलेज ६००० और ६५०० है वहां सेंट्रल रेलवे का माइलेज ५००० ही है। सेंट्रल रेलवे का माइलेज ऐसा है कि नीचे से ऊपर और साउथ या ईस्ट जाने में जितना रास्ता आता है उतना ही सेंट्रल रेलवे का माइलेज है। मैं देखता हूं कि सेंट्रल रेलवे में माइलेज बढ़ाने की जरूरत है।

मराठवाड़ा जो कि महाराष्ट्र का पिछड़ा हुआ भाग है उसमें मैं देखता हूं कि गाड़ियां बहुत कम हैं। जितना रास्ता उसने आकुपाई किया है उसमें इतनी भीड़ होती है कि लोगों को दो दो दिन स्टेशन पर बैठना पड़ता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि शोलापुर और औरंगाबाद का रास्ता होने से भी कुछ सहूलियत होगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस ओर ध्यान दिया जाए।

दूसरी बात यह कहनी है कि पूना बंगलौर का छोटा गेज है। मैंने सुना कि वहां ब्राडगेज करने के लिए एस्टीमेट और सर्वे हुआ था। छोटा गेज होने से लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। पूना और बंगलौर में सामान को उतार कर दूसरी गाड़ी में डालना पड़ता है। इसलिए यहां ब्राडगेज होने की अत्यन्त जरूरत है।

दूसरी बात यह है कि तीसरी पंच वर्षीय योजना में पनवेल दीवा रेलवे के लिए कुछ प्रावीजन है। इसके लिए मेरी एक प्रार्थना है कि कोयना योजना से जो बिजली आती है उसके द्वारा यहां इलेक्ट्रिक लाइन कर दें तो फिर बार बार डबल खर्चा करने की जरूरत नहीं रहेगी।

जब हम बम्बई से दिल्ली आते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत से स्टेशन नए बने हुए हैं। लेकिन मराठवाड़ा में जो पहले के छोटे छोटे स्टेशन हैं वही वैसे के वैसे बने हुए हैं। मैंने नादेड़ स्टेशन पर देखा कि स्टेशन इतना छोटा है कि वहां लोगों को बाहर जाने में आधा घंटा लग जाता है। उस स्टेशन को बढ़ाने की जरूरत है।

वैगन्स के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है। अभी १५ दिन की बात है कि लातूर में जो कि मराठवाड़ा का सेंटर है और जहां व्यापार बहुत चलता है, ३०० वैगन का माल पड़ा है। यह माल गुड़ है जो कि महाराष्ट्र में ज्यादा बनता है। यह ज्यादा दिन रखने से खराब हो जाता है। पहले एक दो भाइयों ने कहा कि रेल की योजनाएं देहात के लिए भी होनी चाहिए क्योंकि देहात में हमको ज्यादा डेवलपमेंट करना है। लातूर का सेन्टर ऐसा है कि जहां पर औरंगाबाद, बीड़, परभणी, नांदेड़ और उसमानाबाद का माल लाने की आवश्यकता है। यह हैदराबाद का पिछड़ा हुआ भाग है। रेल न होने से यहां का माल लातूर लाने में कठिनाई होती है। यहां पर अधिकतर खेती की पैदावार होती है। इसको रेल की कमी की वजह से लाने में कठिनाई होती है और माल पड़ा रहता है और खराब होता है। इसलिए मैंने जो दो चार बातें आपके सामने रखी हैं उन पर विचार किया जाए यही मेरी प्रार्थना है।

दूसरे एक दो और छोटी छोटी बातें हैं। वे देखने में इतनी छोटी हैं कि उन पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन अगर इनको ठीक कर दिया जाए तो लोगों को जो दिक्कत होती है वह नहीं होगी।

एक बात तो यह है कि पिछले स्टेशन से जो गाड़ी आती है उसके बारे में यह सूचना पहले दी जानी चाहिए कि अगले स्टेशन पर इंजन से पहले दर्जे की गाड़ियां कितनी दूर होंगी, दूसरे दर्जे की कितनी दूर होंगी और तीसरे दर्जे की कितनी दूर होंगी जिससे कि मुसाफिरों को खड़े होने में सहूलियत हो। यह सूचना पीछे के स्टेशन का स्टेशन मास्टर अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को आसानी से दे सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो इंजिन जहां पानी लेता है उस जगह से आगे मुसाफिर अपनी

[श्री तुलसीदास जाधव]

सुविधा अनुसार खड़े हो सकते हैं। ऐसा करने में कोई खर्च नहीं है लेकिन इससे मुसाफिरों को बड़ी सुविधा होगी। ऐसी सूचना न होने से कभी कभी यह होता है कि अगर कोई मिनिस्टर आने वाला है तो लोग एक जगह एकत्र हो जाते हैं लेकिन उनका डब्बा आगे जाकर रुकता है। स्टेशन मास्टर को भी इसका पहले से पता नहीं होता, परिणाम यह होता है कि जब मिनिस्टर का डब्बा दूसरी जगह लगता है तो दौड़ धूप मच जाती है। और लोगों को बड़ी कठिनाई होती है। मैंने कई जगह पर सजेशन बुक्स में यह बात लिखी है लेकिन इस बारे में अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसमें कोई खर्च की बात नहीं है, थोड़ा अफसरों को सतर्क रहने की जरूरत है।

दूसरी बात यह है कि जब पैसिंजर उतर कर बाहर जाते हैं तो रास्ता छोटा होने से उनको बड़ा कष्ट होता है। छोटे स्टेशनों पर तो यह समस्या इतनी नहीं है लेकिन पूना और बम्बई जैसे बड़े स्टेशनों पर बड़ी कठिनाई होती है क्योंकि वहां भीड़ बहुत ज्यादा होती है। टिकट चैकर खड़ा रहता है वह कुछ नहीं करता। भीड़ में औरतें और बच्चे गिर जाते हैं। इसका प्रबन्ध करना चाहिए इसमें खर्चे की कोई बात नहीं है।

रेलवे प्रशासन को इसके वास्ते क्यू लगाने की व्यवस्था करनी चाहिए। उसके लिए एक लकड़ी का डंडा लगा कर लोगों को लाइन में खड़े करवा कर बाहर निकालने की व्यवस्था की जाए। जैसे कि बोरीबंदर स्टेशन पर जब यात्री उतरते हैं और उतर कर बाहर जब वे आते हैं तो निकलने के लिए क्यू बनाया जाता है। लकड़ी का डंडा लगा है और लोग लाइन से नम्बरवार स्टेशन के बाहर जाते हैं। मैं चाहता हूं कि हर एक रेलवे स्टेशन पर इस तरह का क्यू बनाने की व्यवस्था रेलवे प्रशासन को करनी चाहिए। अब इसको करने के लिए न तो आदमी बढ़ाने की जरूरत है और न ही खर्चा बढ़ाने की बात है।

डैकन क्वीन से जब यात्री लोग उतरते हैं तो इस लाइन की व्यवस्था के अभाव में लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। औरतों बच्चों को धक्का वगैरह लग जाता है इसलिए हर एक स्टेशन पर बाहर निकलने के लिए यात्रियों का क्यू लगवाने का प्रबन्ध रेलवे प्रशासन को करना चाहिए।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि यदि गाड़ी ९ बजे छूटने वाली है तो उसको एक घंटा पहले अर्थात् ८ बजे प्लेटफार्म पर लग जाना चाहिए। अभी वह प्लेटफार्म पर केवल १५ मिनट पहले आती है और मुसाफिरों द्वारा धक्कामुक्की और रेलपेल होती है और फलस्वरूप लोगों को चोटें आदि लगती हैं, सामान इत्यादि गिरता है और विशेष रूप से औरतों और बच्चों का तो बुरा हाल हो जाता है। उसको देख कर हमारे दिल में एक दर्द होता है और साथ ही शर्म भी लगती है कि आज जब कि हम आजाद हैं और खुद अपनी हुकूमत है तब हमारे यात्रियों की यह दुर्दशा होती है। अंग्रेजों के राज्य के अन्दर इतनी भीड़ होना और लोगों को परेशानी होना कोई असाधारण बात नहीं थी लेकिन आज के दिन वह जरूर असाधारण है। अब इसमें सुधार लाने के लिए न पैसा चाहिए और न कोई आदमी बढ़ाने की जरूरत है अलबत्ता रेलवे के अफसरान के दिल में पबलिक के लिए हमदर्दी और रहम की भावना होनी जरूरी है।

मेरी विनती है कि जो बातें मैंने निवेदन कीं उन पर अमल किया जाय। मैं सदन का और अधिक समय न लेते हुए उपाध्यक्ष महोदय, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि मैंने जो छोटे छोटे सुझाव दिये हैं उनको मिनिस्टर साहब और रेलवे के अफसरान अमल में लायेंगे।

†**श्री नरसिंहन रेड्डी** (राजमपट) : मैं तो एक साधारण देहाती की तरह ही इस रेलवे आय-व्ययक को देख सकता हूं। मैं कोई प्रविधिक विशेषज्ञ तो हूं नहीं। मेरा विचार था कि पदासीन दल अब और करों के दृष्टिकोण को छोड़ देगा, परन्तु लगता है मेरा विचार गलत था। मेरा निवेदन है कि इसकी भी कोई हद होती है। और उस हद पर पहुंच जाय तो उलटा प्रभाव करने लग जाता है। १९४०–४१ में रेलवे के यात्रियों की संख्या ६० करोड़ थी, परन्तु १९५०--५१ में यह बढ़ कर १३० करोड़ हो गयी। दस वर्षों में १११ प्रतिशत की वृद्धि हो गयी, परन्तु १९५८–५९ में यह वृद्धि केवल ११ प्रतिशत रह गयी। मेरा कहना है कि रेलवे के किरायों में वृद्धि से जन-साधारण पर बहुत भार पड़ेगा जो कि पहले ही अत्यावश्यक वस्तुओं के चढे हुए दामों के कारण दुखी हुआ हुआ है। गरीब को किराया भी अधिक देना पड़ रहा है और उसे चीजें भी मंहगे भावों में मिल रही हैं। सरकार को यह बात समझ लेनी चाहिए कि किरायों तथा भाड़ों में वृद्धि से रेलवे पर ही बुरा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि यातायात का बहुत भाग सड़क द्वारा होने लग जायेगा।

तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए कोई विशेष सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की गयी। उनकी हालत तो आज भी १५ वर्ष पूर्व जैसी ही है। रेलगाड़ियों में इतनी भीड़भाड़ रहती है कि लोगों को रेलों की छतों पर यात्रा करने पर मजबूर होना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि अब ऐसा समय आ गया है कि सरकार तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करे और इस दिशा में जो कुछ भी सम्भव हो किया जाना चाहिए।

रेलवे कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि की जा रही है। परन्तु मैं यह भी कहूंगा कि यदि ऐसा पता चले कि रेल दुर्घटनाओं में वृद्धि का कारण रेल कर्मचारियों की उपेक्षा वृत्ति है और वे नियमों का पालन समुचित ढंग से नहीं करते तो यह सरकार का कर्तव्य है कि रेल कर्मचारियों में उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य-निष्ठा की भावना को लाने के लिए उपाय करे। यह भी देखने में आया है कि रेलवे प्रशासन में फजूलखर्ची पाई जाती है। इस सारे मामले की जांच करने के लिए एक उच्च सत्ता प्राप्त आयोग की स्थापना की जाय जिसमें जापान का एक विशेषज्ञ भी लिया जाय। क्योंकि जापान में रेलवे का प्रशासन बहुत ही सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है। यह आयोग रेलवे में मितव्ययता लाने के सम्बन्ध में अपने सुझाव प्रस्तुत करेगा।

†**श्री सुबोध हंसदा** (झाड़ग्राम) : मैं रेलवे आय व्ययक का स्वागत करता हूं परन्तु तीसरे दर्जे के किराये बढ़ाने के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इसका बहुत बुरा प्रभाव होने वाला है। अल्प आय के लोगों के लिए आगे ही जीवन की गाड़ी को आगे ले जाना कठिन हो रहा है। अतः मेरा अनुरोध है कि वर्तमान में तीसरे दर्जे का किराया नहीं बढाया जाना चाहिए। इसी प्रकार की स्थिति 'सीजन टिकट' की है। उस में भी वृद्धि उचित नहीं है। यदि ऐसा किया गया तो कम कीमत वाले कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। इससे शिक्षा के कार्य को काफी हानि पहुंचेगी।

खड़कपुर-हावड़ा भाग पर विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है। इस मार्ग के दुकानदारों को अपनी दुकानों को उठा लेने के नोटिस दिये गये हैं। वैसे आस पास काफी जगह है यदि यह इन दुकानदारों को दे दी जाय तो उनका समुचित ढंग से पुनर्वास हो सकता है।

रेलों में काफी भीड़भाड़ रहती है, इसका उल्लेख किया गया है। यह ठीक है कि दक्षिण पूर्वी रेलवे पर गाड़ियों में बहुत भीड़ है विशेषकर खड़गपुर-टाटानगर विभाग में। वहां केवल एक यात्री गाड़ी है। इसके लिए कोई प्रबन्ध किया जाना चाहिए। मेरा सुझाव यह है कि नागपुर-टाटा एक्सप्रैस गाड़ी को खड़गपुर तक ले जाया जाय। काम को तेज करने के लिए मेरा विचार यह है कि रेलवे

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सुबोध हंसदा]

के देख रेख विभाग को स्थायी बनाया जाय ताकि अधिकारी अपने काम में अधिक रुचि लें और अधिक क्षमता से अपने कर्तव्य का पालन करे ।

यह भी शिकायत सुनने में आई है कि पदोन्नति के मामले में गाड़ियों के साथ जाने वाले कर्मचारियों को न्यायपूर्ण भाग नहीं दिया जा रहा है । यदि यह ठीक तो इसका है नैतिक प्रभाव बहुत बुरा होगा । मैं निवेदन करूंगा कि कर्मचारियों के नैतिक स्तर को बनाये रखने के लिए इन कथित अनियमितताओं के बारे में पूरी जांच करनी चाहिए । इसके अतिरिक्त मैं इस बात की ओर भी मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि रेलवे में रक्षित नौकरियों पर अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के उम्मीदवारों को नियुक्त करने के प्रयोजन के लिए एक चुनाव बोर्ड की स्थापना की जाय । और इस बारे में समुचित जांच की जाय ।

†**श्री अब्दुल गनी** (जम्मू और काश्मीर) : इस मांग को कई बार दोहराया गया है कि जम्मू और काश्मीर राज्य को रेल द्वारा मिलाया जाना चाहिए । १९४७ से पूर्व सियालकोट से जम्मू तक रेलवे थी । अब हम १५ वर्ष से यह कह रहे हैं कि जम्मू तक तो रेल की व्यवस्था की जाय । ऐसे स्थानों तक तो रेल की व्यवस्था की ही जानी चाहिए जहां पर कि कोयला उपलब्ध होता है । सरकार सर्वेक्षण करवा चुकी है, बहुत से खनिजों के उपलब्ध होने की आशा है । अतः मेरा निवेदन है कि केवल पर्यटकों की सुविधा की दृष्टि से ही नहीं जम्मू और काश्मीर राज्य के विकास के निमित्त इस राज्य का रेलवे द्वारा मिलाया जाना जरूरी है । कम से कम जम्मू तक एक रेलवे लाइन का बिना विलम्ब किये मिलाया जाना जरूरी है । संचार साधनों के अभाव के कारण उपलब्ध प्रचुर मात्रा में खनिज पदार्थों का लाभ उठाया नहीं जा सकता । इसी अभाव के कारण जम्मू और काश्मीर में भारी उद्योगों की स्थापना भी सम्भव नहीं हो रही ।

हमें दूसरे दृष्टिकोण से भी सोचना चाहिए कि जम्मू व काश्मीर को रेलवे के द्वारा मिलाया जाना न केवल देश के आर्थिक विकास अपितु रक्षा के विचार से अत्यन्त जरूरी है, यह भी है कि यदि काश्मीर तक रेलवे लाइन बन गयी तो उस राज्य के पर्यटक यातायात में असाधारण वृद्धि हो जायेगी । मुझे आशा है कि सरकार जम्मू तक रेलवे लाइन बनाने के लिए तुरन्त कार्यवाही करेगी । बाद में हालात के अनुसार उसे कलाकोट, चिनानी अथवा उधमपुर तक बढ़ाया गया तो इससे हमें बहुत लाभ प्राप्त होने की आशा है ।

श्री का० रा० गुप्त (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे बजट के साथ जितनी पत्र पत्रिकायें हैं उनको हमें कई दृष्टियों से देखना है, उपभोक्ता की दृष्टि से, उद्योग की दृष्टि से, योजना के समन्वय की दृष्टि से, रेल कर्मचारियों की सुविधा की दृष्टि से और जनता के हित की दृष्टि से । किन्तु जब हम उसके भीतर घुस कर देखते हैं तो मालूम होता है कि उसमें इनमें से कोई भी दृष्टि नहीं रक्खी गई है पूरे तरीके से । यही नहीं बल्कि कुछ बातें तो ऐसी हुई हैं जो उनके सर्वथा विपरीत जाती हैं । उदाहरण के तौर पर थर्ड क्लास के यात्रियों के बारे में, सब जानते हैं, हम आजादी से पहले यह पुकार किया करते थे कि कोई भी उनकी सुख सुविधाओं को नहीं देखता है और बराबर उनके ऊपर किराया बढ़ाते चले जाते हैं । हम यह सोचते थे कि आजादी के बाद यह सब कष्ट दूर होंगे और उन के बारे मे जो एक तरह का लापरवाही का तरीका चल रहा है वह नहीं रहेगा । लेकिन आज देखा जाता है कि इस नाम पर कि घाटा पूर्ति कहां से हो, उनके ऊपर १० फीसदी टैक्स बढ़ाया

---

†मूल अंग्रेजी में

जाता है और उनसे १० करोड़ रु० लिया जाता है। मगर साथ ही साथ उनके साथ बर्ताव कैसा होता है इसको शायद वे लोग न जानते होंगे जो केवल फर्स्ट क्लास में चलते हैं या वायुयानों में चलते हैं। हम जैसे लोगों को जो थर्ड में भी चलते हैं, सेकेंड में भी चलते हैं और फर्स्ट में भी चलते हैं और सब तरह के लोगों से मिलते हैं, उनमें से हर एक को उनके बारे में अच्छी तरह से मालूम है।

अभी परसों रात के वक्त मैं जानबूझ कर एक ऐसी ट्रेन से गया जो कि पैसेंजर है और यहां से रिवाड़ी को जाती है क्योंकि मुझे देखना था कि किस तरह से लोग उसमें चलते हैं। यह हालत थी कि लोगों को टिकट तो मिल गये और लोग बाहर लटकने की कोशिश में लगे रहे लेकिन गाड़ी चल दी। उनके बाल बच्चे रह गये और उनको उतरना पड़ा। स्टेशन के ऊपर प्यास लगी होती है लेकिन पानी वाला कहीं नजर नहीं आता है। इसके अलावा अगर कोई टी० टी० ई० आ जाता है और कोई आदमी ऐसा होता है जो भूल से थर्ड क्लास के बजाय सेकेन्ड क्लास के डब्बे पर चढ़ गया, तो उससे पैनेलिटी उसी वक्त चार्ज करने की कोशिश रहती है। यह स्थिति है कि जवाबदारी तो रेलवे की है और भोगते हैं उपभोक्ता लोग जो गरीब समझते नहीं कि वे किस लिये ऐसा दण्ड भोग रहे हैं। यह चीज हमारी समझ में नहीं आ रही है कि जब हम प्लैण्ड एकानमी के आधार पर चल रहे हैं तो यह गड़बड़ क्यों हो रही है और कब तक यह चलेगी। बजट पेपर्स में इसका जिक्र नहीं मिलेगा। कभी कभी हमारे मिनिस्टर महोदय कहते हैं अखबारों में और बयानों में या इस सदन में कि यह चीज कुछ और दिन चलेगी। हम सब्र करते अगर टैक्स बढ़ा कर सुख सुविधाओं को बढ़ाने की भी बात कहते और सोचते कि ठीक है इसको बढ़ाने दिया जाय, मगर यह डबल मार उन लोगों पर नहीं पड़नी चाहिये। उनके ऊपर टैक्स भी बढ़ाया जाय और साथ साथ उनको सुविधाओं से भी वंचित रक्खा जाय। आखिर ऐसी कौन सी योजना होती है जिसमें साधन उपलब्ध न हों तो टैक्स तो लगा दिये जायें लेकिन लोगों को सुविधायें न मिलें। इससे ही काम चलता तो भी कोई बात नहीं थी। इकानमी के नाम पर, मितव्ययिता के नाम पर ऐसे ऐसे काम किये जाते हैं जो कि अचरज में डालने वाले होते हैं। मैं समझता हूं कि शायद हमारे मन्त्री महोदय को यह पता नहीं होगा कि आजकल रेलवे के अफसरों ने जो नये तरीके अख्त्यार किये हैं, उनसे देहात के किसानों को कितना कष्ट होता है। एकानमी के नाम पर, मितव्ययिता के नाम पर जो छोटे छोटे स्टेशन होते हैं उनके आउटर सिगनल्स के गेट पर जो गेट मैन होते हैं उन को हटा दिया गया बहुत सी जगहों पर और उन जगहों पर जो प्वाइंट्स मैन होते हैं उन को चाभी दे दी गई है कि अगर कभी कोई आदमी आये तो जाकर गेट खोल दे। वे यह भूल जाते हैं कि हजारों और लाखों आदमी जो उधर से जाते हैं उन के ऊंट, बैल, गाड़ियां और ट्रक भी जाते हैं और उनका कितना समय बरबाद होता है पाइंट्स मैन के पास जाने में और गेट खुलवाने में। अब अगर वह लोग इतने समझदार हों और इतने संगठित हों तो जल्दी वह आप के कानों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अगर मजदूरों जैसा उनका संगठन हो तो अपनी आवाज वह आप तक बखूबी पहुंचा दें लेकिन उनका कोई संगठन नहीं है उनकी कोई आवाज नहीं है। शायद हमारे रेलवे अफसरान यह समझते हैं कि यह चलना चाहिए। अंग्रेजों के राज्य में यह नहीं चलता था लेकिन अब जरूर चलना चाहिए। अब किस आधार पर चलना चाहिए और क्यों चलना चाहिए यह समझ में आने वाली बात नहीं है। इस तरह के एकोनामिक मेजर्स लिये जाते हैं।

इसके अलावा जहां तक रेलों की रफ्तार का सवाल है मीटरगेज सिस्टम में काफी बुरी हालत है। वही दकियानूसी तरीका आज तक चलता आ रहा है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बतलाऊं कि मंदसौर से इन्दौर तक १२६ मील का टुकड़ा है जिसके लिए रेल से सफर करने में साढ़े ६ घंटे लगते हैं। इस देश में जहां कि योजनाएं चल रही हैं वहां रेल के जरिये इस प्रकर की समय की बर्बादी कुछ मेल नहीं खाती है। इस तरह से कैसे काम चलेगा।

[श्री का० रा० गुप्त]

जहां तक यातायात के समन्वय का सवाल है सड़कों के साथ और जहाजरानी के साथ उसका क्या सम्बन्ध है इसका कभी कोई जिक्र बजट पेपर्स में नहीं आता है। बिना इसकी जानकारी के यह सदन कैसे समझेगा कि अमुक डिमाण्ड इन की सही है या गलत है।

अब कुछ दिनों से यह चर्चा चल रही है कि कोयला कैसे ढोया जाय। जहाजों द्वारा कोयला भेजे जाने की बात की जाती है लेकिन जहाजों के द्वारा कितना कोयला पहुंचेगा और कितना नहीं पहुंचेगा इसका कोई जिक्र नहीं है। हम प्लाण्ड एकोनामी की बात करते हैं लेकिन रेलों और जहाजरानी का और रोड्स ट्रांसपोर्ट का आपस में समन्वय न होने से हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं। इनमें आपस में समन्वय होना जरूरी है। इसलिये यह मांग उचित ही है कि एक हाई पावर कमीशन बने या इवैलुएशन कमीशन जो कि इन आंकड़ों को देखे भाले। जो आंकड़े दिखाये गये हैं उनके बारे में देखा जा सकेगा कि वह वास्तविकता की कसौटी पर कहां तक टिक सकते हैं। जो सब्ज बाग हमें दिखाये जाते हैं वह दरअसल कहां तक टिक सकते हैं।

इसके आगे चल कर फैले हुए करप्शन अथवा भ्रष्टाचार की बात आती है। अब यह भ्रष्टाचार या आम लोगों की भाषा में दस्तुरी कह सकते हैं वह हमारे अन्दर घुसी हुई है। भ्रष्टाचार के बारे में आचार्य कृपलानी की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी और उसने इस बारे में शायद अपनी कोई रिपोर्ट भी दी थी। अब उसका क्या बना कुछ पता नहीं लगता है।

यह बिल्कुल ठीक है कि रेलों में केवल टिकट चैकर ही नहीं बल्कि पुलिस के सिपाही भी जिनका कि काम लोगों के जान माल की हिफाजत करना होता है वह भी डबलू० टी० लोगों को रेल में ले जाते हैं। इसके ऐवज में उनकी जेब गर्म हो जाती है। टिकट चैकर्स के साथ साथ वह भी इस नाजायज तौर से पैसा कमाने के धंधे में लग जाते हैं। विजिलेंस स्टाफ के आदमी जो हिम्मत वाले और तगड़े होते हैं वही उनका मुकाबला कर सकते हैं वे एक दूसरे से बदला निकालने के भय के कारण उनका मुकाबला भी नहीं करते हैं। भ्रष्टाचार की दृष्टि से देखिए, थर्ड क्लास की ऐमीनेटीज की दृष्टि से देखिये या रेलों की रफ्तार की दृष्टि से देखिये, यह प्रगति कहां दिखाई देती है? कहीं भी कोई उल्लेखनीय प्रगति आपको देखने को नहीं मिलेगी। हम से कहा जाता है कि ब्रौड गेज लाइनें आगे डाली जायेंगी, नैरोगेज और मीटरगेज नहीं रह जायेंगी उनको जब यह बतलाया जाता है कि ब्रौडगेज लाइन छोटे से टुकड़े पर डालने से लाखों आदमियों का फायदा होगा लेकिन तब भी इस काम को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बतलाऊं कि अलवर से भरतपुर ७० मील है। उसके लिये करीब ४ वर्ष हुए जब एक प्रीलिमिनैरी सर्वे के लिये कुछ एपायेन्मेन्ट हुआ था लेकिन उसके बाद उस दिशा में कुछ प्रगति नहीं हुई। उस दिशा में कुछ नहीं किया गया। कलकत्ता साइड सीधी वहां से सम्बन्धित है और अगर वहां पर बड़ी लाइन हो जाय तो अच्छा रहेगा। वहां पर भारी मात्रा में सरसों पैदा होती है। पांच बड़ी मिलें हैं जो कि बन्द पड़ी हुई हैं और करीब १५०० या २००० आदमी उनके आज बेकार हैं। बड़ी लाइन होने से हमारे व्यापारी लोगों को काफी सहूलियत हो सकेगी। अब यह देखने में छोटी छोटी चीजें नजर आती हैं लेकिन अगर इनको प्राथमिकता नहीं दी जाती है और थर्ड प्लान में भी इनको प्रायरिटी नहीं मिलती है तो आखिर कब इनको प्राथमिकता दी जायगी?

जहां तक नैरोगेज की बात है एक मिसाल आप के सामने मौजूद है। जब से ज्वालामुखी में गैस निकली है तब से किसी कारण से सन् १९६० से आज तक राजस्थान की वेस्टर्न रेलवे की वह लाइन कतई बन्द है। साल्ट के लिये या सीमेंट के लिए कभी कभी खुल जाती है और किसी चीज के लिए नहीं खुल सकती है। यह कहा जाता है कि सरकारी सामान ज्यादा है। वहां के पहाड़ के

आदमी को एक तो जरूरी सामान नहीं पहुंचता है और दूसरे काफी महंगाई का सामना उस को करना पड़ता है। इस तरह से उस बेचारे पर डबल मार पड़ती है। हम सब जानते हैं कि पहाड़ में लोगों के पास रोजगार नहीं है और वह रोजगार करने इधर मैदानों में आते हैं। सामान ले जायं तो वह महंगा मिले। इस तरह की दुहरी मार उन पर पड़ रही है। न तो उस नरोगेज को ब्रौडगेज बनाया और न ही उस के डिब्बे बढ़ाये। ऐसा वर्षों चले, ५-७ वर्ष चल जायं फिर यह कैसी एकोनामिक प्लानिंग है यह समझ में आने वाली बात नहीं है।

इसके अतिरिक्त मैं यह निवेदन करूं कि यह सारा घपला क्यों है ? सारा घपला इसीलिये है कि इस प्लानिंग को सारे देश को प्लानिंग से इस ढंग से जोड़ा जाता है जैसे कि कागजों में बैठ कर जोड़ते हैं। अमल में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिये इसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता है।

बड़े बड़े रेलवे के अफसरान ३००० और ४००० पाते हैं। रेलवे बोर्ड के बजट में १६ या १८ लाख रुपये की मद कागजों में इस तरह से हेर फेर करके दिखलाई जाती है जो कि वास्तविकता को छिपाती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बतलाऊं कि आप के यहां दिखलाया गया है कि १७ या १८ करोड़ रुपया फर्स्ट क्लास के किराये से आयेगा लेकिन अगर उसकी जांच की जाय कि फर्स्ट क्लास में कौन लोग ट्रैवल करते हैं तो आपको पता लगेगा कि व्यापारी वर्ग अब ज्यादातर हवाई जहाज से जाता है। फर्स्ट क्लास में ज्यादातर सरकारी अफसर ही सफर करते हैं। जब सरकारी अफसरान को भत्ता मिलता है तो होता यह है कि एक तरह से एक डिपार्टमेंट का रुपया दूसरे के बहीखाते में ट्रांसफर हो जाता है। असल आमदनी रेलवेज को थर्ड क्लास से होती है और हालत यह है कि थर्ड क्लास के यात्रियों की कोई परवाह नहीं की जाती है। आवश्यकता इस बात की है कि रेलवे मन्त्रालय थर्ड क्लास की तरफ ध्यान दे। वह देखे कि थर्ड क्लास में कहां भीड़ हो रही है और किस कारण से हो रही है और उसके अनुसार उसमें सुधार करे। रेलवे मन्त्रालय देखे कि तीसरे दर्जे में यह भीड़ बारातों की वजह से हो रही है या पिलग्रिमिज के कारण हो रही है ? अब बारातें और तीर्थ यात्रा कोई बारह महीने तो होतीं नहीं हैं। अगर मोटरगेज लम्बे अर्से के लिये रहना है तो उसको कैसे रोका जाय ? क्या उसको रोड की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाय या १००-१०० मील के टुकड़े में शटल ट्रेंस चलाई जायें या क्या किया जाय ? इसलिए प्लानिंग का जो तरीका बना हुआ है वह सारा डिफैक्टिव है। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से अपील करूंगा कि वे इस बजट में से थर्ड क्लास का किराया बढ़ाने की बात खत्म कर दें। दस करोड़ रुपया लोन आइटम में से ले लीजिये। फिर एक बड़ा कमीशन बिठाइये और वह सारी चीजों की जांच करे और उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि अगले १०-१५ वर्ष के लिये किस तरह से यह सारा प्लान हो जिससे कि उपभोक्ता भी सन्तुष्ट रहे और रेलवेज की उचित आमदनी भी हो।

फूड प्राबलम का भी सवाल हमारे सामने है। गल्ले की पैदावार हमारी बढ़ती है लेकिन उस के बढ़ने के बाद देश में विभिन्न स्थानों पर जैसी जहां की आवश्यकता है, गल्ला पहुंचाये जाने की समस्या अभी भी बाकी रहती है और समन्वय के द्वारा ही वैगन्स आदि की व्यवस्था कर के हम इस को हल कर सकते हैं।

आज कोयले को लदाई की समस्या है। कहा जाता है कि स्टील प्लांट्स के लिये ५० प्रतिशत वैगन्स काम में आते हैं और बाकी ५० परसेंट अन्य चीजों के वास्ते काम आते हैं लेकिन उस बाकी में भी कोयले का एक बहुत बड़ा आइटम है। यह ठीक है कि यह सब चीजें सदन में नहीं रक्खी जा सकती हैं लेकिन टैक्सेशन का जो ढांचा बनाया है वह यह जाहिर करता है कि जो एक समन्वय होना चाहिए वह इस में नहीं पाया जाता है। अब होता यह है कि एक डिपार्टमेंट ने एक नोट लिख कर

[श्री का० रा० गुप्त]

भेज दिया दूसरे ने तीसरे डिपार्टमेंट को लिख कर भेज दिया और फिर रेलवे बोर्ड ने वह नोट आप के सामने रख दिया और आपने उसको संसद् में रख दिया। इस तरह के बेमेल जोड़तोड़ से कभी भी हमें लाभ नहीं हो सकता है। जब हम प्लांड एकोनामी में विश्वास रखते हैं तो उस की जड़ों को हमें देखना चाहिए।

शिपिंग, रेल, रोड ट्रांसपोर्ट और हवाई जहाज यह चारों यातायात अपनी अपनी जगह उपयुक्त हैं। इसलिए आप को यह देखना होगा कि कहां प्रेशर को घटाना है और कहां प्रेशर को बढ़ाना है। इन से जब तक आप का समन्वय नहीं होगा और जब तक आप गरीबों को राहत देने की बात नहीं सोचेंगे तब तक यह प्लान चलने वाला नहीं है। इसलिए तीसरे दर्जे का किराया क़िसी भी तरह से बढ़ाना उचित नहीं है। अलबत्ता फर्स्ट क्लास के किराये को और भी बढाया जा सकता है इसमें कोई शक नहीं है।

जहां तक माल का भाड़ा बढ़ाने का सवाल है वह उन सब चीजों पर बढ़ाया जा सकता है जोकि लक्जरी गुड्स हैं या उन चीजों पर बढ़ाया जा सकता है जोकि छोटे फास्ले के लिए बुक की जाती हैं। लेकिन यह तभी हो सकता है जब दिल में भावना हो और दर्द हो। अगर मशीन की तरह से ही सारा काम चलेगा, मशीन की तरह से ही बजट बनेंगे और मशीन की तरह से ही हम बजट पास करेंगे तो देश को नुकसान ही होने वाला है और उस से एक ऐसी भयंकर स्थिति पैदा हो सकती है जिस की कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बजट को हमें बिलकुल दूसरी दृष्टि से देखना चाहिए, आंकड़ों की दृष्टि से नहीं बल्कि मानवीय दृष्टि से देखना चाहिए कि उस में हमारे देश का हित कैसे होगा। यदि हम उस दृष्टि से इस को देखेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जो टैक्सेशन पालिसी इस में अख्तियार की गई है, वह बहुत गलत है, उसकी बुनियाद गलत है और उस को बिलकुल बदल देना चाहिये।

†**श्रीमती सरोजिनी वि० महिषी** (धारवाड़ उत्तर): मैं रेलवे मंत्री को उन के बजट के लिए मुबारकबाद देती हूं। रेलों का किसी राष्ट्र के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। देश में एकता पैदा करने में रेलवे ने बड़ा ही कार्य किया है। इस के बिना अन्तर्राज्यीय व्यापार और मेल ठप हो जाता है।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

पहले रेलवे मंत्री महोदय ने जो आयव्ययक रखा था, उस में १३.१६ करोड़ का लाभ दिखाया गया था परन्तु अब की बार इस में घाटे का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि यात्री किराया बढ़ जाने से जन साधारण पर बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका है। इस से जीवन का खर्चा बढ़ जाने की सम्भावना है। मेरा मत यह है कि अच्छा हो कि माननीय मंत्री महोदय आय के कोई दूसरे साधन ढूंढने का यत्न करें जिस से सर्वसाधारण पर इस बात का कोई प्रभाव न हो। लोगों की जो आशायें हैं उन की ओर सरकार को जागरूक रहना चाहिए।

मैं अलनावार डांडेली लाइन का उल्लेख करना चाहती हूं। यह लाइन १९१८ में बनी थी और खेद की बात है कि तब से ले कर आज तक उस में कोई सुधार नहीं हुआ है। उस पर चलने वाली गाड़ियों के डिब्बे भी पुराने ही हैं और इंजन भी काफी पुराने ही हैं। वहां पर गाड़ियां २० मील का फासला २ घंटों में तय करती है। उस लाइन पर स्थिति के सुधार के उपाय किये जायें। यह बड़ी

†मूल अंग्रेजी में

महत्वपूर्ण लाइन है और इस का निर्माण जंगलों से टिम्बर को देश के अन्य भागों में ले जाना था। यदि सरकार इस का काफी लाभ उठा रही है फिर भी संचार व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। इस बारे में मेरा निवेदन है कि हुबली वर्कशाप में, जिस में मरम्मत तथा छोटे पुर्जों के बनाने का काम होता है, विस्तार किया जाय, वहां पर "मीटर गेज" रेल-डिब्बों के बनाने का काम आरम्भ हो सके ।

दक्षिण रेलवे में कई समय से नियमित तौर पर गाड़ियों का आना जाना अनियमित हो रहा है। रेलों के विलम्ब से चलने की बात आम हो गई है। स्थिति में सुधार के लिये प्रयत्न किये जायें। अन्त में मेरा यही कहना है कि आजाद भारत की रेलवे में यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधायें प्राप्त होनी चाहिये। रेल द्वारा ही विभिन्न राज्यों के लोग एक दूसरे के निकट आ सकते हैं और भावात्मक एकता का निर्माण सम्भव हो सकता है। अतः मेरा निवेदन है कि यात्रियों के लिए अधिक सुविधाओं की व्यवस्था की जाये। भाड़ों और किरायों में कमी की जाये।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा) : माननीय सदस्या ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिये अलनावर से डन्डेली तक एक रेलवे लाइन की मांग पेश कर के मेरे मुंह की बात छीन ली है। आशा है माननीय मंत्री उस पर विचार करेंगे। उस से अपरिमित आय होगी।

मैं नये रेलवे मंत्री को बधाई देता हूं। माननीय मंत्री इससे पहले दो मंत्रालयों का दयित्व भी बड़ी खूबी से निभा चुके हैं। आशा है कि उन के मंत्रित्व-काल में मेरे निर्वाचन क्षेत्र—कारवार—में भी रेलव लाइन पहुंच जायेगी।

मैं तो नये रेलवे मंत्री की सफलता तभी मानूंगा जब मेरे निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे पहुंच जायेगी। मेरे निर्वाचकों ने मुझे इसी शर्त पर पुनः निर्वाचित कर के यहां भेजा है।

आशा है कि माननीय मंत्री मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक बार आने की कृपा करेंगे। रेलवे मंत्री अपनी इच्छा से ५० मील तक नयी रेलवे लाइन की मंजूरी दे सकते हैं। आशा है कारवार क्षेत्र को इस से लाभ पहुंचाया जायेगा। अभी तक रेलवे बोर्ड का एक भी सदस्य वहां नहीं पहुंचा है। कारवार में बौक्साइट, मैंगनीज़, लोहा, नारियल, काजू और मछलियों की बहुतायत है। विद्युत् शक्ति के विकास की दृष्टि से भी वहां अपार सम्भावनायें हैं। फिर भी वहां रेलवे नहीं है। वहां संसार का दूसरा सब से बड़ा जल-प्रपात है। वहां से दवाइयों के लिये 'कोबरा' सर्प भी बाहर भेजे जा सकते हैं।

कश्मीर के लिये नई रेलवे लाइन की मांग का भी मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि उस को सामरिक महत्व के कारण कारवार से अधिक प्राथमिकता देनी चाहिये।

कारवार में एशिया का सब से बड़ा प्रकाश-स्तम्भ है।

भारत सरकार समिति द्वारा १८७२ में किये गये सर्वेक्षण में भी कहा गया था कि भारत की तटीय रेलवेज़ में कारवार रेलवे सब से अधिक सस्ती और आसान होगी।

इसके अतिरिक्त पश्चिमी घाट के क्षेत्रों के लिये कारवार पत्तन ही सब से अधिक नज़दीक पड़ता है। सिरसी होती हुई, हुबली-कारवार लाइन से हमारे क्षेत्र की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। डंडेली भारत का एक प्रमुख औद्योगिक नगर बनता जा रहा है। वहां काग़ज़ बनाने का बहुत बड़ा कारखाना है। माननीय सदस्या ने इस सभी का उल्लेख किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जोकीम आल्वा]

तीसरे दर्जे के मुसाफिर डी-लक्स गाड़ियों में ही वातानुकूलित डिब्बों में यात्रा करने का सुख उठा सकते हैं। लेकिन अभी और अधिक सुविधायें जुटाई जानी चाहियें। भोजनादि की व्यवस्था में अभी और अधिक सुधार की गुंजाइश है।

यदि भोजनादि की उचित व्यवस्था पुरुषों से नहीं संभलती तो उसे स्त्रियों को सौंप देना चाहिये। ऐसी कई महिलायें हैं जिन्होंने विदेशों में इस का प्रशिक्षण पाया है, फिर भी उन को कहीं काम नहीं मिलता। सेना और प्रतिरक्षा अधिकारियों को शिकायत है कि उनसे भोजन के लिये पैसा तो काफी लिया जाता है पर उतना अच्छा भोजन नहीं दिया जाता। हर दर्जे के मुसाफिरों के लिये भोजन की उचित व्यवस्था होनी चाहिये।

रेलवे में यात्रियों की सुरक्षा के प्रति लापरवाही दिखाई जा रही है। इस से देश को बड़ा खतरा उठाना पड़ेगा। बम्बई जैसे शहर में भी दो ग्रेजुएट छात्राओं को ट्रेन से बाहर फैंक दिया गया था। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। जब बम्बई में यह हो सकता है, तो फिर दूसरे शहरों का तो पूछना ही क्या।

रेलवे बोर्ड को निवृत्त अधिकारियों का पिंजरापोल नहीं बनाना चाहिये। उस में योग्य, प्रशिक्षित व्यक्ति ही रखे जाने चाहियें।

बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली में यातायात की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। स्टेशनों पर थोड़े फासले के लिये छोटी टैक्सियां नहीं मिलतीं। स्टेशनों पर टैक्सियों की उचित व्यवस्था करने का दायित्व रेलवे को संभालना चाहिये। सब से अधिक ध्यान तो ट्रेनों में यात्रा करने वाली महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को दिया जाना चाहिये। इस कार्य के लिये नवयुवकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिये।

अन्त में, मैं रेलवे मंत्रालय को बधाई देता हूं कि उसने गोवा के लिये प्रतिदिन २००–३०० ट्रेनों की व्यवस्था कर के गोवा में ३०,००० भारतीय सैनिक पहुंचा कर, एक बड़ा काम किया था। उस सुनियोजित व्यवस्था के लिये हमें सभी रेलवे कर्मचारियों को भी बधाई देनी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा स्थगित की जाती है। और ५ बजे बजट के लिये पुनः समवेत होगी।

इस के पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न पश्चात् ५ बजे तक के लिये स्थगित हुई।

लोक-सभा मध्याह्न पश्चात् ५ बजे पुनः समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

सामान्य आय व्ययक, १९६२–६३

†**अध्यक्ष महोदय :** वित्त मंत्री।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** अध्यक्ष महोदय, एक महीने से कुछ अधिक हुआ, मैंने दूसरी लोक-सभा के अन्तिम सत्र में १९६२–६३ के वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत

---

†मूल अंग्रेजी में

करके लेखानुदान प्राप्त किया था। आज मैं इस सभा से, कुछ छोटे-छोटे परिवर्तनों के साथ, जिनकी व्याख्या मैं आगे चल कर करूंगा, इन अनुमानों पर पूरे वर्ष के लिए विचार करने और इन्हें स्वीकृति देने की प्रार्थना करता हूं।

२. अन्तरिम बजट पेश करते हुए मैंने १९६१–६२ की आर्थिक परिस्थितियों की समीक्षा की थी। मैंने उद्योग-धंधों और कृषि दोनों क्षेत्रों में हुए भारी उत्पादन, मूल्य-स्तर में आयी हुई कुछ स्थिरता, हमारी आयोजना की पूर्ति के लिए विदेशी सहायता के क्षेत्र की अनुकूल प्रवृत्तियों और विदेशी मुद्रा (फारेन एक्सचेंज) की जटिल स्थिति का उल्लेख किया था। अब मैं उन्हीं बातों को दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि पिछले महीने मैंने अपने बजट भाषण में जो कुछ कहा था और जो कुछ आर्थिक समीक्षा में और भी विस्तार से बताया जा चुका है उसके अलावा प्रायः ऐसी कोई नयी बात नहीं हुई जिसे यहां कहा जा सके। बजट पत्रों के साथ मेरे पिछले बजट भाषण और आर्थिक समीक्षा दोनों को प्रचारित किया जा रहा है।

३. एक दशक से भी अधिक समय से, देश की आर्थिक नीति को, विकास की क्रमिक पंच-वर्षीय आयोजनाओं के परिपालन की दृष्टि से तैयार किया जा रहा है। सिंहावलोकन करने से पहली पंचवर्षीय आयोजना मामूली जान पड़ती है, लेकिन उससे अतिरिक्त उद्यम के लिए नींव पड़ गयी। अपनी दूसरी आयोजना में, जिसमें बुनियादी और भारी उद्योग-धंधों के विकास पर जोर दिया गया था, हमने और भी बड़े और विशाल कार्यक्रम को हाथ में लिया। यद्यपि उसके परि-पालन में हमें बहुत सी कठिनाइयों, खास तौर से विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसमें सन्देह नहीं कि उसकी बदौलत भारतीय अर्थ-व्यवस्था में बहुत मज़बूती आ गयी है। वास्तव में ऐसा लगता है कि हमारे प्रयत्नों की सफलता से, कम विकसित देशों के विकास के लिए आयोजन के महत्व को दुनिया भर में मान्यता मिली है।

४. हमारी तीसरी आयोजना का उद्देश्य, जिसे आरम्भ हुए एक साल हो चुका है, राष्ट्रीय आय में वास्तविक अर्थ में पांच वर्ष में प्रायः ३० प्रतिशत की वृद्धि करना है। इसका उद्देश्य हमें स्वतः उत्पादनशील अर्थ-व्यवस्था के लक्ष्य के बहुत निकट पहुंचाना है, ताकि यह स्वतः उत्पादनशील अर्थव्यवस्था विदेशी सहायता के बिना ही सन्तोषजनक प्रगति करती रहे। आयोजना में, सरकारी क्षेत्र में ७५०० करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान किया गया है। यह राशि दूसरी आयोजना की तुल्य राशि की अपेक्षा लगभग दो-तिहाई अधिक है। तीसरी आयोजना की अवधि में हम जो कुल १०,४०० करोड़ रुपया लगाना चाहते हैं वह पहली दोनों आयोजनाओं की अवधि में वास्तव में लगायी गयी कुल रकम के बराबर है। हमारी आयोजना के आकार में इतना विस्तार होने के बावजूद हम जनता की और अधिक स्कूलों और सड़कों, और अधिक बिजली व पीने के पानी और अधिक परिवहन और रोज़गार पाने की सभी उचित आकांक्षाओं को स्थान देने में असमर्थ हैं। सरकारी और ग़ैर-सरकारी क्षेत्र की बहुत सी लाभकारी और वांछनीय योजनाएं इसलिये शामिल न की जा सकीं कि साधनों के अभाव में हम अपनी आयोजना में उनके लिए धन की व्यवस्था न कर सके। इसलिये यह बहुत ही आवश्यक है कि हम उन साधनों को जुटाने और उन्हें प्रयुक्त करने में कोई कसर न रखें जिनकी सहायता से हम उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें, एक राष्ट्र के रूप में, हमने अपने सामने रखा है।

५. जिस सबसे बड़ी कमी का हमें सामना करना पड़ रहा है और जो हमारे सभी कामों में भारी सीमाबन्धन के रूप में सामने आ जाती है वह है विदेशी साधनों की कमी। आर्थिक समीक्षा में तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के पहले साल की हमारी विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों का विस्तार से वर्णन किया गया है। काफी विदेशी सहायता उपलब्ध होते हुए भी और हमारी प्रायोजना

[श्री मोरार जी देसाई]

सम्बन्धी आवश्यकताओं के एक बहुत बड़े भाग की पूर्ति के लिये सहायता का आश्वासन मिलने पर भी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी अर्थोपाय-स्थिति बहुत ही जटिल बनी हुई है । हमारी विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि (फारेन एक्सचेंज रिज़र्व) बहुत कम पड़ गयी है, इसलिये आयातों पर कड़ी से कड़ी निगरानी रख कर और अपनी मांगों को उपलब्ध साधनों के अनुसार सीमित रख कर विदेशी मुद्रा को सुरक्षित रखने की आज सबसे अधिक आवश्यकता है । लेकिन, एक हद के बाद ज़रूरी आयातों की कमी अपने ही लिए हानिकार साबित होती है, क्योंकि इससे देश मे उत्पादन कम हो जाता है, कीमतें चढ़ जाती हैं और फिर निर्यात घट जाता है । इसके अलावा महत्वपूर्ण उद्योगों के क्षेत्रों में तंगी होने से हमारी आयोजना में कमज़ोरी और धीमापन आये बिना नहीं रह सकता ।

६. इसलिये मित्र देशों और संस्थाओं से हमे जो सहायता मिलती है उसका बहुत महत्व है । इसके साथ ही, इस सहायता के महत्व को किसी तरह भी कम किये बिना, हमें यह बात मान लेनी चाहिये कि आखिर कार अपने निर्यात को बढ़ा कर ही हम अपने विकास और मिलने वाले कर्जों की अदायगी के लिए विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं । आगे चल कर मैं उन राजस्व विषयक उपायों में से कुछ का ज़िक्र करूंगा जिन्हें, अपने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, मैं अपनाना चाहता हूं ।

७. यह बात याद रखने की है कि निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी---जो हमारी विदेशी मुद्राविषयक स्थिति को देखते हुए आवश्यक हैं---का मतलब घरेलू खपत में कमी करना है । घरेलू उपभोग पर कुछ नियन्त्रण निवेश (इन्वेस्टमेण्ट) को, अतीत की अपेक्षा काफी ऊंचे स्तर पर ले जाने के हमारे प्रयत्नों में अन्तर्निहित है । अन्ततः, आयोजना का खर्च मुद्रा से नहीं, बल्कि आदमियों और सामान से पूरा होता है । हमें जिन साधनों की आवश्यकता है उन्हें मुद्रा के रूप में प्रकट किया जा सकता है, किन्तु वास्तव में वे उस सीमा को ही प्रकट करते हैं जिस सीमा तक हम, वर्तमान उपभोग की आवश्यकताओं को पूरा करने की अपेक्षा, भविष्य मे अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए वर्तमान उत्पादन का प्रयोग कर सकते हैं ।

८. इस तरह, आयोजना के लिये साधन जुटाने के हमारे प्रयत्नों, विदेशी मुद्रा कमाने के लिये निर्यातों और निवेश, अर्थात् रुपया लगाने के लिये बचत करने से वर्तमान उपभोग की दिशा में कुछ नियन्त्रण अनिवार्य हो जाता है । यह कार्य हम स्वेच्छापूर्वक बचत करके, प्रायः बिना कष्ट के ही कर सकते हैं । इसे हम, करों के द्वारा, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना से कर सकते हैं । अथवा इसे हम मूल्यों में मुद्राबाहुल्यकारी चढ़ाव द्वारा कर सकते हैं, किन्तु इससे जनसाधारण को हानि पहुंचती है और लाभ सिर्फ सट्टेबाजों और मुनाफ़ाखोरों को होता है ।

९. सभी बचतों से हमारी आयोजना मे मज़बूती आती है चाहे वे बड़ी बड़ी हों या छोटी, चाहे उन्हें बैंकों में रखा जाय या बीमा पालिसियों या सरकारी प्रतिभूतियों (सेक्यूरिटीज़) या हमारी छोटी बचतों की योजनाओं में लगाया जाय या भविष्य निधियों में डाला जाय । अगर बचत की रकम काफी हो, तो इस बात की मज़बूती करने का काम बहुत कठिन नहीं होना चाहिये कि बचत की रकम का बंटवारा, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में, आयोजना में निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाय । आयोजना से पृथक्, निवेश पर नियन्त्रण रख कर और राजस्व विषयक तथा अन्य नीतियों द्वारा हम बचत की रकमों को, आयोजना में दी हुई प्राथमिकताओं और निर्धारणों के अनुसार, सरकारी क्षेत्र और ग़ैर-सरकारी क्षेत्र, उद्योग-धन्धों और कृषि, परिवहन और बिजली, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के कार्यों में लगा सकते हैं । लेकिन इसके लिये आवश्यकता इस बात की है कि देश के अन्दर बचतों के स्तर को काफी ऊपर उठाया जाय ।

१०. यहां बैंकों को महत्वपूर्ण कार्य करना है । दो साल पहले, खास तौर से कुछ छोटे-छोटे बैंकों पर से लोगों का विश्वास उठ जाने के लक्षण प्रकट हुए थे । मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि हमने जो तरह-तरह के उपाय किये हैं, जिनमें इस साल के शुरू में लागू की गयी निवेश बीमा योजना (डिपाज़िट इंश्योरेंस स्कीम) भी शामिल है, उनके कारण हमारी बैंक-व्यवस्था में बहुत मज़बूती आ गयी है । हाल ही में रिज़र्व बैंक के गवर्नर के साथ इस विषय में मेरी बातचीत हुई थी और उन्होंने बड़े सन्तोष के साथ यह बात कही कि उनकी राय में छोटे-छोटे बैंक हमारी अर्थ-व्यवस्था में लाभकारी और महत्वपूर्ण भाग लेते रहेंगे । भारतीय राज्य बैंक (स्टेट बैंक आफ इण्डिया) अर्ध-शहरी और देहाती इलाकों में अपनी शाखाएं खोलता जा रहा है । रिज़र्व बैंक खेतिहरों को ब्याज की कम दरों पर कर्ज़ दिलाने के लिए विशेष प्रयत्न कर रहा है ।

११. यद्यपि इन सभी दिशाओं में काफ़ी प्रगति हुई है और बैंकों में जमा की जाने वाली रकमों में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है, फिर भी बैंकों के लिए यह काम बहुत सरल नहीं है कि वे धन की उन सभी मांगों को पूरा कर सकें जो हमारे बढ़ते हुए उद्योग-धंधों और उत्पादन के उठते हुए स्तरों के कारण पैदा होती हैं । मुझे यह वांछनीय जान पड़ता है कि ग़ैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योग-धंधों को बैंकों से मिलने वाले रुपये पर निर्भर रहने में और अधिक संयम से काम लेना चाहिए । मैं यह इस-लिए नहीं कह रहा कि मैं ग़ैर-सरकारी क्षेत्र के, जो उसी प्रकार हमारी आयोजना का अंग है जिस प्रकार सरकारी क्षेत्र, विकास की गति को धीमा कर देना चाहता हूं, बल्कि इसलिए कि ग़ैर-सरकारी क्षेत्र के पास धन का एक और स्रोत है,जो हाल ही में बहुत महत्वपूर्ण बन गया है । मेरा संकेत सामान्य हिस्सा पूंजी (इक्विटी केपिटल) के रूप में प्राप्त होने वाले धन से है । कोई समय था कि नये निर्गम (इश्यू) में पैसा लगवाना मुश्किल हो जाता था और सिर्फ बड़े-बड़े वाणिज्यिक संस्थान ही बड़े-बड़े उद्योग-धंधे स्थापित कर सकते थे । लेकिन स्थिति तेजी से बदल रही है । आम जनता, यहां तक कि थोड़ी आमदनी वाले लोग भी शेयरों में पैसा लगा रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है और इसे हमें बढ़ावा देना चाहिये । इसलिये सरकार उन मौजूदा कम्पनियों को, जो उत्पादन की नयी-नयी दिशाओं में जाना चाहती हैं, नयी-नयी कम्पनियां खोलने को प्रोत्साहित कर रही हैं । इसके अलावा, नयी कम्पनियां चालू करने में जनता के शामिल होने के लिये अधिक से अधिक अवसर होना चाहिए । यह भी वांछनीय जान पड़ता है कि नयी कम्पनियों को, अतीत की अपेक्षा, अपनी आवश्यक पूंजी का और भी बड़ा अनुपात, ऋणों की अपेक्षा सामान्य शेयरों के द्वारा प्राप्त करने का उद्देश्य अपने सामने रखना चाहिये । इन नीतियों पर चलने का मतलब यह होगा कि ग़ैर-सरकारी उद्योग के स्वामित्व का आधार और भी विस्तृत हो जायगा और आर्थिक शक्ति का केन्द्रीभूत होना कम पड़ जायेगा ।

१२. बैंक भी सरकारी क्षेत्र के लिए धन की व्यवस्था करते हैं । उस पैसे को छोड़ कर, जो ये सरकारी प्रतिभूतियों (सेक्यूरिटीज़) में लगाते हैं, सरकारी क्षेत्र की कम्पनियां, अपनी कार्यचालन पूंजी की आवश्यकता बैंकों से धन लेकर पूरी करती हैं । बैंक-व्यवस्था की तरह जीवन-बीमा भी हमारे विकास के लिए धन का एक और साधन है । सरकारी प्रतिभूतियों में पैसा लगाने वालों में जीवन बीमा निगम का एक बड़ा स्थान है । यह ग़ैर-सरकारी क्षेत्र के विकास में भी योगदान देता है । अपनी जनता योजना द्वारा देहाती इलाकों में बीमा को लोकप्रिय बनाने के लिए यह विशेष प्रयत्न कर रहा है और बीमा-व्यवस्था को गांवों तक पहुंचाने के लिये पंचायतों और सहकारी समितियों का इस्तेमाल कर रहा है ।

१३. गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये बचतों की रकमें जुटाने के प्रयत्न में मैं छोटी बचतों के आन्दोलन को सबसे अधिक महत्व देता हूं । दूसरी आयोजना की अवधि में, इनामी बांडों को मिला

[श्री मोरारजी देसाई]

कर, छोटी बचतों से लगभग ४१५ करोड़ रुपये की वास्तविक रकम इकट्ठी हुई थी, जो दूसरी आयोजना के सरकारी क्षेत्र के कुल खर्च की लगभग ९ प्रतिशत थी। छोटी बचतों से तीसरी आयोजना के लिये वास्तविक संग्रह का लक्ष्य ६०० करोड़ रुपया है। इसलिये पिछले साल के बजट में हमने छोटी बचतों के वास्तविक संग्रह के १०५ करोड़ रुपये दिखाये थे। लेकिन वर्ष भर के संग्रह की प्रगति को देखते हुए पिछले महीने प्रस्तुत किये गये संशोधित अनुमान घटकर ९५ करोड़ रुपये रह गये और मैं इस सम्भावना को भी दूर नहीं कर सकता कि वास्तविक प्राप्तियां और भी कम हो जायं स्पष्ट है कि हमें छोटी बचतों की योजना कोप्सफल बनाने के लिये, खास कर देहाती इलाकों में, बहुत अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा। इस महान् कार्य में मैं इस सभा के प्रत्येक सदस्य का सहयोग चाहूंगा।

१४. निश्चय ही, सरकार को भी इस सम्बन्ध में बहुत कुछ करना चाहिए। हमें अपनी बिक्री की व्यवस्था और छोटी रकमें बचाने वाले की सेवा में सुधार करना है। उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें नयी योजनाएं बनानी चाहिएं। इस समय मैं इसी विषय पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा हूं। इस सम्बन्ध में मैं तुरन्त ही एक घोषणा कर सकता हूं। अभी भविष्य निधि (प्रावीडेण्ट फण्ड) और जीवन बीमापत्र (लाइफ इन्श्योरेंस पालिसी) में अंशदान के लिए, कुछ सीमाओं के अन्दर, आयकर की कुछ छूट मिलती है। लेकिन जिन कर्मचारियों को तनख्वाह या मजदूरी नहीं मिलती उनके लिए भविष्य निधि की कोई व्यवस्था नहीं है। जीवन बीमा के लिए भी पहले डाक्टरी परीक्षा जरूरी होती है। जो लोग अपना निजी धन्धा करते हैं तथा वेतन-भोगी कर्मचारी नहीं हैं उनके लिए भविष्य निधि जैसी कोई व्यवस्था उपलब्ध करने के लिए मेरा यह विचार है कि डाकघरों द्वारा संचालित, बढ़ने वाली सावधिक जमा योजना में कुछ परिवर्तन करके उसका विस्तार किया जाय। इस समय इस योजना के अनुसार पांच या दस वर्षों तक प्रति मास रकमें जमा की जा सकती हैं। जब हम इसके अलावा १५ वर्षों वाला एक ऐसा खाता जारी करेंगे जिसमें हर महीने अधिक से अधिक ३०० रुपया जमा किया जा सकेगा। दस वर्षों वाले खाते में हर महीने जमा की जा सकने वाली अधिक से अधिक रकम इस समय १०० रुपया है, अब यह रकम बढ़ाकर २०० रुपया कर दी जायेगी। साथ ही, १० वर्षों और १५ वर्षों वाले खातों में जमा की गयी रकमों पर उसी तरह और उन्हीं सीमाओं के अन्दर आयकर की छूट दी जायगी जिस तरह और जिन सीमाओं के अन्दर जीवन बीमा की किस्तों और मान्यता प्राप्त भविष्य निधियों में जमा की गयी रकमों पर आयकर की छट दी जाती है।

१५. तीसरी पंचवर्षीय योजना में सरकारी उद्योग-धन्धों से काफ़ी अधिशेष (सर्प्लस) रकमें वसूल करने पर बहुत जोर दिया गया है। आयोजना में इस स्रोत से ४५० करोड़ रुपये का अंशदान लेने की बात सोची गयी है जो रेलों द्वारा जुटायी जाने वाली १०० करोड़ रुपये की रकम के अलावा है। हम अपनी रेलों, बिजली के कारखानों, सिंचाई-सम्बन्धी निर्माण-कार्यों, उर्वरकों (फर्टिलाइजर) और इस्पात के कारखानों आदि में जो बहुत बड़ी पूंजी लगा रहे हैं, उससे हमें काफ़ी लाभ होना चाहिएं। पहले लगायी गयी पूंजी से भविष्य के लिए पूंजी प्राप्त करके आर्थिक विकास की रफ्तार और तेज की जा सकती है। यह अनुभव सभी देशों का है, चाहे वे विकास के लिए मुख्य रूप से सरकारी क्षेत्र पर निर्भर रहते हों या ग़ैर-सरकारी क्षेत्र पर। भारत का ग़ैर-सरकारी क्षेत्र, अपने विस्तार के लिए, निगमित क्षेत्र (कारपोरेट सैक्टर) के लाभों और बचत के फिर से पूंजी के रूप में लगाये जाने पर पहले ही बहुत बड़ी सीमा तक निर्भर रहता है। यदि सरकारी क्षेत्र को हमारी अर्थ-व्यवस्था के विकास में अधिकाधिक हाथ बटाना है, तो उसे भी ऐसा ही करना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि सरकारी क्षेत्र के कारखाने न केवल कुशलता से और आर्थिक दृष्टि

से लाभकारी ढंग से चलाये जायें, बल्कि जो सेवाएं और वस्तुएं सरकारी क्षेत्र प्रस्तुत करे उनके लिए उचित फीस या मूल्य वसूल करने की नीति भी अपनायी जाय। सुधार-कर, जल-कर, बिजली महसूल, रेल भाड़ा अदि 'न लाभ न हानि' के सिद्धान्त के अनुसार निर्धारित नहीं किये जा सकते, बल्कि इस आधार पर कि इन सब सेवाओं और सुविधाओं का विस्तार आवश्यक है, और इनका उपयोग करने वालों को इनके लिए आज अधिक अदायगी करनी चाहिए, ताकि कल और उसके बाद इनकी प्रचुरता हो जाय। हमारी मूल्य-नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे इस बात की मज़बूती हो जाय कि महत्वपूर्ण और बुनियादी उद्योग-धन्धों में पूंजी लगाने से काफ़ी मुनाफ़ा होगा, ताकि आगे और भी अधिक पूंजी लगायी जा सके। ऐसी स्थिति भी पैदा हो सकती है जिसमें किसी उद्योग-धन्धे या सेवा को राज-सहायता देना आवश्यक हो जाय। पर राजसहायताएं भी अन्य उद्योग-धन्धों आदि के अधिशेषों से ही दी जा सकती हैं। जब कभी हम किसी जगह राजसहायता की आवश्यकता स्वीकार करें तब हमें यह याद रखना चाहिए कि उसके लिए दूसरी जगह और अधिक अधिशेष की आवश्यकता होगी।

१६. अब मैं १९६२-६३ के बजट अनुमानों का विवरण देता हूं।

१७. जो बजट १४ मार्च, १९६२ को प्रस्तुत किया गया था उसमें १३०५.८७ करोड़ रुपये की राजस्व-प्राप्ति और १३६९.३३ करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान किया गया था जिससे राजस्व खाते में ६३.४६ करोड़ रुपये का घाटा रहता था। उसके बाद जो परिवर्तन किये गये हैं उनके परिणामस्वरूप, वर्तमान कर-व्यवस्था के आधार पर, राजस्व की घटती ६०·७८ करोड़ रुपया रह जायगी।

१८. अब मैं इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से कुछ की संक्षेप में चर्चा करता हूं।

१९. उन परिवर्तनों को छोड़कर जो मंत्रालयों के पुनर्गठन के कारण वस्तुतः वर्गीकरण के परिवर्तन हैं और जिनका उल्लेख व्याख्यात्मक ज्ञापन में किया गया है, पांच ऐसी मदें हैं जिनके कारण राजस्व खाते के व्यय के अनुमानों में वृद्धि होती है। इनमें से सबसे बड़ी मद मंहगाई भत्ते के बढ़ने के कारण है। पिछले वेतन आयोग (पे कमीशन) ने यह सिफारिश की थी कि जब कभी श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक १२ महीने की अवधि तक ११५ से औसत १० बिन्दु (पाइन्ट) ऊपर रहे तब सरकार को मंहगाई भत्ता बढ़ाने के प्रश्न पर फिर से विचार करना चाहिए। चूंकि यह शर्त नवम्बर १९६० से अक्टूबर, १९६१ तक की अवधि में पूरी हो गयी, इसलिए ४०० रुपये से कम बुनियादी मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाने का निश्चय किया गया है। यह वृद्धि ५ रुपये और १० रुपये के बीच होगी और उसके साथ ही सीमान्तिक समायोजन (मार्जिनल ऐडजस्टमेंट) भी होंगे। यह वृद्धि १ नवम्बर, १९६१ से लागू होगी। चूंकि यह निश्चय कुछ ही दिन पहले किया गया, इसलिए इस मांग के अन्तर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं का निर्धारण सम्भव नहीं हुआ। अतः ८.३७ करोड़ रुपये की इकट्ठी रकम एक ही मांग में एक विविध मद के रूप में सम्मिलित की गयी है, जो वर्ष के अन्त में वापस कर दी जायगी और मंत्रालयों को वर्ष के दौरान आवश्यक अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने होंगे।

२०. मैंने निर्यात से अधिक रकमें कमाने के महत्व की पहले ही चर्चा की है। विदेशों में बिक्री को प्रोत्साहन देने में बहुत खर्च होता है। सरकार इस काम के लिए देश और विदेशों में जो कर्मचारी रखती है उन पर होने वाले व्यय के अलावा तथा विदेशों में मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने पर सरकार जो खर्च करती है उसके अलावा, उद्योग-धन्धों को भी इस काम के लिए बहुत अधिक खर्च करना चाहिए और कभी-कभी नुक़सान उठाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जब उद्योग-धन्धे निर्यात को बढ़ावा देने का सारा बोझ खुद न उठा सकें तब, उचित मामलों में, उन्हें वित्तीय सहायता देना सरकार के लिए आवश्यक हो सकता है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार

[श्री मोरारजी देसाई]

या उद्योग-धन्धे द्वारा स्थापित संगठनों को अनुदान देना भी आवश्यक हो सकता है । इसलिए मैं निर्यात के प्रोत्साहन और विकास के लिए १ करोड़ रुपये की रक़म की व्यवस्था कर रहा हूं ।

२१. भारत सरकार कुछ समय से उन कठिनाइयों के सम्बन्ध में जांच कर रही है जो कोयला क्षेत्रों से अधिक दूरी के उद्योग-धन्धे विशेष कर दक्षिणी और पश्चिमी प्रदेशों के उद्योग-धन्धे काफ़ी कोयला प्राप्त करने में महसूस करते हैं । इन प्रदेशों को समुद्र के रास्ते कोयला पहुंचाने में शीघ्रता करने के लिए जो उपाय किये जा चुके हैं उनके अलावा हमने अब निश्चय किया है कि अपनी सीमित विदेशी मुद्रा से यथासम्भव भट्टी के तेल का अतिरिक्त निर्यात किया जाय : बन्दरगाहों से कुछ दूरी पर के उद्योग धन्धों को भट्टी के तेल का उपयोग करने में सुविधा हो, इसके लिए हमारा विचार है कि बन्दरगाहों से खपत के स्थानों तक इस तेल की ढुलाई का ख़र्च कम किर दिया जाय । संक्षेप में व्यवस्था यह होगी कि विभिन्न बन्दगाहों से भट्टी के तेल के चालान लेते समय रेलें, स्थिति के अनुसार, माल भेजने वाले या मंगाने वाले से उस भाड़े की आधी रक़म ही वसूल करेंगी, जो माल भेजने के समय प्रचलित सामान्य दरों के अनुसार लिया जा सकता हो, पर इसके साथ यह शर्त होगी कि जो कम रकम ली जाय वह वही हो जो इस समय कम से कम भाड़े के रूप में ली जाती है । माल भेजने वाले या मंगाने वाले से वसूल की गयी रकम और पूरे भाड़े की रकम का अन्तर राजसहायता के रूप में रेलों को दिया जायगा । इस के लिए २५ लाख रुपये की व्यवस्था की जा रही है ।

२२. ६६ लाख रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था उन प्रस्तावों के लिए की गयी है जो भारतीय सर्वेक्षण के लिए आवश्यक सामान और उपकरणों की ख़रीद के लिए, पहले के अनुमान तैयार होने के बाद, स्वीकार किये गये ।

२३. अन्त में, रक्षा सेवाओं के व्यय-अनुमानों में २.७ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है जिसका कारण रक्षा सेवा अधिकारियों के वेतनमानों को १ अप्रैल, १६६० से संशोधित करने के लिए किया गया निश्चय है ।

२४. राजस्व से किये जाने वाले व्यय के अनुमानों में इस वृद्धि के मुकाबले, सिक्का ढलाई से होने वाले लाभ में से १५ करोड़ रुपये, जो उचन्त में पड़े हुए हैं, अन्तरित करने का मेरा विचार है । १६५६-५७ से पहले चलन में लाये जाने वाले सिक्कों का वास्तविक लाभ, जो उनके अंकित मूल्य और उनमें लगी धातु के मूल्य के अन्तर को प्रकट करता था, एक उचन्त शीर्षक के अन्तर्गत रखा जाता था और राजस्व में उतनी ही रकम अन्तरित की जाती थी जो वर्ष में टकसालें चलाने पर वास्तव में खर्च होती थी और साथ ही स्थिर जमा (स्टेबिलाइज्ड क्रेडिट) के रूप में ४५ लाख रुपये भी रखे जाते थे । नियंत्रक महा-लेखा निरीक्षक के परामर्श से इस व्यवस्था में संशोधन कर दिया गया और १६५६-५७ से सिक्का ढलाई का वास्तविक लाभ और अप्रचलित सिक्कों को नष्ट करने से होने वाली हानि सीधे राजस्व अथबा व्यय के रूप में समायोजित कर दी जाती है । उचन्त शीर्षक की बकाया रकम का उद्देश्य उसे घाटे का निराकरण करने वाली प्रारक्षित निधि के रूप में प्रयुक्त करना था, इसलिए १६५६-६० और १६६०-६१ के प्रत्येक वर्ष में १० करोड़ रुपये की रकम राजस्व में अन्तरित कर दी गयी । इस समय उचन्त शीर्षक के अन्तर्गत ४७ करोड़ रुपये से कुछ अधिक की रकम जमा है, इसलिए में समझता हूं कि उचन्त शीर्षक से राजस्व-प्राप्तयों में १५ करोड़ रुपया अन्तरित करना उचित होगा । इस अन्तरण को हिसाब में लेने से राजस्व खाते क घाटे में २.६८ करोड़ रुपये की कमी हो जायगी ।

२५. जहां तक पूंजी खाते का सम्बन्ध है पिछले महीने प्रस्तुत किये गये अनुमानों में पूंजीगत व्यय के लिए ११८८ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी, जिसमें राज्य सरकारों और दूसरी पार्टियों को दिये जाने वाले ऋण शामिल हैं। उसके बाद हिन्दुस्तान एअरक्राफ्ट लिमिटेड की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताएं २.५ करोड़ रुपये से घट कर १ करोड़ रुपया रह गयी हैं, लेकिन रक्षा सम्बन्धी पूंजी परिव्यय में १.५ करोड़ रुपये की वृद्धि होने से यह बचत बराबर हो जायेगी। इसके अतिरिक्त २० लाख डालर मूल्य के बन्ध-पत्र (बांड) खरीदने के लिए, जो संयुक्त पाष्ट्र संघ द्वारा जारी किये जायेंगे, ९५ लाख रुपये की रकम की आवश्यकता है। मूल अनुमानों में, साधारण राजस्व से, रेलवे विकास निधि को ९.८८ करोड़ रुपये का एक ऋण देने की व्यवस्था जी गयी थी, लेकिन रेलों को अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिक्का ढलाई के लाभ के अन्तरण को हिसाब में लेने से पूंजीगत बजट में ६.०७ करोड़ रुपये की कमी रहेगी, जो राजस्व बजट में सुधार होने से २.६८ करोड़ रुपये की सीमा तक प्रतिसंतुलित हो जायेगी। इन सब बातों का परिणाम यह होगा कि १४७ करोड़ रुपये का सम्पूर्ण घाटा जिसका अनुमान पिछले महीने किया गया था, बढ़ कर १५० करोड़ रुपये का हो जायेगा।

१९६२-६३ के बजट भाषण का भाग 'ख'

२६. अब मैं अपने कर-प्रस्तावों को लेता हूं। उनका उल्लेख करने से पहले मैंने समय-समय पर जिस बात पर जोर दिया है उसका जिक्र फिर करना चाहूंगा कि अब कर लगाने की नीति का एकमात्र उद्देश्य राजकोष के लिए साधन जुटाना ही नहीं रह गया। आयोजित अर्थ-व्यवस्था में इसे और भी बड़े-बड़े उद्देश्यों की पूर्ति, जैसे कि बचतों में वृद्धि, निर्यात को प्रोत्साहन, अलग-अलग वस्तुओं की मांग और पूर्ति के बीच पहले से अच्छा सन्तुलन और योजनाबद्ध प्रगति में जो त्याग और पुरस्कार अन्तर्निहित हैं उनका वितरण करने में निश्चय ही सामाजिक न्याय के उद्देश्य की भी पूर्ति करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त इन सब उद्देश्यों में न केवल तात्कालिक भविष्य की दृष्टि से सामंजस्य स्थापित करना है, बल्कि लम्बी अवधि के परिणाम की दृष्टि से भी, जिसे हमने अपने सामने रखा है। यह बात भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि कर सम्बन्धी कानूनों के प्रयोग से कर देने वाले और कर इकट्ठा करने वाले दोनों को कम से कम परेशानी होनी चाहिए और जिस एक चीज़ पर कर नहीं लाना चाहिए वह है लोगों का धैर्य।

निगम और आय कर

२७. मैं प्रत्यक्ष करों को पहले ले रहा हूं। मैं भारतीय कम्पनियों पर लगने वाले कर की दर को ४५ प्रतिशत से बढ़ा कर ५० प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखता हूं, जब कि विदेशी कम्पनियों पर लगने वाले कर की दर साधारणतः ६३ प्रतिशत तक ही रहेगी। इस उद्देश्य से, सभी कम्पनियों पर लागू होने वाली कर की दर २० प्रतिशत से बढ़ा कर २५ प्रतिशत कर की जा रही है; अधिकर (सुपर-टैक्स) की दरें ठीक-ठीक की जा रही हैं। इसका मतलब यह होगा कि अब राज्य को, संयुक्त पूंजी वाली कम्पनियों (ज्वाएण्ट स्टाक कम्पनी) के लाभ का आधा हिस्सा मिलेगा, जब कि हाल में ४५ प्रतिशत मिलता था। लेकिन इस वृद्धि से मैं निर्यात से होने वाली आमदनी को निकालने का विचार करता हूं। यह इसलिए आवश्यक है कि निर्यात से होने वाले लाभ की सीमायें अपेक्षाकृत छोटी हैं और हम उद्योग और व्यापार को विदेशों में अपनी चीजें बेचने के लिए हर तरह का प्रोत्साहन देना चाहते हैं।

२८. निगम कर (कारपोरेशन टैक्स) के स्तर में वृद्धि होने पर अन्तर्निगमीय करों (इन्टर-कारपोरेट टैक्सेशन) में कुछ कमी करना आवश्यक होगा, क्योंकि जब एक कम्पनी दूसरी को लाभांश

[श्री मोरारजी देसाई]

(डिवीडेण्ड) देती है, तो वह लाभ दुबारा निगम कर लगने योग्य हो जाता है। जहां तक भारतीय कम्पनियो का सम्बन्ध है, अधिकर को मिलाकर जो दर १ अप्रैल, १९६१ से पहले पंजीकृत (रजिस्टर्ड) भारतीय सहायक कम्पनियो स प्राप्त लाभांश के लिए लागू होती थी वह ३० प्रतिशत की दर से जारी रहेगी, जब कि दूसरी सभी भारतीय कम्पनियों से प्राप्त लाभांश की दर घटा कर ३५ प्रतिशत कर दी जायेगी। जिन भारतीय कम्पनियो में जनता की सबसे ज्यादा दिलचस्पी होगी और जिनकी आमदनी २५,००० रुपये से ज्यादा नहीं होगी उन्हें ५ प्रतिशत की और रियायत मिलती रहेगी। उन विदेशी कम्पनियो के मामले में जिन्होने भारत में लाभांश घोषित करने और चुकाने की निर्धारित व्यवस्था नहीं की, १ अप्रैल, १९६१ से पहले पंजीकृत भारतीय सहायक कम्पनियों स प्राप्त लाभांशों पर लागू होने वाली दर ३० प्रतिशत ही रहेगी; १ अप्रैल, १९५९ से पहले पंजीकृत किसी ग़ैर-सहायक भारतीय कम्पनी से प्राप्त होने वाले लाभांशों के सम्बन्ध में, इसे ६३ प्रतिशत से घटा कर ५० प्रतिशत कर दिया जायेगा, जब कि दूसरी भारतीय कम्पनियों से प्राप्त लाभांशों के सम्बन्ध में इसे ४० प्रतिशत से घटा कर २५ प्रतिशत कर दिया जायगा। इन परिवर्तनों के परिणाम-स्वरूप निगम कर से १०.२५ करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

२९. आवभगत के स्वीकृति योग्य खर्चों की जो तालिका पिछले साल जारी की गयी थी उसमें भी कुछ कमी करने का मेरा प्रस्ताव है। यद्यपि इससे कोई विशेष अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति न होगी, फिर भी मुझे आशा है कि इससे कम्पनी के खर्चे से होने वाली दिखावेदार आवभगत को नियंत्रित अवश्य किया जा सकेगा।

३०. मैंने सभी तरह के व्यक्तिगत करो पर विचार किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जब कि समाज के धनवानों को और अधिक देना ही चाहिए, कुछ विशेष स्थलों पर कुछ सरलीकरण और राहत की गुंजाइश है। इसलिए खास-खास व्यक्तियों, अविभक्त हिन्दू परिवारों और अपंजीकृत (अनरजिस्टर्ड) फर्मों पर लगने वाले आयकर और अधिकर की दरों की अनुसूची में कुछ परिवर्तन करने का विचार है। जो लोग आयकर चुकाते हैं वे समाज के अपेक्षाकृत सम्पन्न व्यक्ति समझे जाते हैं। ४४ करोड़ ३० लाख की आबादी में उनकी संख्या १० लाख से भी कम है और इस तरह उनका समूह बहुत ही छोटा है। इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि इस विशिष्ट स्थिति के कारण उन्हें करों के बोझ में कुछ हिस्सा बटाना चाहिए। इस प्रसंग में, बहुधा विभिन्न देशों में तुल्य आमदनियों पर लगने वाले आयकरों की दरों की तुलना की जाती है। लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं, क्योंकि परिस्थितियों में बड़ा अन्तर होता है। इतने पर भी, समुचित तुलना प्रत्येक समाज के समान आपेक्षिक स्थिति के विभिन्न समूहों पर पड़ने वाले करो के केवल सम्पूर्ण भार से ही की जा सकती है।

३१. आयकर और अधिकर की दरों के संशोधित ढांचे में सब से ऊंचा खण्ड (स्लैब) ७२.५ प्रतिशत का होगा जिसमें अधिभार (सरचार्ज) शामिल नहीं होंगे, जब कि ५,००० रुपये से कम की आमदनियों की दरें ज्यों की त्यों रहेंगी। दर में समान वृद्धि लाने के लिए बीच में खण्डों में मुनासिब हेर फेर कर दिये गये हैं। माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि विभिन्न अनुसन्धानों से यह बात स्पष्ट हो गई है कि आय के बीच वाले और निचले स्तरों में कर की दरें अपेक्षाकृत कम हैं, लेकिन आमदनियों का फैलाव सीमित होने के कारण वे एकदम से चढ़ जाती हैं। यद्यपि हमारी परिस्थितियों में यह बात किसी सीमा तक अपरिहार्य है, किन्तु जिन परिवर्तनो का मैंने प्रस्ताव रखा है उनसे वर्तमान स्थिति में कुछ सुधार हो सकेगा।

३२. मुझे पता है कि दूसरों की अपेक्षा वेतनभोगी वर्गों पर आयकर का बोझ अपेक्षाकृत अधिक है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि वेतनों पर, जिनमें पेंशनें भी शामिल हैं, लगने वाले आय-कर

के अधिभार (सरचार्ज) को ५ प्रतिशत से घटा कर २.५ प्रतिशत कर दिया जाय और दूसरे अधिभारों को ज्यों का त्यो रहने दिया जाय। सब से ऊंचा खंड, जिसमें अधिभार शामिल होगा, ८७ प्रति शत का होगा। प्रस्ताव है कि भविष्य निधि के अंशदानों और बीमा-किस्तों की छूट की सीमा को बढ़ा कर १०,००० रुपया कर दिया जाय। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, यह भी प्रस्ताव है कि आयकर की छूट की सुविधा के साथ साथ, जिसका फ़ायदा निजी धन्धा करने वाले और बीमा न करा सकने वाले लोग उठा सकते हैं, बढ़ने वाली सावधिक जमा योजनाओं (क्यूमुलेटिव टाइम डिपाजिट स्कीम) को भी उदार बनाया जाय और विस्तृत किया जाय। इससे खास-खास व्यक्तियों को कुछ राहत मिलेगी और विकास के लिए उपलब्ध साधनों में कमी भी न आयेगी।

३३. यह भी प्रस्ताव है कि छूट की सीमा को कम करके, खण्डों की संख्या और कर की दरों में परिवर्तन करके और पांच या इससे अधिक साझेदारों वाले फ़र्मों के लिए ऊंची दरें निर्धारित करके पंजीकृत (रजिस्टर्ड) फ़र्मों पर लगने वाले कर की दरों के ढांचे में संशोधन किया जाय।

३४. अनुमान है कि सामूहिक रूप से इन सब उपायों से १५ करोड़ रुपये से कुछ अधिक राजस्व की वार्षिक प्राप्ति होगी।

पूंजीगत लाभ

३५. हमारे आयकर अधिनियम (इनकम-टैस ऐक्ट) के अनुसार पूंजीगत लाभ पर कर लगाये जा सकते हैं। लेकिन, ग़ैर-कम्पनी करदाताओं के मामले में इसका प्रभाव-क्षेत्र केवल आयकर तक ही सीमित है, जिसका हिसाब निर्धारित ढंग से लगाया जाता है। कर लगाने की न्यायसंगत प्रणाली में, किसी छोटी अवधि में प्राप्त किये गये लाभों और उन लाभों के मामले में जो इस तरह से प्राप्त नहीं किये गये अलग-अलग ढंग का व्यवहार किया जाना चाहिए। विभिन्न श्रेणी के करदाताओं के साथ व्यवहार करने में आवश्यकता इस बात की है कि मोटे तौर पर सभी के साथ न्याय किया जाय। कई मामलों में कुछ आमदनियों के सम्बन्ध में यह निश्चित करना संभव नहीं होता कि वे व्यवसाय से ही प्राप्त हुई हैं, लेकिन होती वे उसी तरह की हैं। थोड़ी अवधि में पूंजीगत परिसम्पद् की खरीद और बिक्री स प्राप्त लाभ इसी श्रेणी में आते हैं। मेरा प्रस्ताव है कि जो लाभ पूंजीगत परिसम्पद् की प्राप्ति के एक साल के अन्दर उसे बेच देने से प्राप्त हुआ हो उस पर उसी तरह से आय कर और अधिकर लगना चाहिए जिस तरह दूसरी साधारण आमदनियो पर। जो पूंजीगत लाभ, कम्पनियों से पृथक, करदाताओं को एक साल से ज्यादा दिनों तक पास में रखी हुई परिसम्पद से होगा उस पर २५ प्रतिशत की दर से आयकर लगेगा या उस दर से, दोनों में से जो भी कम हो, मानो यह छोटी अवधि का लाभ हो। कम्पनियो के लम्बी अवधि के पूंजीगत लाभों पर ३० प्रतिशत की दर से कर लगता रहेगा। इससे ५० लाख रुपये की प्राप्ति होगी जिसमें से, अनुमानतः आधा रुपया कम्पनियों से मिलेगा।

व्यय-कर

३६. चालू साल से मैं पांच साल पुराने व्यय-कर को समाप्त कर रहा हूं। १९५७ में जब इसे जारी किया गया था, तो इस बात को समझ लिया गया था कि इसे ऐतिहासिक अनुभव का समर्थन प्राप्त नहीं है। फिर भी, यह आशा की गई थी कि आडम्बरपूर्ण व्यय को नियंत्रित करने और बचत को प्रोत्साहन देने में यह शक्तिशाली साधन का काम देगा। यद्यपि ये सब बहुत ही अच्छे उद्देश्य

[श्री मोरारजी देसाई]

किन्तु अनुभव से पता चला है कि व्ययकर से इस दिशा में कोई लाभ नहीं हुआ। इस स्रोत से बहुत ही कम राजस्व की प्राप्ति हुई है। दलील दी गयी है कि व्यय कर को करों के ढांचे में जोड़ देने से आयकर का प्रयोग बहुत प्रभावपूर्ण हो जायगा और उससे आयकर की दरें मुनासिब तौर पर कम की जा सकेंगी। लेकिन अनुभव से यह बात प्रमाणित नहीं हुई। यदि इस कर के लगने के अच्छे नतीजे दिखाई देते, तो इसे जारी रखना और इसकी अवधि बढ़ाना ठीक रहता ; लेकिन प्राप्त अनुभव के आधार पर यही सब से ठीक जान पड़ता है कि ऐसी किसी व्यवस्था को जारी नहीं रखना चाहिए, जो आर्थिक नियन्त्रण के माध्यम के रूप में प्रभावहीन और राजस्व के माध्यम के रूप में आकर्षणहीन सिद्ध हुई हो। इस कर के आधारभूत उद्देश्यों को और तरह से प्राप्त किया जाना चाहिए। इस कर की समाप्ति से १९६२-६३ में राजस्व में ७० लाख रुपये की कमी हो जायगी।

सम्पत्ति-कर

३७. प्रस्ताव यह है कि सबसे ऊपर के दो खण्डों में सम्पत्तिकर की दरों में .२५ प्रति शत और .५ प्रतिशत की वृद्धि की जाय और खण्डों के ढांचे में कुछ संशोधन किया जाय। यह भी प्रस्ताव है कि पहले पांच वर्षों में किसी नयी कम्पनी के शेयरों पर छूट देना बन्द कर दिया जाय, जो अभी सम्पत्ति कर के अनुसार दी जाती है। अनुमान है कि इससे प्रति वर्ष २ करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होगी।

३८. प्रत्यक्ष करों में इन सब परिवर्तनों का वास्तविक प्रभाव यह होगा कि पूरे एक वर्ष में राजस्व में २७.२ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

३९. अब मैं अप्रत्यक्ष करों को लेता हूं। यह स्वाभाविक ही है कि एक बड़ा हिस्सा केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों से प्राप्त हो। मेरा प्रस्ताव है कि अनिर्मित (अनमैन्यूफैक्चर्ड) तम्बाकू और सिगरेटों पर लगने वाले उत्पादन शुल्क की दरों में संशोधन किया जाय। इससे पूरे एक वर्ष में ५.२८ करोड़ रुपयों की प्राप्ति होगी। जब कि साधारण दरों में थोड़ी सी वृद्धि की जा रही है, प्रस्ताव है कि रवा तम्बाकू का, जिसका आम तौर से अधिक इस्तेमाल होता है, पुनर्वर्गीकरण किया जाय और सिगरेट के मूल्य-खण्डों के समूह नये सिरे से बनाये जायें।

४०. सूती कपड़े और धागे के शुल्क के साधारण ढांचे में भी संशोधन करने का मेरा प्रस्ताव है। धागे पर लगने वाले शुल्क की मौजूदा दरें प्रति किलोग्राम १० और १५ नये पैसे है। मोटे (कोर्स) कपड़े की तुलना में बहुत बारीक (सुपरफ़ाइन) कपड़े पर इस शुल्क का प्रति मीटर कर-भार कम है। यह स्थिति न्यायपूरक नहीं है। प्रस्ताव है कि धागे की शुल्क दरों में इस ढंग से हेर फेर किया जाय कि कपड़े की किस्म (क्वालिटी) के अनुसार कर भार में कुछ उतार चढ़ाव आ जाय और मोटे धागे की मौजूदा दर १० नये पैसे ही बनी रहे। लच्छियों में दिये जाने वाले धागे के सम्बन्ध में प्रति किलो ग्राम १० नये पैसे की जो रियायत है वह जारी रहेगी। यह भी प्रस्ताव है कि कपड़े के परिष्करण (प्रोसेसिंग) अर्थात् परिष्कृत कपड़े पर लगने वाले शुल्क की दर में वृद्धि कर दी जाय, क्योंकि परिष्करण से कपड़े

की किस्म अच्छी हो जाती है और कीमत बढ़ जाती है । कपड़े को धोकर सफ़ेद करने, रंगने और छापने की बनिस्बत उसे मर्सराइज़ करने, यानी धो-धाकर उस में चमक लाने, सिड़कुने से बचाने और उस पर 'अर्गण्डी' प्रक्रिया करने से उस की क़िस्म सुधर जाती है, इसलिए उस पर अपेक्षाकृत ऊंची दर से शुल्क लगना चाहिये । इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए और इस बात की मज़बूती करते हुए कि जन साधारण को अपने मोटे और बीच के दर्जे के (मीडियम) कपड़े---जिसका वह साधारणतः उपयोग करता है---के खर्च में थोड़ा सा हेरफर करने के सिवा कुछ ज्यादा देना न पड़े, प्रस्ताव है कि धूसर रंग के कोरे सूती कपड़ों के शुल्क में कमी कर दी जाय । यह भी प्रस्ताव है कि ५० या उस से अधिक बिजली के करघे वाले कारखानों को सम्मिलित (कम्पोज़िट) मिलों के स्तर पर ले आया जाय । ५ से ४९ करघों के बिजली से चलने वाले करघों के कारख़ानों पर लगने वाले सम्मिलित शुल्क की दरों में वृद्धि करने का भी प्रस्ताव है, ताकि आकार में छोटाई के साथ-साथ लाभ में भी क्रमिक वृद्धि हो जाय और इकाइयों को तोड़ने की प्रवृत्ति कम हो जाय । ४ या इस से कम करघों वाले कारख़ानों को शुल्क नहीं देना पड़ेगा । इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप सूती कपड़े और धागे से प्राप्त होने वाले वार्षिक राजस्व में १२.१ करोड़ रुपये की वृद्धि हो जायगी ।

४१. अनुभव से प्रकट हुआ है कि ५० तीलियों वाली दियासलाई की डिबियां प्रति डिबियां ६ नये पैसे के हिसाब से बची जाती हैं । चूंकि स्थानीय करों और परिस्थितियों में थोड़ा सा भेद होता है, इसलिए खुदरा व्यापारी के लिए वास्तविक मूल्य कुछ इस तरह का बन जाता है कि बहुत से क्षत्रों में वह हानि उठाये बग़ैर ५ नये पैसे की एक डिब्बी नहीं बेच सकता, जबकि ६ नय पैसे की एक डिब्बी बेच कर वह बहुत ज्यादा नफ़ा कमाता है । इस स्थिति को देखते हुए अधिसूचना द्वारा निर्धारित शुल्क में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि जो नफ़ा पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है वह न पहुंचे । इस से प्रति वर्ष १.९९ करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति होगी ।

४२. अपरिष्कृत ऊनी, रेयन और कृत्रिम रेशम (आर्ट सिल्क) के कपड़ों पर लगने वाले शुल्क को, धागे और परिष्कृत कपड़ों के शुल्क में परिवर्तित कर देने का प्रस्ताव है, ताकि बिजली से चलने वाले करघे उत्पादन शुल्क के नियंत्रण से निकल जायें । राजस्व की हानि अंशतः धागे के शुल्क में वृद्धि कर के और अंशतः परिष्कृत कपड़ों पर शुल्क लगा कर पूरी की जायगी । इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप भविष्य में केवल थोड़े से कारख़ानों पर ही उत्पादन शुल्क सम्बन्धी नियंत्रण रखने की आवश्यकता रह जायगी । चूंकि धागे का काफ़ी परिमाण में आयात किया जाता है, इसलिए इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप उत्पादन शुल्क से प्राप्त होने वाले राजस्व में ५० लाख रुपये की कमी हो जायगी, लेकिन धागे पर बढ़ा हुआ प्रतिसन्तुलनकारी (काउण्टरवेलिंग) शुल्क लगने से राजस्व में १.१६ करोड़ रुपये की वास्तविक वृद्धि हो जायगी ।

४३. औषधि अधिनियम (ड्रग्स एक्ट) बनने के बाद पेटेण्ट और मालिकाना (प्रोप्राइटरी) दवाओं की जो मौजूदा परिभाषा की गयी है उस से बहुत सी अनियमितताएं पैदा होती रही हैं । जबकि औषधि अधिनियम की परिभाषा चिकित्सा सम्बन्धी उद्देश्यों की दृष्टि से ठीक है, यह पेटेण्ट और मालिकाना दवाओं के प्रभाव-क्षेत्र से उन बहुत सी दवाओं को निकाल देती है जो मालिकाना नामों और चिन्हों के आधार पर बेची जाती हैं और उन्हीं के आधार पर उन के दाम रखे जाते हैं । इसलिए मैं ने अधिक उपयुक्त परिभाषा का प्रस्ताव किया है । परिभाषा के इस विस्तार से मैं एक अधिसूचना द्वारा कर-भार को १० प्रतिशत से घटा कर ७.५ प्रतिशत करना चाहता हूं और कुछ बहुत ज़रूरी दवाओं को शुल्क से बिलकुल छूट देना चाहता हूं ।

[श्री मोरारजी देसाई]

४४. यह भी प्रस्ताव है कि सीमा-शुल्क-सूची की 'अस्फाल्ट और बिटुमिन' मद में परिवर्तन कर दिया जाय, ताकि इस में तारकोल भी आ जाय, जो इन्हीं की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एक अधिसूचना द्वारा उस तारकोल को शुल्क से छूट दे दी जायगी, जो तारकोल बनाने के कारखानों की भट्ठियों में जलाया जाता है। कुछ उन छूटों को भी संशोधित करने का प्रस्ताव है जिन की उपयोगिता या तो समाप्त हो चुकी है या जिन के सम्बन्ध में यह मालूम हुआ है कि उन का दुरुपयोग किया जा सकता है। छोटे-छोटे निर्माताओं की सुविधा के खयाल से तांबे और दूसरी मिश्र धातुओं (एलाय) की शुल्क-प्रणाली को सरल बनाने का प्रस्ताव है। यह भी प्रस्ताव है कि एलूमीनियम की पन्नी के शुल्क में १०० रुपया प्रति मेट्रिक टन की वृद्धि कर दी जाय, ताकि देश में इस की खपत जिस के कारण डलों के आयात की मांग पैदा होती है, कम हो जाय। चाय के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए, प्रस्ताव है कि खुली चाय के शुल्क में ५ से १० नये पैसे प्रति किलोग्राम की वृद्धि कर दी जाय और इस के निर्यात पर प्रति किलोग्राम १५ नये पैसे की छूट दी जाय।

४५. मौजूदा उत्पादन शुल्कों में इन परिवर्तनों के कारण पूरे एक वर्ष में २०.७४ करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।

४६. मैं कुछ नयी मदों पर भी उत्पादन शुल्क लगाना चाहता हूं। प्रस्ताव है कि जूट की बनी चीज़ों पर शुल्क लगाया जाय, ताकि देश में उन की खपत घटे और निर्यात को बढ़ावा मिले। इस से ३.१२ करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति होगी। लोहे और इस्पात की कुछ चीज़ों पर ५ से ७.५ प्रतिशत मूल्यानुसार (एड वलोरम) शुल्क लगाने, लेकिन कच्चे लोहे या इस्पात से इन चीजों को तैयार करने में जो बर्बादी होती है उसे छट देने का भी प्रस्ताव है। इस से ६ करोड़ रुपये का वास्तविक राजस्व प्राप्त होगा। बिजली के केबलों और तारों पर ५ से १५ प्रतिशत शुल्क लगाने का प्रस्ताव है जिस से २.१ करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। विशेष प्रकार के तेजाबों और गैसों पर कुछ शुल्क लगाने का प्रस्ताव है और इन दोनों से १.६४ करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी। जिन दूसरी चीज़ों पर उत्पादन शुल्क लगाने का मेरा प्रस्ताव है वे हैं परतदार लकड़ी (प्लाइवुड) जिस पर १० से १५ प्रतिशत, एस्बस्टस सीमेंट की चीजें जिस पर १० प्रतिशत, घिसे टायरों पर चढ़ाया जाने वाला रबड़ (ट्रेड रबर) और गद्दे-गद्दियों के काम का रबड़ (लेटक्स फ़ोम स्पंज) जिस पर २० प्रतिशत, ग्रामोफ़ोन, ग्रामोफ़ोन के हिस्से और पुरज़े और ग्रामोफ़ोन के रिकार्ड जिन पर १५ से ३० प्रतिशत की विभिन्न दरों से शुल्क लगाने का विचार है। इन मदों से २.३० करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। जहां तक खनिज तेलों का सम्बन्ध है खनिज तेलों से बनी चीज़ों पर, जिन का अन्यथा उल्लेख नहीं है, ५ प्रतिशत शुल्क लगाने का विचार है। वर्तमान उत्पादन के आधार पर इस से २६ लाख रुपये की राजस्व-प्राप्ति होगी। नये शुल्कों से पूरे एक वर्ष में कुल १५.४२ करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।

सीमा शुल्क

४७. उत्पादन शुल्कों की दरों में परिवर्तन होने और जिन नये शुल्कों का मैं ने अभी ज़िक्र किया है उन के लगने से सीमा शुल्कों (कस्टम्स) की ओर प्रति सन्तुलनकारी शुल्कों से ७.२५ करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति होगी।

४८. मेरा प्रस्ताव है कि लोहे और इस्पात की कुछ मदों और कृत्रिम रेशम के धागे (आर्ट सिल्क यार्न) के आयात शुल्कों में ५ प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाय। इस से २.१६ करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। लोहे और इस्पात शीर्षक के अन्तर्गत वृद्धि होने से जिन मुख्य मदों पर असर पड़ेगा वे हैं ढांचे, पाइप और ट्यूबों के फिटिंग, टीन के पत्तर (प्लेट), लोहे के डले और व निर्मित वस्तुएं

जिन का अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया । लेकिन जहां तक टीन के पत्तरों का सम्बन्ध है यह वृद्धि केवल २ प्रतिशत होगी । स्टेनलेस स्टील के पत्तरों और चद्दरों (शीट) और छड़ों (राड) और सलाखों (बार) पर २५ प्रतिशत का आयात शुल्क लगाने का भी मेरा प्रस्ताव है । इस से ८० लाख रुपये की राजस्व प्राप्ति होगी । नारियल की गिरी पर ४० प्रतिशत निर्दिष्ट (स्टैंडर्ड) और ३० प्रतिशत रियायती (प्रिफरेंशियल) आयात शुल्क लगता है, लेकिन एक अधिसूचना द्वारा उसे घटा कर १५ प्रतिशत निर्दिष्ट और ५ प्रतिशत रियायती कर दिया गया है । प्रस्ताव है कि अधिसूचित दरों को बढ़ा कर २५ प्रतिशत और १५ प्रतिशत कर दिया जाय, जो फिर भी अधिकतम दरों से कम ही रहेंगी । पता लगा है कि भारतीय नारियल की गिरी की तुलना में आयातित गिरी के मूल्य काफ़ी सुविधाजनक होते हैं । यह भी प्रस्ताव है कि कुछ क़िस्म के औज़ारों पर लगने वाला शुल्क ३५ प्रतिशत से बढ़ा कर ५० प्रतिशत कर दिया जाय, लेकिन इन औज़ारों में मशीनी औज़ार और खेती के औज़ार शामिल नहीं होंगे । पिछले साल जो थोड़ी सी वृद्धियां की गयी थीं यह वृद्धि भी उन्हीं के सिलसिले में है । इन दोनों मदों से पूरे वर्ष में १.८९ करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी । कुछ मदों के शुल्कों को वैज्ञानिक संगति देने का प्रस्ताव है जिस से ७ लाख रुपये की थोड़ी सी प्राप्ति होगी ।

४९. प्रस्ताव है कि मोटरकारों के आयात शुल्क की दर को १०० प्रतिशत से बढ़ा कर १५० प्रतिशत कर दिया जाय । लेकिन ६,००० रुपये के परिमाण शुल्क (स्पेसिफ़िक ड्यूटी) को हटाया जा रहा है, ताकि असली मामलों में छोटी या इस्तेमाल की हुई कारों के आयात को धक्का न लगे । यद्यपि नियमित रूप से कारों का आयात नहीं होता, फिर भी कुछ कारें देश में सीमा शुल्क सम्बन्धी निकासी के अनुमति-पत्रों के आधार पर आती रहती हैं । चूंकि इन की संख्या कम होती है, इस-लिए इन की बाहरी कीमत बहुत ज्यादा होती है और इन की बिक्री से भारी मुनाफ़ा होता है । शुल्क की प्रस्तावित वृद्धि से ये मुनाफ़े कम हो जायेंगे और कारों के आयात का आकर्षण कुछ घट जायगा । इस से लगभग २५ लाख रुपये की राजस्व प्राप्ति होगी ।

५०. अब तक वृद्धियों का उल्लेख करने के बाद अब मैं एक भारी कमी का ज़िक्र करता हूं । मेरा प्रस्ताव है कि चाय का निर्यात शुल्क ४४ नये पैसे से घटा कर २५ नय पैसे प्रति किलोग्राम कर दिया जाय । इस का मतलब राजस्व में ४.१ करोड़ रुपय की हानि होगा । प्रति किलोग्राम १५ नये पैसे के उत्पादन शुल्क की प्रस्तावित वापसी को मिला कर इस कमी से चाय के निर्यात को भारी बढ़ावा मिलना चाहिए ।

५१. अप्रत्यक्ष कर-सम्बन्धी इन प्रस्तावों से वर्ष भर में ४४.५ करोड़ रुपये की राजस्व-प्राप्ति होगी । लेकिन १९६२-६३ में इन का प्रभाव ३४२ दिन, अर्थात् ९३.७ प्रतिशत तक रहेगा ।

प्रस्तावों का वास्तविक प्रभाव

५२. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के इन परिवर्तनों से पूरे एक वर्ष मे ७१.७ करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा जिस में से ४४.५ करोड़ रुपया अप्रत्यक्ष करों का और २७ २ करोड़ रुपया प्रत्यक्ष करों का होगा । इस तरह मेरे प्रस्तावों मे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के कर अपना-अपना पार्ट अदा कर रहे हैं । कई अवसरों पर इन अलग-अलग पार्टों के बारे में प्रश्न किय जाते हैं और कुछ क्षेत्रों में यह भावना पायी जाती है कि जबकि प्रत्यक्ष कर आगे की ओर ले जाने वाले होते हैं, अप्रत्यक्ष कर इस अर्थ में पीछ की ओर ले जाने वाले होते हैं कि उनका बोझ अमीरों की बनिस्बत ग़रीबों पर पड़ता है । मेरे विचार से, हमारी परिस्थितियों को देखते हुए, यह मत

कि अप्रत्यक्ष कर पीछे की ओर ले जाने वाले होते हैं ठीक नहीं है। आया अप्रत्यक्ष करों से अमीरों की बनिस्बत गरीबों पर ज्यादा बोझ पड़ता है या गरीबों की बनिस्बत अमीरों पर यह अप्रत्यक्ष कर लगने वाली चीजों और उन दरों पर निर्भर करता है जिनके अनुसार उन पर कर लगता है। उदाहरण के लिये कोई भी व्यक्ति यह नहीं कहेगा कि मोटर गाड़ियों, रेफ्रिजेटरों और वातानुकूलन यंत्रों (एअर-कंडीशनरों) पर लगने वाले उत्पादन शुल्कों से गरीबों को चोट पहुंचती है। हमारे अप्रत्यक्ष करों की सूची में ऐसी बहुत सी मदें हैं जिनका ज्यादा असर उच्च मध्य वित्त (अपर मिडिल) और मध्य वित्त वर्गों पर पड़ता है। हमने पिछले साल इस सारे प्रश्न का विश्लेषण किया था और हमारी समीक्षा से पता चलता है कि भारत में अप्रत्यक्ष करों का प्रभाव प्रगतिपूर्ण रहा है। मतलब यह कि औसतन एक परिवार का कुल खर्च जितना ही ज्यादा होगा, अप्रत्यक्ष करों में दिया जाने वाला कुल खर्च का अनुपात उतना ही ज्यादा होगा। इतना ही नहीं, यह भी प्रकट हुआ है कि ज्यों ज्यों उन चीजों पर उत्पादन शुल्क लगाया गया है जो जन साधारण के उपयोग में ज्यादातर नहीं आती, त्यों त्यों उन्नति की मात्रा में वृद्धि हुई है।

५३. माननीय सदस्य इस बात का भी अनुभव करेंगे कि भारत जैसे देश में आयकर सामूहिक कर नहीं बन सकता। प्रशासनिक दृष्टि से यह असंभव और भारी संख्या वाले गरीबों के लिए कष्ट-प्रद होगा। इसके साथ ही हमें कुछ न कुछ सीमा तक उन लोगों पर भी कर लगाना है, जो अभी आय कर नहीं देते, क्योंकि समाज के अपेक्षाकृत अधिक ग़रीब वर्गों की जो आमदनी होती है जब तक उसका कुछ हिस्सा हम प्राप्त न करेंगे तब तक आयोजना और ग़ैर-आयोजना सम्बन्धी सभी आवश्यक-ताओं के खर्चों को पूरा करना असम्भव हो जायगा। निस्संदेह धनिक वर्गों को और भी अधिक कर देने चाहिएं। और निर्धनों को ज्यादातर विकास के माध्यम से धीरे धीरे लाभ उठाना चाहिए। यह हमारी समाजवादी राष्ट्र की विचार-धारा का एक अंग है।

५४. मुझे इस सभा के अन्दर और बाहर की इस इच्छा का पता है कि उत्पादन शुल्कों के लगने और बढ़ने से उपभोक्ता सामग्री के मूल्यों में वृद्धि न होनी चाहिए। कुछ मामलों में शुल्क इसलिये लगाये जाते हैं कि मुनाफे की गुंजाइश बहुत होती है और यह मुनासिब समझा जाता है कि इस गुंजाइश में कमी की जाय। कुछ मामलों में उदाहरण के लिये, इस साल दियासलाई के मामले में, शुल्क का उद्देश्य उस मुनाफ़े को हटाना होता है जिसे देने का इरादा ही नहीं होता। ऐसे मामलों में उपभोक्ता द्वारा दिये जाने वाले मूल्य में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर, पेटेण्ट और मालि-काना दवाओं के मामले में, जहां शुल्क में कमी करने का विचार है, मूल्यों में कमी होनी चाहिए। इसी तरह कपड़े के मामले में धागे और परिष्कृत (प्रोसेस्ड) कपड़ों के शुल्क की दरों में वृद्धि का एक हिस्सा कपड़ा उद्योग अपने ज़िम्मे ले सकता है। मोटे और निचले दर्जे के मीडियम कपड़ों के शुल्क में खास तौर से इस तरह फेर-बदल किया गया है कि इस तरह के कपड़े की कीमत न बढ़े।

५५. जहां तक निर्यात पर पड़ने वाले इन शुल्कों के भार का सम्बन्ध है मैं यह बताना चाहूंगा कि प्रस्ताव है कि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के बनाने में जो उत्पादन शुल्क लगी हुई सामग्री और पूंजीगत सामान के लिए दिया जाय वह इकट्ठा वापस कर दिया जाय। इसलिए एसा कोई कारण दिखाई नहीं देता कि उत्पादन शुल्कों से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की लागत बढ़ जाय।

५६. जिन कर-प्रस्तावों की रूपरेखा पहले दी गई है उनसे १९६२–६३ में ६८.८८ करोड़ रुपये का कुल राजस्व प्राप्त होगा। इसमें से ६०.८० करोड़ रुपया केन्द्र को प्राप्त होगा और

बाकी ८.०८ करोड़ रुपया राज्यों को मिलेगा। राज्यों को यह रक़म उनके हिस्से के रूप में, वित्त आयोग (फ़ाइनेंस कमिशन) की सिफारिशों के परिणामस्वरूप, जिन्हें सरकार ने मान लिया है, मिलेगी। यह हिस्सा प्रति वर्ष बढ़ता जायेगा। जिस ढंग से राज्यों को होने वाले इस लाभ को, केन्द्र और राज्यों की सम्पूर्ण आवश्यकताओं के अनुसार उनको आयोजनाओं को पूरा करने के लिए, समायोजित किया जाना चाहिए उस पर विचार हो रहा है। आयोजन आयोग (प्लानिंक कमिशन) शीघ्र ही, चालू वर्ष में, राज्यों से परामर्श करके उनकी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना चाहता है।

निष्कर्ष

५७. इस सभा के सामने मैंने जो कर-प्रस्ताव रखे हैं उनसे १९६२–६३ में केन्द्र की प्राप्तियों में ६०.८० करोड़ रुपये की वास्तविक वृद्धि होगी। इससे राजस्व का घाटा बिल्कुल ही मिट जायगा। परिणामतः कुल घाटा १५० करोड़ रुपये से घट कर ८९ करोड़ रुपये का रह जायेगा और इसे राजकोष हुंडियों के विस्तार द्वारा पूरा किया जायेगा।

५८. मैं यह नहीं कहता कि जो घाटा बाकी रह गया है उससे मैं खुश हूं। मुझे आशा है कि पहले की तरह, बढ़ी हुई आमदनी और उत्पादन से और कर-अपवंचन (टैक्स इवेज़न) पर और अधिक नियंत्रण करने से, हमें करों से उससे अधिक की प्राप्ति होगी जिसकी हम सभी कल्पना कर सकते हैं इसी प्रसंग में मैं यह बात ज़ोर देकर कहूंगा कि हम कर लगाने की इस पुरानी भावना को लेकर आगे नहीं बढ़सकते कि कर उसी सीमा तक लगने चाहिएं जिस सीमा तक बजट के राजस्व विषयक अंश की पूर्ति के लिए वे आवश्यक हों। विकास सम्बन्धी उन बड़े-बड़े कार्यक्रमों के प्रसंग में, जिन्हें पूरा करने में सरकारी क्षेत्र लगा हुआ है और बाजार से ऋण लेने की संभावनाओं और सीमाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता इस बात की है कि राजस्व बजट में भारी अधिशेष की व्यवस्था रहे, ताकि पूंजीगत बजट का एक हिस्सा संभला रहे। वास्तव में, दूसरी पंच वर्षीय आयोजना की अवधि में हमें राजस्व-अधिशेष के रूप में २२० करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई थी जिसके बिना मूल्य कहीं अधिक ऊंचे स्तर पर पहुंच गये होते। इसलिए अपने कर-सम्बन्धी प्रस्तावों को पेश करते हुए मैंने तीसरी आयोजना के कर लगाने के सम्पूर्ण लक्ष्य का अधिक ध्यान रखा है, जो, जैसा कि सभा को मालूम है, १,१०० करोड़ रुपया है। केन्द्र में पिछले वर्ष जो अतिरिक्त कर लगाये गये थे उनसे पांच वर्ष की अवधि में कुल लगभग ४५० करोड़ रुपये की प्राप्ति होनी चाहिए। जिन करों का प्रस्ताव मैंने आज किया है वे हमें, हमारी आयोजना के लिए पर्याप्त साधन जुटाने के लक्ष्य के और भी समीप पहुंचा देंगे। मेरे लिये यह चिन्ता की बात है कि राज्यों द्वारा अतिरिक्त कर लगाये जाने की दिशा में बहुत धीमी प्रगति हुई है। १९६१–६२ में राज्यों के बजटों में पांच वर्ष में केवल लगभग १०० करोड़ रुपये की प्राप्ति के लिए अतिरिक्त करों की व्यवस्था की गयी, जब कि आयोजना में ६१० करोड़ रुपये की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। सभी राज्य सरकारों से मेरा हार्दिक अनुरोध है कि वे इस बात की मजबूती कर दें कि यह कमी शीघ्रता और उत्साह के साथ पूरी की जायेगी।

५९. इसमें सन्देह नहीं कि करों के ऊंचे स्तरों से लोगों पर त्याग का बोझ पड़ता है। लेकिन यहां यह बात याद रखने की है कि इस प्रकार के कराधान के केवल दो ही विकल्प हैं—मुद्राबाहुल्य अथवा गतिहीनता। आवश्यक मात्रा में कर लगाये बिना या तो हमें मूल्यों के भारी चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, जिससे समाज पर बहुत बड़ा और बहुत कम मुनासिब बोझ आ पड़ेगा या फिर हमारे विकास की गति धीमी पड़ने से हमारी ग़रीबी की अवधि लम्बी हो जायगी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं सभा से अपने बजट प्रस्तावों पर विचार करने और उनका अनुमोदन करने का निवेदन करता हूं।

अंतिम अनुमानों का सारांश

(लाख रुपयों में)

राजस्व	बजट १९६१–६२	संशोधित १९६१–६२	बजट १९६२–६३
सीमा शुल्क	१,८९,६४	१,९९,६०	१,९९,६०
		+	७,८०*
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	४,३२,६३	४,७०,९५	४,९२,२८
		+	३०,८०*
निगम कर	१,४१,००	१,६०,००	१,६८,००
		+	१०,५०*
आय सम्बन्धी कर	५२,२१	४८,७३	५८,३०
		+	१०,४०*
मृत्त सम्पत्ति शुल्क	९	१२	१२
सम्पत्ति कर	७,००	७,५०	७,००
		+	२,००*
व्यय कर	८०	८०	८०
			(–)७०*
दान कर	८०	८५	८५
अन्य शीर्षक	१४,३२	१५,४६	१५,८३
ऋण व्यवस्था	१३,८४	११,५८	१,६७,५१

(लाख रुपयों में)

व्यय	बजट १९६१–६२	संशोधित १९६१–६२	बजट १९६२–६३
करों, शुल्कों और अन्य मुख्य राजस्वों का संग्रह	२१,१४	२१,१५	२२,५८
ऋण व्यवस्था	८१,९०	८६,१०	२,४७,९०
प्रशासनिक सेवायें	५८,३७	६०,००	७०,३१
सामाजिक और विकास संबंधी सेवायें	१,६७,७८	१,५५,७२	१,६३,२४
बहु प्रयोजनी नदी योजनाएं आदि	१,२६	१,२३	१,५७
सरकारी निर्माण कार्य आदि	२०,६२	२१,९२	२१,८८
परिवहन और संचार	५,६८	६,२२	८,७५
मुद्रा और टकसाल	११,९६	११,६२	२०,२३
विविध—			
पेंशनें	१०,४१	१०,४९	१०,४७
विस्थापितों पर व्यय	११,२८	११,२९	९,६०
अन्य व्यय	५२,०७	५९,९९	८९,३८

प्रशासनिक सेवाएं	९७	१,११	६,११	अंशदान और विविध			
सामाजिक और विकास संबंधी सेवाएं	४४,७०	४५,५५	३५,२९	समायोजन :			
बहु प्रयोजनी नदी योजनाएं आदि	−१	−१	३६	राज्यों को अनुदान . .	२,०८,०९	१,९९,७५	२,१३,५४
सरकारी निर्माण कार्य आदि	३,७८	३,७४	४,०२	केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों में राज्यों			
परिवहन और संचार	२,४६	२,३८	६,३०	का हिस्सा	७६,३३	८०,९३	१,१४,३६
मुद्रा और टकसाल .	६०,६३	५३,१५	६९,५३	अन्य व्यय	२,८४	३,०२	३,०७
विविध	२०,९९	२२,९२	२४,५६	असाधारण मदें .	१०,८७	१३,७९	४१,४०
अंशदान और विविध समायोजन	२२,१२	२१,६८	२४,४१	रक्षा सेवाएं (वास्तविक)	२,८२,९२	३,०१,९३	३,४३,३७
असाधारण मदें	१०,००	१३,००	४०,००				
जोड़—राजस्व	१०,१७,९५	१०,७९,११	१३,२०,८७ +६०,८०*	जोड़—व्यय .	१०,२३,५२	१०,४५,१५	१३,८१,६५
				कमी (−)	−५,५७	+३३,९६	−६०,७८
				अधिशेष (+)			+६०,८०*

*बजट प्रस्तावों का प्रभाव

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यगण दीर्घाओं से जाते हुए आय-व्ययक सम्बन्धी पत्र लेते जाएं ।

वित्त (संख्या २) विधेयक, १९६२

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९६२-६३ के लिये केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६२-६३ के लिये केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, २४ अप्रैल, १९६२/३ वैशाख, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

विषय **पृष्ठ**

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण १८९

२ सदस्यों ने निम्नलिखित भाषाओं में शपथ ली अथवा प्रतिज्ञान किया :
१ ने अंग्रेजी में; और १ ने तामिल में

प्रश्नों के मौखिक उत्तर १८९—२११

तारांकित
प्रश्न संख्या

८० आसाम में उपलब्ध प्राकृतिक गैस १८९–९०
८१ दण्ड विधि के अधीन अधिसूचित क्षेत्र १९०—९२
८३ शिक्षा आयोजकों का प्रशिक्षण १९२–९३
८४ विस्थापित व्यक्तियों को दो गई आयु सम्बन्धी रियायतें १९३–९४
८५ अम्बरनाथ मशीन टूल्स फैक्टरी १९४—९६
८६ हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड में कम कीमत की कार का निर्माण १९६—९८
८७ दिल्ली के लिए क्षेत्रीय परिषद् १९८–९९
८८ नागाओं के कब्जे में भारतीय विमान बल के अधिकारी २००—०२
८९ सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि २०२–०३
९० कर अपवंचन २०४—०७
९१ उड़ीसा में खनन पट्टे २०७–०८
९२ पिछड़े वर्गों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां २०८—१०
९३ पुरातत्वीय मूर्तियों की चोरी २१०–११
९४ आसाम में उपलब्ध प्राकृतिक गैस २११

प्रश्नो के लिखित उत्तर २१२—५६

तारांकित
प्रश्न संख्या

८२ बनारस हिन्दू और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय २१२
९५ ऐवरेस्ट अभियान २१२
९६ फालतू असैनिक माल की बिक्री २१२

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)

तारांकित
प्रश्न संख्या

९७	प्रविधिक शिक्षार्थियों का ऋण	२१२–१३
९८	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र .	२१३
९९	रायपुर में विश्वविद्यालय	२१३
१००	मद्रास में भूतत्वीय सर्वेक्षण	२१३–१४
१०१	मैसूर में सोने के निक्षेप	२१४
१०२	दान कर अधिनियम . . .	२१४–१५
१०३	मोहिन्दरगढ़ (पंजाब) मे इस्पात कारखाना	२१५
१०४	पाकिस्तान को कोयले का निर्यात	२१५
१०५	कोलार की सोने की खानें	२१५–१६
१०६	कोलार की सोने की खानें	२१६
१०७	अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण	२१६
१०८	बीकानेर का भूतत्वीय सर्वेक्षण	२१७
१०९	कोयला उत्पादन	११८–१८
११०	नई दिल्ली के लिए पृथक विश्वविद्यालय	२१८
१११	बोध गया मन्दिर	२१८
११२	आसाम के तेल पर रायल्टी	२१८–१९
११३	ई० एन० आई० के साथ समझौता	२१९–२०
११४	सिखाये हुए कुत्ते	२२०
११५	रूरकेला इस्पात कारखाना में तालाबन्दी	२२०–२२१
११६	पूर्व-निर्मित मकान	२२१–२२
११७	भिलाई इस्पात कारखाना	२२२
११८	नूनमती तेल शोधक कारखाना	२२३
११९	सैनिक स्कूल	२२३–२४
१२०	कावेरी बेसिन में तेल	२२४
१२१	निर्वाचन याचिकायें	२२५
१२२	भिलाई इस्पात कारखाने में रेडियो आइसोटोप का प्रयोग	२२५–२६
१२४	कोलार की सोने की खानें	२२६
१२५	संगीत नाटक अकादमी	२२६
१२६	आसाम में उपलब्ध प्राकृतिक गैस	२२७

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)

तारांकित
प्रश्न संख्या

१२७	आसाम के तेल पर रायल्टी	२२७
१२८	स्त्रियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय संस्था	२२८
१२९	मद्रास में इस्पात कारखाना	२२८
१३०	तेल की पाइप लाइन	२२८–२९
१३१	कोलार की सोने की खानें	२२९

अतारांकित
प्रश्न संख्या

६७	चिट फण्ड का नियन्त्रण	२२९–३०
६८	दिल्ली नगर निगम की इमारतें	२३०
६९	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूची	२३०
७०	दिल्ली में बुनियादी स्कूल	२३०–३१
७१	अखिल भारतीय वैज्ञानिक सेवा	२३१
७२	कर की मदें	२३१–३२
७३	जीवन बीमा निगम के प्रदत्त बीमे	२३२
७४	दिल्ली में स्त्रियों का अनैतिक पण्य	२३२
७५	केन्द्रीय आर्थिक तथा सांख्यिकीय सेवायें	२३३–३४
७६	आई० सी० एस० अधिकारी	२३४
७७	कांगों में भारतीय सेना	२३४–३५
७८	विदेशी ऋण	२३५
७९	आम-चुनावों के नामंजूर मतदान पत्र	२३५–३६
८०	दिल्ली में कारों की चोरियां	२३६–३७
८१	ब्रिटिश बैंक दर	२३७
८२	जीवन बीमा निगम का केन्द्रीय कार्यालय	२३७
८३	तेलुगु नाटक को प्रोत्साहन	२३७–३८
८४	आन्ध्र में मध्यम आकार का इस्पात संयंत्र	२३८
८५	रूरकेला इस्पात संयंत्र मे आत्म-हत्या	२३८
८६	नालन्दा में हुएन शांग का स्मारक	२३८
८७	कुतुब मीनार के चारों ओर बाड़ लगाना	२३९
८८	जनगणना के आंकड़े .	२३९

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर---(जारी)	
अतारांकित प्रश्न संख्या	
८९ वैज्ञानिक अनुसन्धान	२३९
९० पाकिस्तान से अवैध प्रवेश	२३९–४०
९१ महापण्डित राहुल सांकृत्यायन को सहायता	२४०
९२ किसानों को ऋण देने के लिये बैंक	२४०
९३ उर्दू भाषा का विकास	२४१
९४ कानपुर नगर को उच्च श्रेणी का बनाना	२४१
९५ दिल्ली प्रशासन	२४१–४२
९६ प्रतिरक्षा कर्मचारियों के वेतन-क्रम	२४२–४३
९७ चाय उद्योग को कर से विमूक्ति	२४३
९८ असिस्टेंटों के वेतन का पुनरीक्षण	२४३
९९ कथारा (बिहार) में कोयला धोने का कारखाना	२४४
१०० जीवन बीमा निगम के क्षेत्र-कर्मचारियों को बोनस	२४४–४५
१०१ टोकियो में एशियाई शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन	२४५
१०२ माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन	२४५–४६
१०३ दिल्ली के स्कूलों के गरीब विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां	२४६
१०४ एशियाई पुरातत्व सम्मेलन	२४६–४७
१०५ कला, विज्ञान और तकनीकी के विद्यार्थियों को रोजगार जुटाने में साम्य	२४७
१०६ माध्यमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा	२४७–४८
१०७ प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों का प्रशिक्षण	२४८
१०८ असाधारण हीरा	२४८
१०९ सिंगारेने खानों में कोयले का उत्पादन	२४९
११० अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण	२४९
१११ मद्रास राज्य के उद्योगों के लिए कोयला	२४९–५०
११२ मद्रास में अतिरिक्त विश्वविद्यालय	२५०
११३ तिरुची मे प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज	२५०
११४ प्रतिरक्षा संगठन पारस्पारिक सहायता निधि	२५१
११५ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सहायक आयुक्त	२५१
११६ मंत्रियों द्वारा लिया गया यात्रा भत्ता	२५२
११७ मैसूर में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा	२५२
११८ दिल्ली में विधि तथा व्यवस्था की समस्या	२५२–५३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (जारी)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

११९ विश्व बैंक विशेषज्ञों द्वारा सर्वेक्षण २५३

१२० मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स, भद्रावती २५३

१२१ गुजरात में गैस की पाइप लाइन २५३–५४

१२२ दिल्ली के चीनियों के गिरफ्तारी २५४

१२३ "नाइट" की उपाधि २५४

१२४ य० डी० सी० तथा असिस्टेंटों के पदों का एकीकरण २५४–५५

१२५ इण्डियन नेशनल चर्च २५५

१२६ पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां २५५–५६

सभा पटल पर रखे गये पत्र : २५८–५९

(एक) चीन और भारत के बीच १९५४ के व्यापार करार के नवीकरण के बारे में दिनांक १ मार्च, १९६२ का चीन का नोट

(दो) भारत सरकार का दिनांक ११ अप्रैल, १९६२ का उत्तर

(२) खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २ सितम्बर, १९६१ की एस० ओ० संख्या २०६० ।

(ख) दिनांक १ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४५५ में प्रकाशित खनन पट्टे (शर्तों में रूप-भेद) संशोधन नियम, १९६१ ।

(ग) दिनांक ६ मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६५१ में प्रकाशित खनिज (संरक्षण तथा विकास) (पहला संशोधन) नियम, १९६१ ।

(घ) दिनांक २२ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९५१ में प्रकाशित खनिज संरक्षण तथा विकास (दूसरा संशोधन) नियम, १९६१ ।

(ङ) दिनांक ८ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८८० ।

(च) दिनांक १६ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११३३ में प्रकाशित खनिज रियायत (संशोधन) नियम १९६१ ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र (जारी)

(छ) दिनांक ३० सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११९९ ।

(ज) दिनांक २८ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी०एस० आर० १३०३ में प्रकाशित खनिज रियायत (दूसरा संशोधन) नियम, १९६१ ।

(झ) दिनांक ९ दिसम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३४६ में प्रकाशित खनिज रियायत (तीसरा संशोधन) नियम १९६१ ।

(ञ) दिनांक ३० दिसम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी०एस० आर० १५३१ में प्रकाशित खनिज संरक्षण तथा विकास (तीसरा संशोधन) नियम, १९६१ ।

(ट) दिनांक १० फरवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी०एस० आर० १६६ में प्रकाशित खनिज रियायत (संशोधन) नियम १९६२ ।

(ठ) दिनाक २७ जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११४ में प्रकाशित खनिज संरक्षण तथा विकास (चौथा संशोधन) नियम, १९६१ ।

(३) कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम, १९५२ की धारा १७ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक १३ जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० ६० में प्रकाशित कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) संशोधन नियम, १९६२ की एक प्रति ।

(४) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा १८ के अन्तर्गत अप्रैल, १९६० से मार्च, १९६१ तक की अवधि के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(५) चावल कूटना उद्योग (विनियमन) अधिनियम, १९५८ की धारा २२ की उपधारा (४) के अन्तर्गत दिनांक २० जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० ९३ में प्रकाशित चावल कूटना उद्योग (विनियमन तथा लाइसेंस देना) संशोधन नियम, १९६१ की एक प्रति ।

उपाध्यक्ष का निर्वाचन : २५९—६२

डा० राम सुभग सिंह ने यह प्रस्ताव किया कि इस सभा के सदस्य श्री कृष्णमूर्त्ति राव को इस सभा का उपाध्यक्ष चना जाये । सर्वश्री क्रेंक एंथनी, सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी तथा श्रीमती रेण चक्रवर्ती ने तीन पृथक पृथक प्रस्ताव किये कि इस सभा के सदस्य श्री जयपाल सिंह को इस सभा का उपाध्यक्ष चुना जाये । डा० रामसुभग सिंह द्वारा प्रस्तुत पहिले प्रस्ताव पर सभा में मत विभाजन हुआ, पक्ष में २५८ और विपक्ष में ९७ ; प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । श्री कृष्णमूर्ति राव उपाध्यक्ष चुन लिये गये ।

उपाध्यक्ष का अभिनन्दन : २६३—६५

अध्यक्ष महोदय तथा कुछ अन्य सदस्यों ने श्री कृष्णमूर्ति राव का लोक सभा के उपाध्यक्ष के रूप में उनके निर्वाचन पर अभिनन्दन किया। उपाध्यक्ष महोदय ने उत्तर में अध्यक्ष महोदय तथा सदस्यों को धन्यवाद दिया।

रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा २६५—८८

रेलवे आय-व्ययक, १९६२–६३ पर सामान्य चर्चा जारी रही। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

सामान्य आय-व्ययक, १९६२–६३ का उपस्थापन : २८८—३०५

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने वर्ष १९६२–६३ के लिये भारत सरकार की अनुमति आय तथा व्यय का विवरण उपस्थापित किया।

विधेयक पुरस्थापित : ३०६

वित्त (सं० २) विधेयक, १९६२

मंगलवार, २४ अप्रैल, १९६२ /४ बैशाख, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

रेलवे आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा ३०७—३११